द्वितीय माला, खण्ड ६—अंक ३५

३० अगस्त, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Second Session)

(खण्ड ६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

178 LSD

विषय–सूची

द्वितीय माला, खण्ड ६—अंक ३१ से ४०—३० अगस्त से ५ सितम्बर, १९५७

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २६ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७, ११५८, ११६०, ११६२, ११६५, ११६६, ११६९, ११७१, ११७३, ११७५ से ११७९, ११८२, ११८४, ११८५, ११८८ से ११९३ और ११९७ से ११९९... ४५७७—४५०४

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . . ४५०५—०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९, ११६१, ११६३, ११६४, ११६७, ११६८, ११७०, ११७२, ११७४, ११८०, ११८१, ११८३ ११८६, ११९४ से ११९६, १२०० से १२०५, १२०७, ७९६, ८२३, ९४७ और ९६४ . . . . ४५०९—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७४ से ९२५ . . . ४५१९—४५

व्यय-कर विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उप-स्थापित . . . ४५४५

धन-कर विधेयक और व्यय-कर विधेयक—

प्रवर समितियों के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति—सभा पटल पर रखी गई ४५४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के काम की ओर ध्यान दिलाना—

लामाकिन क्षेत्र के गिंग ग्राम में विमान दुर्घटना . . . ४५४५—४७

वित्त (संख्या २) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ४५४७—९२

दैनिक संक्षेपिका . ४५९३—९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २७ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, से १२१०, १२१२, १२१५, १२१६, १२१९ से १२२४, १२२६ से १२२९, १२३१, १२३२ और १२३६ से १२३८ . . . . ४५९७—४६२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२११, १२१३, १२१४, १२१७, १२१८, १२२५, १२३३ से १२३५ और १२३९ से १२४२ . . ४६२३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९५३, ९५५ से ९६१, ९६३ और ९६५ . . . . . ४६२८—४४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पटाखों से भरे वैगन में विस्फोट . . . ४६४४—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ४६४६—४७

वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७—

विचार करने का प्रस्ताव . . ४६४७—४७०२

खण्ड २ से १६ और प्रथम अनुसूची . . . ४६६८—४७०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४७०३—०५

अंक ३३—बुधवार, २८ अगस्त, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४४, १२४७ से १२५२, १२५६ से १२५८, १२५८-क, १२५९ से १२६१ और १२६६ से १२७२ ४७०७—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४५, १२५३ से १२५५, १२६४, १२६५ और १२७३ से १२७९ . . . . ४७३३—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६६ से ९७३ और ९७५ सें ९९१ ४७३९—४८

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति का बिगड़ना . ४७४८—४९

श्री रंग बिहारी लाल का निधन . ४७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७५०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन . . . ४७५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति . . ४७५०—५१

पृष्ठ

वित्त (संख्या २) विधेयक . . . . . ४७५२—६६

अनुसूची संख्या १ और २ और खंड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ४७५२—६१

धन-कर विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ४७६६—८६

पश्चिमी बंगाल में कार्यस्थल शिविरों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा . ४७६०—६४

दैनिक संक्षपिका . . . . . ४७६५—६८

अंक ३४—गुरुवार, २६ अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८०, १२८१, १२८३, १२८५ से १२६०, १२६२, १२६४, १२६५, १३०८, १२६६, १२६८, १२६६, १३०२ से १३०५ . . . . ४७६६—४८२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८२, १२८४, १२६१, १३६३, १२६७, १३००, १३०१, १३०७, १३०६ से १३१६, १३१६-क, १३२० से १३२४ . . . . ४८२३—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६२ से १०३५ से १०४० . ४८३४—५४

स्थगन प्रस्ताव—

पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में सूखे की स्थिति . ४८५४—५५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ४८५५—५६

धन-कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४८५६—६१

खण्ड २ से ४६, अनुसूची और खण्ड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ४८७०—६१

विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों के लिए तम्बू खरीदे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . ४८६१—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४८६५—६७

अंक ३५—शुक्रवार, ३० अगस्त, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३३२, १३३४ से १३३७, १३३६, १३४२ से १३४४ और १३४६ . . . ४८६६—४६२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३३, १३४०, १३४१, १३४५, १३४७, से १३५५ और १३५७ से १३७० . . . ४६२२—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४१ से १०४६, १०५१ से १०६८ और १०७० से १०८५ . . . . . ४६३२—५०

स्थगन प्रस्ताव--	पृष्ठ
छोटा नागपुर में चिन्ताजनक खाद्य स्थिति के बारे में . .	४९५२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९५२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४९५२
आधे घंटे की चर्चा के उत्तर को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . .	४९५२
समितियों के लिये निर्वाचन--	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड	४९५३
(२) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड	४९५३
जीवन बीमा निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक--	
पुरःस्थापित किया गया	४९५३
रेलवे यात्री किराया विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	४९५३--७६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
छठा प्रतिवेदन	४९७६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिए एक स्पष्ट मूल्य नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प .	४९७७--९७
राज्य-सभा से सन्देश	४९८८
कार्य मंत्रणा समिति	
आठवां प्रतिवेदन	४९९७
चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प .	४९९७--५००२
दैनिक संक्षेपिका .	५००३--०७
अंक ३९--शनिवार, ३१ अगस्त, १९५७	
सभा का कार्य	५००९, ५०१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५००९-१०
कार्य मंत्रणा समिति--	
आठवां प्रतिवेदन . .	५०१०--१२
रेलवे यात्री किराया विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	५०१२--३१
खंड २ से ६, अनुसूची तथा खंड १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	५०१९--३१
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव .	५०३१--५३
खण्ड २ से १६ और १--	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०४५--५२

व्यय-कर विधेयक—

पृष्ठ

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव . ५०५३—६८

औषधीय जड़ी बूटी संगठन तथा कच्ची औषधियों के प्रयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ५०६८–६९

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०७०

अंक ३७, सोमवार, २ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७२, १३७४, १३७६ से १३८१, १३८३ से १३८७, १३८९ से १३९१, १३९३, १३९५ से १३९७, १४०० से १४०२ . . . ५०७१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या १३७१, १३७३, १३७५, १३८२, १३८८, १३९४, १३९८, १४०३ से १४०६ . . . ५०९६—५१००

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११२४ . . ५१००—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५११८—१९

नियम समिति—

पहला प्रतिवेदन ५११९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ५११९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जबलपुर छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का त्यागपत्र . . ५११९–२०

अनुपस्थिति की अनुमति . . ५१२०–२१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ५१२१—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५१६५—६९

अंक ३८, मंगलवार, ३ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०७, १४०८, १४१७, १४०९ से १४१६ और १४१८ से १४२३ . . ५१७१—९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ . . ५१९४—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४४१ . . . ५१९६—५२०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११३१, ११३३ से ११४७ और ११४९ से ११७५ . . . . ५२०३—२४

१९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें . . ५२२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भीड़ द्वारा नडियाद में रेलगाड़ी का रोका जाना . . ५२२५–२६

दमदम हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ५२२६

समिति के लिए निर्वाचन— पृष्ठ

राज-भाषा आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करने के लिये संसद् की समिति . . . . ५२२७—२८

व्यय कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५२२८—७१

खण्ड २ से ५ . . . . . ५२४५—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ५२७२—७५

अंक ३९—बुधवार, ४ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४२ से १४४५, १४४७ से १४५३, १४५५ से १४६० और १४७१ . . . . . ५२२७—५३०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १४४६, १४५४, १४६१ से १४७०, १४७२ से १४७७, १४७७-क, १४७८ से १४८४ और १४८६ से १४८८ . . . . ५३०३—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७६ से १२१४ और १२१६ से १२६० . ५३१४—४७

स्थगन प्रस्ताव—

कानपुर के मालगोदाम में विस्फोट . . . ५३४८—५०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . ५३५०

व्यय कर विधेयक—

खण्ड ५ से ४१ तथा १ और अनुसूची संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव . . . ५३५०—७१

बीमा (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . ५३७२—८०

खण्ड २ से ५ तथा १

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . . ५३७९—८०

विधान परिषद् विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ५३८१—८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५३८८—९२

अंक ४०—गुरुवार, ५ सितम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८९, १४९१ से १४९८, १५००, १५०१, १५०३ से १५०९ और १४९९ . . . ५३९३—५४१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . . ५४१७—१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १४९० और १५१० से १५२६ . . ५४१९—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०२ . . . ५४२७—४७

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४४८

नियम समिति की कार्यवाही सारांश . . ५४४८

राज्य सभा से सन्देश ५४४८

भारतीय डाक घर बचत नियमों के बारे में याचिका . ५४४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पाकिस्तान को भारत द्वारा देय राशियां ५४४८–४९

विधान परिषद् विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव . ५४५०—८४

खण्ड २ से ८ . . . . . ५४६४—८४

टाटा लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजनों के लिए दिए गए मूल्यों के सम्बन्ध में चर्चा ५४८४--९५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५४९६—९९

समेकित विषय सूची (२६ अगस्त, से ५ सितम्बर, १९५७ तक) . (१—७)

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आय-व्ययक का तैयार किया जाना

†*१३२५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों, लोक उपक्रमों तथा अन्य संयुक्त स्कन्ध समवायों के साथ परामर्श से इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये हैं या किये जा रहे हैं कि वे अपने आय-व्ययक इस प्रकार से तैयार करें कि जिससे समस्त देश के लिए आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं, इस समय केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में सुधार करने की ओर हमारा ध्यान सकेन्द्रित है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को मालूम है कि क्या किसी राज्य सरकार ने स्वयं अपनी ओर से ऐसी कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस बात को देखते हुए कि देश में किए जाने वाले वित्तीय लेन देनों का एक आर्थिक वर्गीकरण होना चाहिये, क्या किसी राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के सहयोजन के लिए सरकार का अब इस प्रकार के अभिकरण की स्थापना का विचार है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कठिनाई यह है। केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक के लिए भी इस वर्ष जो वर्गीकरण किया गया है वह पर्याप्त सुधार ही है। हमारा ध्यान जिस प्रश्न की ओर लगा हुआ है मैं उसकी भी चर्चा कर देना चाहता हूं; वह है केन्द्रीय सरकार के खर्च के आंकड़ों को देश में खर्च के आंकड़ों तथा विदेश में खर्च के आंकड़ों के रूपमें अलग अलग करना। केन्द्रीय सरकार के खर्च

---

†मूल अंग्रेजी में

में विदेशी मुद्रा की राशि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की सम्भावना की अब जांच की जा रही है यदि हम परिपूर्णता के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे विचार में अगले प्रक्रम के रूप में हम यह देखेंगे कि क्या हम राज्य सरकारों को अपना वर्गीकरण अपनाने के लिये नहीं कह सकते हैं और क्या हम किसी प्रकार की समाहर्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं।

इस बीच प्राक्कलन समिति भी आय-व्ययक में सुधार करने के लिये कुछ मार्गोपाय ढूंढ रही है। सम्भवतः इस सम्बन्ध में हम प्राक्कलन समिति के सामने अपनी कठिनाइयां रखेंगे और हो सकता है कि इस मंत्रालय तथा प्राक्कलन समिति की संचयी बुद्धिमता से कुछ परिणाम प्राप्त हो सकें।

†**श्री विमल घोष** : क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था की कार्यप्रणाली के द्वारा पूर्ण राष्ट्रीय आय तथा व्यय के आंकड़े मालूम करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जिस माननीय सदस्य द्वारा यह मूल प्रश्न पूछा गया है, स्पष्टतया उनके मस्तिष्क में भी यही बात थी क्योंकि यदि राज्य तथा केन्द्र के लिये भी आर्थिकवर्गीकरण एक आधार के रूप में एक सामान्य लक्षण बन जाता है सम्भवतः तभी राष्ट्रीय व्यय की सूक्ष्म परीक्षा करने और इकट्ठा रखने का यह प्रश्न सम्भव हो सकता है। परन्तु ब्रिटेन में जिस राष्ट्रीय आय सर्वेक्षण करने का प्रयत्न किया जा रहा है यदि माननीय सदस्य उसी प्रकार के किसी सर्वेक्षण की बात सोच रहे हैं तो इस समस्या पर भी हम विचार कर रहे हैं, किन्तु हम देखते हैं कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : केन्द्रीय सरकार के आय•व्ययक के लिये राजकोषीय वर्ष की जो वर्तमान व्यवस्था है, क्या सरकार उसके स्थान पर पत्री वर्ष की व्यवस्था करने की बात पर विचार करेगी और राज्यों के लिए भी एक सी अवधि नियत करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे जो भी सुझाव देना चाहते हों, मंत्री महोदय को भेज दें।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह सुझाव नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सुझाव यह है कि पत्री वर्ष अपनाना चाहिये। किसी भी सुझाव को प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है "क्या कोई प्रस्थापना है ....." आदि।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस बात को देखते हुए कि सरकार की कार्यप्रणाली द्वारा तथा केन्द्र और राज्यों में भिन्न विभागों द्वारा अत्यधिक खर्च किया जा रहा है क्या सरकार यह मालूम करने के औचित्य पर विचार कर रही है कि जिन नौकरियों के लिये जगहें बनाई जा रही हैं और जो नौकरियां पहले से हैं, क्या उनके लिए काम की पूरी मात्रा है या नहीं है और क्या आय-व्ययक बनाते समय तदनुसार केन्द्र, राज्यों को मंत्रणा देगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक इस दिशा में राज्यों को किसी प्रकार की मंत्रणा देने का सम्बन्ध है, यह काम योजना आयोग को करना होगा। राज्यों तथा केन्द्रों के बीच वर्तमान संवैधानिक सम्बन्धों के कारण भारत सरकार ऐसा नही कर सकेगी। इस मामले में उन्हें मंत्रणा देने के लिये योजना आयोग ही एक उपयुक्त अभिकरण है। परन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि अन्ततः मितव्ययता के लिए अब पुनर्विलोकन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संगठन तथा रीति विभाग भी एक संस्था है और गृह-कार्य मंत्रालय में भी एक विभाग, सेवा सम्बन्धी मामलों की जांच कर रहा है। कई मंत्रालयों ने अपने मितव्ययता बोर्ड नियत किए हैं और वित्त मंत्रालय में भी एक केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड है, जिसके वित्त सचिव तथा गृह-कार्य सचिव सदस्य हैं। यह बोर्ड आर्थिक महत्व अथवा वित्तीय महत्व के किसी भी मामले का पुनर्विलोकन करता है। यह इस समय न्यूनाधिक प्रयोगात्मक प्रक्रम पर कार्य कर रहा है और यदि हम और आगे किसी ऐसे प्रक्रम पर पहुंच गए और यदि हमने यह देखा कि कार्यप्रणाली ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो सम्भवतः हम योजना आयोग के माध्यम द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई सफलतायें राज्यों को बता देंगे।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार** : क्या सरकार का इस सम्बन्ध में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बातचीत करने और एक सी व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक आय-व्ययक सम्बन्धी प्रक्रिया में एकरूपता का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कुछ एकरूपता है, क्योंकि एक समय एक ऐसी सरकार थी जिसका आयव्ययक तैयार कररने की एकरूप रीति थी, ब्रिटिश सरकार की भांति, केन्द्रीय सरकार वस्तुतः आयव्ययक बनाने की समस्त प्रक्रिया का नियन्त्रण करती है और राज्य सरकारों को केवल प्रक्रामण द्वारा ही अधिकार प्राप्त है। इस लिये कुछ सीमा तक एकरूपता तो है, परन्तु यह हो सकता है कि उस एकरूपता में कुछ परिवर्तन अपेक्षित हो और हम केन्द्र में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय, प्रारम्भिक प्रयोगों के सफल सिद्ध होने पर किया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही की है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी को, भिन्न देशों में की जा रही नई कार्यवाहियों का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं स्पष्ट रूप से हां या ना नहीं कह सकता। मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

छावनियों का विकास

*१३२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छावनियों के विकास के लिये जिस कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा था क्या इस बीच उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्वीकृत कार्यक्रम की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुझाव वित्त मंत्रालय द्वारा विचाराधीन हैं और उनके शीघ्र पूरा होने की आशा की जाती है।

श्री भक्त दर्शन : यह प्रश्न एक वर्ष से विचाराधीन कहा जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में इतनी देरी होने का क्या विशेष कारण है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

सरदार मजीठिया : जैसा कि २६ मई, १६५७ को पूछे गये सवाल के जवाब में सभा-पटल पर रखे गये एक स्टेटमेंट में बताया गया था, इसका विशेष कारण यह है कि सारा खर्चा छः करोड़ है और इस वक्त यह समझा जाता है कि यह खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार छः करोड़ रुपए के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में छावनियों के विकास के लिए कितनी रकम निश्चित की गई है ?

सरदार मजीठिया : पिछले साल, १६५६–५७ में, ३० लाख रुपया दिया गया था और इस वर्ष ५५ लाख रुपया रखा गया है इन कामों के लिए।

सरदार अ० सि० सहगल : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ कारणवश यह कार्य शीघ्र नहीं हो सकता है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, जिन के कारण यह कार्य नहीं हो सकता है ? क्या मंत्री महोदय इस की व्याख्या करने की कृपा करेंगे ?

सरदार मजीठिया : मुल्क की जो फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन है, वह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है। उसको देखते हुए यह कार्य शीघ्र नहीं किया जा सकता है।

श्री खादीवाला : छावनियों के विकास के लिए प्रान्तीय सरकारों के जो कायदे हैं, उनको लागू कर उनको सहूलियत देने में क्या आपत्ति है ?

†**सरदार मजीठिया** : पांच छः दिन हुए, इस के मुताल्लिक जवाब देते हुए मैंने कहा था कि हम एक अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर विचार हो रहा है।

†**श्री अय्याकण्णु** : क्या सभी विवाहित अधिकारियों को क्वार्टर देने के लिए इस योजना के अधीन कोई प्रस्ताव है ?

†**सरदार मजीठिया** : आवास भी योजना का एक भाग ही है। परन्तु मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि उसके लिये कितनी रकम आवंटित की गई है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई रकम निश्चित की गई है जिसके अन्तर्गत छावनियों के विकास के लिये रूपये हर साल मंजूर किये जायेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैंने कहा है,हमने यह निश्चय किया है कि हम पंचवर्षीय योजना के लिए कोई विशिष्ट राशि नहीं दे सकते हैं, परन्तु हम इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष आधार पर आवंटन करते रहेंगे। मैं पहिले ही बता चुका हूं कि १६५६–५७ में हमने ३० लाख रुपये और चालू वर्ष में ५५ लाख रुपये आवंटित किए हैं।

द्वादश-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र[1]

*१३२७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि द्वादश-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों में पूंजी लगाने के लिए आवश्यक फार्म अब तक छापे नहीं गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Twelve Year National Plan Savings Certificates.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). १२ वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र छापे जा रहे थे और इस महीने के प्रथम सप्ताह से वे डाकखानों में मिलने लगे हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : पिछले तीन या चार महीनों में कई व्यक्ति राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में कोई रकम जमा किए बिना डाकघरों से लौटे हैं। क्या यह अनुमान लगाया गया है कि कितनी राशि वापिस की गई है। लोग डाकघरों में रकम जमा करने के लिए गए थे; परन्तु जमा करने के लिये फार्म न होने के कारण वे ऐसा न कर सके।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जैसा कि मैंने कहा है, इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का निर्णय मई के दूसरे सप्ताह में किया गया था। मैंने १५ मई को अपने आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की घोषणा की थी। हमारे सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस के पास जो काम था वे उसे पूरा नहीं कर सके थे और वे इन प्रमाण पत्रों को छाप नहीं सके थे। परन्तु, डाक घरों ने प्राप्त होने वाले किसी आवेदन पत्र के लिए अस्थायी रसीद जारी करने का प्रबन्ध किया था मुझे ऐसे किसी भी मामले का ब्यौरा मालूम नहीं है जिसके सम्बन्ध में डाकघर ने अस्थायी रसीद जारी करने से इन्कार किया हो। यह हो सकता है कि लोगों ने अस्थायी रसीदों को पसन्द न किया हो और अपनी रकम वापिस ले ली हो। मैं यह नहीं कह सकता कि कितनी रकम वापिस ली गई थी। निः सन्देह यह सच है कि प्रमाण पत्रों को जारी करने का जिस समय निर्णय किया गया था उस समय के कारण और निर्णय किए जाने तथा वास्तविक कारणों से इसे कार्यान्वित करने में समय का जो स्वाभाविक अन्तर है उसके कारण अधिकांशत ये प्रमाण पत्र तैयार नहीं किये जा सके थे।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि गांवों में डाकियों द्वारा नकद प्रमाणपत्रों की अदायगी की जायेगी। क्या सरकार को मालूम है कि यह योजना कब प्रारम्भ की जायेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री कमलनयन बजाज** : गांवों में भी बचत की प्रवृत्ति को फैलाने के लिए क्या वित्त मंत्री ने, विशेष रूप से ग्राम्य क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों को, जो इन प्रमाण पत्रों को बेच सकते हैं, किसी प्रकार का कमीशन देने की बात पर विचार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का सम्बन्ध फ़ार्मों की दुर्लभता से है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वस्तुत : जो लोग राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के लिए रुपया इकट्ठा करते हैं उन्हें कमीशन देने की व्यवस्था है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि ठीक कितनी रकम दी जाती है। हमने रुपया इकट्ठा करने के खर्चों के प्रयोजन के लिए प्राप्त राशि की कुछ प्रतिशतता की अनुमति दी है। कमीशन देना भी प्रमाणपत्रों के बेचने पर होने वाले खर्च का ही एक भाग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण[1]

+

†*१३२८. श्री वेंकटा सुब्बैया :
श्री मं० वें० कृष्ण राव :
श्री रामी रेड्डी :
श्री नागी रेड्डी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश का विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है ;

(ग) किन खनिजों का सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है ;

(घ) सर्वेक्षण के प्रतिवेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस शीर्ष पर कुल कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : उत्तर बहुत लम्बा है । यदि आप अनुमति दें तो मैं अधिक महत्वपूर्ण उद्धरण पढ़ देता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : (क) से (घ) जी, हां । आन्ध्र प्रदेश में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग[2] द्वारा क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण का कार्य तथा खनिज निक्षेपों, इंजीनियरिंग भौमिकी तथा भू-जल संसाधनों की खोज की जा रही है और क्योंकि यह काम कभी भी समाप्त न होने वाला है, इसलिये भावी कुछ वर्षों में भी यह काम चलता रहेगा । विशेष रूप से अनन्तपुर, बेल्लारी, कुड्डापा, कुरनूल, चित्तूर तथा अन्य स्थानों पर भूतत्वीय मानचित्रण तथा खनिज अनुसन्धान का कार्य किया गया है ।

* [अब तक जिन स्थानों पर जिन खनिजों के मिलने की जांच की गई है वे हैं, गुन्तूर, कृष्णा और कुरनूल में लौह-अयस्क, कृष्णा में क्रोमाइट, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में मेंगानीज़; नेल्लोर ज़िला, गारीमनियेंटा क्षेत्र तथा कुरनूल में तांबा ; गुन्तूर, कुड्डापा, कृष्णा, पूर्व गोदावरी तथा विशाखापतनम में चूने का पत्थर; कुड्डापा और अनन्तपुर ज़िलों में बेराइट्स; कुड्डापा, कुरनूल, नेल्लोर गोदावरी तथा हैदराबाद में मिट्टी और कुड्डापा तथा नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र में एस्बेसटौस ।]

जहां कहीं उचित हो वहां गैर-सरकारी पक्षों को खनिज सम्बन्धी रियायतें देने के लिए जब राज्य सरकारें लिखती हैं तो उन्हें भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों की प्रतियां भेजी जाती हैं । आन्ध्र सरकार अनुसूचीक के कुछ खनिजों, उदाहरणार्थ, लौह अयस्क को निकालने के लिए एक निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

(ङ) किसी एक राज्य में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये कोई पृथक् वित्तीय व्यवस्था नहीं की जाती है । समस्त देश के लिए भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को जिस अनुदान की मंजूरी दी जाती है उसी राशि में से खर्च पूरा किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*कोष्ठकों में दिया गया यह भाग सभा में पढ़ा नहीं गया था :

2 Geological Survey of India.

†**श्री बोस** : प्रश्न के भाग (ग) का क्या उत्तर है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भाग (ग) का उत्तर यह है कि राज्य में महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों, अर्थात्, कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज़, क्रोमाइट, तांबा, सोना, चूने का पत्थर, बोराइट्स और एस्बेस-टौस की जांच का कार्य कुछ मामलों में न्यूनाधिक पूरा हो चुका है और शेष कार्य क्षेत्र वार पूरा किया जा रहा है।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में तांबे के जो निक्षेप प्राप्य हैं, क्या उनके सम्बन्ध में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: सामान्यतः उस क्षेत्र में तांबे के जो निक्षेप हैं उनका यद्यपि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पता लगाया गया है और जानकारी के लिए उनका माप चित्रण किया गया है तथापि यह ख्याल है कि उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ वर्ष पहिले अनन्तपुर में सोने की एक खान भी, जिसमें से सोना निकाला जाता था, क्या उसमें से फिर सोना निकालने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं पता लगा कर प्रश्न का उत्तर दूंगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार को मालूम है कि अनन्तपुर ज़िले के एक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर भी भारी मात्रा में हीरे पाये जाते हैं ? यह स्थान उस क्षेत्र में वजराकारुरु के नाम से सुप्रसिद्ध है। क्या सरकार इसकी पूर्ण रूप से जांच करने और इससे लाभ उठाने के लिये तैयार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भूमि पर पड़े हुए इन हीरों के सम्बन्ध में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने यह बताया है कि उस राज्य में हीरे की खानों के पाये जाने की सम्भावनायें हैं। हीरों के सम्बन्ध में हमारा एक कार्यक्रम है और हम उसे क्रमबद्ध ढंग से प्रारम्भ कर रहे हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : उस क्षेत्र में न केवल जांच करने बल्कि हीरों को निकालने के लिए भी सरकार का वस्तुतः कार्यक्रम क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उन्हें निकालने के लिए पहिले हमें जांच करनी होगी। दक्षिण में हीरों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान के लिए एक कार्यक्रम है ।

†**श्री बोस** : जिन खनिजों की माननीय मंत्री ने चर्चा की है उनमें से किन खनिजों को उस क्षेत्र में निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि इन क्षेत्रों की पहिले ही जांच की जा चुकी है और जांच की जा रही है। कुछ लौह अयस्क खानों तथा मैंगनीज़ अयस्क खानों के बारे में पता लगा है कि वाणिज्यिक दृष्टि से उनमें से खनिज निकाले जा सकते हैं और मुझे बताया गया है कि कुछ खानों में काम किया भी जा रहा है। तांबा, सोना, हीरों और चूने के पत्थरों आदि के सम्बन्ध में अभी कार्य किया जा रहा है।

†**श्री केशव** : क्या हमारे देश में भूतत्वीय सर्वेक्षण का कोई निश्चित कार्यक्रम है; और यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन मैसूर राज्य का सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित कार्यक्रम है । ग्रीष्म ऋतु के अन्त में, प्रत्येक वर्ष, कार्यकर्त्ता सदर मुकामों को लौट जाते हैं और जो कुछ उन्होंने मालूम किया होता है उसके सम्बन्ध में कार्य करते हैं मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैसूर को सदैव कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध आन्ध्र से है । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सभी मैसूर निवासी आन्ध्र चले जायें ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अनन्तपुर के कुछ क्षेत्रों में सोने के माप चित्रण के लिए एक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जा रहा था । माप चित्रण का कार्य अब किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह खनिजों से सम्बन्धित एक सामान्य प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य की किसी विशिष्ट खनिज में अभिरुचि है तो उन्हें पृथक् प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हम पहिले ही एक प्रश्न पूछ चुके हैं । हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक माननीय सदस्य सभा के सदस्य रहेंगे तब तक वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या यह सच है कि लगभग तीस वर्ष हुए बंगनापल्ली में एक ब्रिटिश समवाय ने हीरों की खोज की थी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करेगी और अनुसन्धान कार्य जारी रखेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने कहा है, आन्ध्र में हीरों से सम्बन्धित सभी खानों के सर्वेक्षण के लिए हमारा एक कार्यक्रम है और यदि हमें कुछ आशाजनक संकेत मिले तो हो सकता है कि हम खुदाई का काम भी शुरू कर दें ।

राजस्थान पुलिस बल

*१३२९. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें राजस्थान की सेनाओं के भारतीय सेना में विलीनीकरण के पश्चात् राज्य सरकार को अपने पुलिस बल में जो वृद्धि करनी पड़ी उस पर होने वाले वार्षिक व्यय के आंकड़े दिये हुए हों ;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि विलीनीकरण के पूर्व भूतपूर्व राजाओं द्वारा रखी गई सेनाओं के संगठन, उनके लिये बनाये गये मकान आदि पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये थे ; और

(ग) क्या केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को उसकी सशस्त्र पुलिस के सम्बन्ध में कोई तदर्थ सहायता अथवा प्रतिकर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) आवश्यक सूचना राजस्थान सरकार से इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री ह० चं० शर्मा : पंजाब, बंगाल व मुख्यतः राजस्थान की राज्य सरकारों को अपनी आर्म्ड कांस्टैबुलरी के ऊपर जो भारी व्यय करना पड़ रहा है, वह पाकिस्तान बार्डर पर बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिये करना पड़ रहा है, वैसे देखा जाय तो बाह्य आक्रमण से बार्डर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा मंत्रालय की है तो क्या सुरक्षा मंत्रालय अपनी मिलेटरी में पड़े हुए जवानों को बार्डर पर भेजने का इरादा रखता है और क्या वह इस विषय पर विचार कर रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह चाहते हैं कि केन्द्र को खर्च करना चाहिये।

†**सरदार मजीठिया** : सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह वहां विधि तथा व्यवस्था बनाये रखे। यदि वहां कुछ झगड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से हमें उसकी देखभाल करनी होगी।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले राज्यों की जो फौज थी, उनम से कितने प्रतिशतः आदमी राजस्थान पुलिस फोर्स में ले लिये गये हैं और कितने प्रतिशतः बाकी रह गये हैं और जो बाक़ी रह गये हैं उनके साथ सरकार ने क्या व्यवहार किया है?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री कासलीवाल** : क्या राजस्थान में सशस्त्र पुलिस बल के स्थान पर नियमित सैनिक कर्मचारियों को रखने का कोई प्रस्ताव है?

†**सरदार मजीठिया** : जी, नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : पहिले राजस्थान में सेना के लिए राजपूतों तथा जाटों को विशेष रूप से भर्ती किया जाता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राजपूतों और जाटों को सेनाओं से अलग कर दिया गया है और जो अत्यन्त कठिनाई में हैं, उनके लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रश्न का सम्बन्ध पुलिस बल से है।

श्री ह० चं० शर्मा : सन् १९५० और ५१ में राजस्थान आर्म्ड कांस्टैबुलरी को जो मदद केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई, क्या वह बाद में भी दी गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहिले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है।

†**सरदर मजीठिया** : क्या मैं इसका अनुपूरण कर सकता हूं? द्वितीय वित्त आयोग की बैठक हो रही है और राजस्थान सरकार ने उन तक पहुंच भी की है। वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और वे सिफारिशें करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं विनम्र भाव से यह कहना चाहता हूं कि ये लोग, जिन्हें सेना से निकाला गया है, एक विशिष्ट जाति से सम्बद्ध हैं और राजपूत तथा जाट हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप राजपूतों और जाटों के लिए क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक ग़ैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नाट्यशाला[1]

†*१३३० { **श्री राधा रमण** :
श्री वोडयार :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस वास्तुशास्त्री को नाट्यशाला तथा संगीत नाट्यशालाओं[2] के अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) दिल्ली में एक भली भांति सुसज्जित राष्ट्रीय नाट्यशाला निर्मित करने के प्रस्ताव को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा और यह किन पहलुओं से वास्तुशास्त्रियों के प्रतिवेदन पर आधारित होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) यूरोप तथा अमेरिका, दोनों ही की वर्तमान नाट्य-शालाओं के विस्तृत अध्ययन पर आधारित इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्यशाला की प्रविधिक अपेक्षाओं का एक पर्याप्त विस्तृत आभास है। सरकार ने सामान्यतया प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है।

(ग) वास्तुशास्त्रियों के प्रतिवेदन में अर्न्तनिहित सुझावों पर इसका अन्तिम रूपांकन मुख्यतः आधारित होगा और इस रूपांकन के अनुमोदन के बाद ही प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

†**श्री राधा रमण** : जो वास्तुशास्त्री विदेश गए थे उनके नाम क्या हैं और इन देशों की उनकी यात्रा पर कितनी रकम खर्च हुई थी और वे विशेष रूप से किन देशों में गए थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नवाब जैन यार जंग और श्री मान सिंह राना, ये दो वास्तुशास्त्री विदेश गए थे। उन्होंने इटली, आस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, बैल्जियम, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विटजरलैण्ड की यात्रा की थी, मुझे खेद है कि उनके खर्च सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री ने हमें अभी बताया है कि जो रूपांकन विचाराधीन है वह इन वास्तुशास्त्रियों के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर ही सामान्यतः आधारित होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस रूपांकन में भारतीय वास्तुकला का भी कुछ ध्यान रखा जायेगा और क्या अन्तिम रूपांकन में भारतीय वास्तुकला की भी कुछ छाप होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : निश्चित रूप से वह एक भारतीय नाट्यशाला होगी और इसमें भारतीय वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] National Theatre
[2] Opera Houses

†**श्री वोडयार** : क्या किसी स्थान का चुनाव किया जा चुका है और निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की आशा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अस्थायी रूप से, जनपथ तथा राजपथ के चौराहे के स्थान को चुना गया है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा, यह मामला अभी विचाराधीन है । यह सम्भव हो सकता है कि हमें वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य स्थगित ही करना पड़े । मंत्रिमण्डल ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

†**डा० सुशीला नायर** : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर तो पहिले ही दे दिया गया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना को स्थगित किए जाने की सम्भावना है या इसे फिर भी कार्यान्वित किया जायेगा । दूसरे मैं यह चाहती हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि इस नाट्यशाला का प्राक्कलित खर्च कितना होगा और वास्तु शास्त्रियों आदि की विदेश यात्रा पर पहिले ही कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक विदेश यात्रा का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री बता चुके हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : वह उन्हें एकत्रित करके हमें बता सकते हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं आंकड़े बता दूंगा । जहां तक नाट्यशाला सम्बन्धी प्राक्कलन का सम्बन्ध है, वास्तुशास्त्रियों के प्रतिवेदन के अनुसार कुल खर्च लगभग १ करोड़ रुपये होगा । वित्त मंत्री पहिले ही सुझाव दे चुके हैं कि सम्भवतः इस समय योजना को स्थगित करना होगा । परन्तु इस सारे मामले पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाना होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है कि राष्ट्रीय नाट्यशाला दिल्ली में ही स्थित होगी या देश भर में अन्य राष्ट्रीय नाट्यशालायें भी निर्मित की जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रारम्भ में हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है । अन्य स्थानों पर भी राष्ट्रीय नाट्यशालायें होनी चाहियें या नहीं इस बात पर सरकार ने अभी विचार नहीं किया है । निःसन्देह यदि हमारे पास वित्तीय संसाधन हुए, तो हम निश्चित रूप से अन्य स्थानों पर भी राष्ट्रीय नाट्यशालाओं को खोलना चाहेंगे ।

†**श्री कमलनयन बजाज** : अभी यह कहा गया है कि इस पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह गणना भी की गई है कि आमदनी कितनी होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह खर्च तो स्वयं इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में है । निश्चित रूप से इससे कुछ आवर्तक आमदनी भी होगी, परन्तु अभी यह नहीं सोचा गया है कि कुल आवर्तक व्यय तथा आवर्तक आमदनी कितनी होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या राष्ट्रीय नाट्यशाला से मंत्री महोदय का अभिप्राय केवल एक इमारत से है या इसमें एक राष्ट्रीय नाट्यशाला से सम्बद्ध साज-सामान भी शामिल है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नाट्यशाला का अर्थ है नाट्यशाला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वस्तुतः यह जानना चाहते हैं कि क्या इस एक करोड़ रुपये की राशि में इमारत का खर्च और साथ ही फर्नीचर, उपकरण तथा अन्य सामान—जिनसे नाट्यशाला बनती है—पर होने वाला खर्च भी शामिल है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसमें वह खर्च भी शामिल होगा। मैं ब्यौरा बताता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ब्यौरा बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि मोटी रूपरेखा बता दी जाये तो वह पर्याप्त होगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसमें ३,००० व्यक्तियों के लिए बैठने का स्थान होगा। नाट् शाला को गायन तथा नाटक कला के सम्बन्ध में घूमने वाले रंगमंच से सुसज्जित किया जायेगा। उसमें उड़ुयी दृष्यों[५] के लिये भी व्यवस्था होगी। एक प्रयोगात्मक नाट्यशाला होगी, तथा संगीत नाटक और नृत्य के लिए कई अभ्यास कक्ष होंगे और १ करोड़ रुपये के प्राक्कलन में, मेरे विचार में सामान आदि का खर्च भी शामिल होगा।

आयकर पदाधिकारी

†*१३३१. **श्री रूप नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें बताई गई हों :

(क) बिहार और उड़ीसा के अन्तर्गत उन आयकर पदाधिकारियों की संख्या जिन्हें आयकर पदाधिकारियों के स्थायी पद के लिये अर्ह होने के लिये १६५२—१६५७ में विभागीय परीक्षा पास करने से मुक्त कर दिया है ; और

(ख) इनमें कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं ;

(ग) उक्त क्षेत्र के उन आयकर पदाधिकारियों की संख्या जो अनेक वर्षों तक इन पदों पर काम करने के पश्चात् भी उपरोक्त अवधि में प्रत्यावर्तित[६] कर दिये गये हैं ; और

(घ) इनमें अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) एक।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) पांच।

(घ) एक भी नहीं।

श्री रूप नारायण : होम मिनिस्ट्री ने हर एक मिनिस्ट्री को एक इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट किया है कि जब किसी आफिसर की पोस्ट के लिए कोई इम्तिहान पास करने की शर्त रक्खी जाए तब शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए अनडयूली हाई स्टैन्डर्ड का एग्जामिनेशन न रक्खा जाए। दूसरे तमाम लोगों के इम्तिहान पास का जो लेवेल रक्खा जाए, शड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए उससे नीचे का स्तर रक्खाजाए। कोई आदमी साढ़े सात वर्ष ईकम टैक्स आफिसर रहा हो, उसको रिवर्ट कर दिया जाए....

अध्यक्ष महोदय : आप को प्रश्न करना चाहिए, जवाब या सलाह नहीं देनी चाहिए।

मूल अंग्रेजी में

[५]Flying Scenes

[६]Reverted

श्री रूप नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के आफिसर को क्यों नहीं इम्तिहान पास करने से एग्जेम्ट किया गया जबकि दूसरे को कर दिया गया। ऐसा करने का आधार क्या था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को वैसे ही छूट क्यों नहीं दी गई—उन्हें आयकर अधिकारी नियुक्त करने के पूर्व विशेष अर्हता से मुक्त क्यों नहीं किया गया। सदस्य की जानकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों से भिन्न व्यक्तियों को छूट दी जा रही है। अतः इसमें भेदभाव क्यों किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इसका इतिहास बहुत पुराना है। १९५३ के पूर्व आयकर अधिकारियों का घोर अभाव था और अनेक व्यक्तियों की पदवृद्धि की गई। अधिकांश स्थितियां ऐसी थीं कि इन्हें भूतकालीन सेवा अवधि में विभागीय परीक्षाएं पारित करने से मुक्त कर दिया गया था। यह घटना १९५३ से पूर्व की है। कई अवस्थाओं में उन्हें पदोन्नत करते समय कह दिया गया था कि अधिकारियों के उपलब्ध होते ही उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। अतः इसमें किसी वर्ग विशेष को छूट देने का प्रश्न नहीं है। हमें उस समय उन्हें पदोन्नत करने की आवश्यकता थी और जब वे अन्य रूप में उपयुक्त सिद्ध हुए तो उन्हें विभागीय परीक्षाएं पास करने का अनुरोध नहीं किया गया। मैं नहीं समझ पाया कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के बारे में माननीय सदस्य के मस्तिष्क में क्या बात है। क्या उनका यह अभिप्राय है कि इन्हें विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विमुक्ति मिल जाये। यदि ऐसा ही मंतव्य है तो इसकी पूर्ति दुष्कर है। सेवा में प्रवेश करते समय जब तक एक व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर देता है कि वह अपने विभाग के कार्य के बारे में पूरी जानकारी रखता है, तब तक यह निर्णय करना कठिन है कि वह व्यक्ति अपने पद पर कार्य करने के लिये योग्य है अथवा नहीं। इस बात की जांच के लिये हमारे पास विभागीय परीक्षाएं ही एकमात्र माध्यम हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** (क) के बारे में यह छट किस आधार पर दी गई थी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यह १९५३ के पूर्व इतिहास से सम्बद्ध है। हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निम्न वर्ग के अनेक व्यक्तियों की पदवृद्धि कर दी थी और यह बात उन्हें असंदिग्ध रूप में बता दी गई थी कि उनका वस्तुतः कोई दावा नहीं है और जब नये अधिकारी उपलब्ध हो जायेंगे तो उन्हें वहां से जाना होगा। अनेक स्थितियों में उन्हें अ ने पदों पर स्थिर रखा गया। (क) के सम्बन्ध में आधार बताना मेरे लिये अत्यन्त कठिन है।

†**श्री तिम्मय्या :** किसी पदाधिकारी को प्रत्यावर्तित करने के पूर्व विभागीय परीक्षा पास करने के लिये कितने अवसर प्रदान किये जाते हैं और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रूप नारायण : जहां तक मुझे मालूम है, सन् १९५५ में भी ऐसे लोगों को एग्जेम्शन (विमुक्ति) दिया गया है जो कि शेड्यूल्ड कास्टस (अनुसूचित जातियों) के नहीं थे। लेकिन शेड्यूल्ड कास्टस के लोगों को जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में उनसे ज्यादा मार्क्स पाए थे, जब इम्तिहान पास करने के लिये ५० परसेन्ट मार्क्स रखे गये हैं उन्होंने ५७ परसेन्ट मार्क्स पाए थे और दूसरे लोगों ने जो कि शेडयूल्ड कास्ट्स के नहीं थे २७ परसेन्ट पाए थे एग्जेम्ट नहीं किया गया। एक शेड्यूल्ड कास्ट

†मूल अंग्रेजी में

के आफिसर की सर्विस को टर्मिनेट (समाप्त) कर दिया गया, जिसकी सर्विस साढ़े सात वर्ष की थी। में जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया जबकि दूसरे लोगों को जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के आफिसर से.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक निश्चित प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री के समक्ष कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें जिनसे यह पता चल सके कि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को परीक्षा में अधिक नम्बर प्राप्त करने पर भी नहीं लिया गया और उसके प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया। लोक-सभा में सामान्य प्रवृत्ति के आरोपों का उल्लेख करने की अपेक्षा ये बातें माननीय मंत्री के ध्यान में लाना श्रेयस्कर होगा।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ : अनुसूचित जातियों से भिन्न उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट दे दी गई तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को क्यों नहीं दी गई ? क्या उस समय अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे जिन्होंने छूट की मांग प्रस्तुत की हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य के मस्तिष्क में एक विशेष विषय है और अन्य सदस्यगण सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि यह छूट अनुसूचित जातियों अथवा अन्य जातियों के आधार पर नहीं दी गई हैं प्रत्युत उक्त अवधि में जब ये व्यक्ति पदोन्नत किये गये तो अन्य रूप में वे सर्वथा उपयुक्त थे। एक मामले में पदधारी स्थायी कर दिया गया किन्तु माननीय सदस्य के मन में जो प्रश्न है वह विशिष्ट पदाधिकारी से सम्बन्धित है। वह जानकारी पूछ सकते हैं और में उन्हें सब बात बता दूंगा। यह भी सम्भव है कि इस मामले में स्वयं उस अधिकारी ने ही सरकार द्वारा सुझाये गये किसी अन्य पद पर जाना स्वीकार कर लिया हो।

हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप

*१३३२. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में अभ्रक, लोहा, तांबा, एसबेस्टस, नमक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वहां तेल बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है; और

(ग) इन खनिजों को निकालने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) असली हालत तो यह है कि हिमाचल प्रदेश के मन्डी नामक स्थान पर नमक काफी तादाद में मौजूद है। यहां पर कच्चे लोहे के भी काफी भूभण्डार हैं परन्तु वह घटिया किस्म के हैं। मालूम हुआ है कि पाइराइट्स काईनाट तांबा अंदह पदार्थ, अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ भी मिलते हैं परन्तु उनका कोई आर्थिक महत्व अभी तक नहीं पाया गया। मैंने 'अभी तक' शब्द जोड़ दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मंडी के इलाके में कुछ स्थान खोज लिये हैं, जहां तेल की चट्टानों की पहचान कर ली गई है और कहीं कहीं तेल का बहना भी देखा गया है। पिछले साल के खोज करने के मौसम में तरतीबवार जांच पड़ताल शुरू की गई थी और अगले अक्टूबर से फिर शुरू कर दी जायेगी लेकिन इस खोज के बारे में अभी निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) सरकार के लिये इन में से किसी भी खनिज पदार्थ का शोषण करना अभी सम्भव नहीं है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस विषय में अनुसंधान करने के लिए क्या कोई मशीनरी बनाई है ?

श्री के० दे० मालवीय : हमारा संगठन बहुत जबरदस्त है और वह बराबर हर साल खोजबीन किया करता है।

श्री पद्म देव : क्या सरकार को मालूम है कि मंडी जिले में सपरा घाट तहसील में सोनखड नाम की एक नदी है जिसके किनारे से लोग सोना चुन कर अपना रोजगार चलाते हैं। क्या इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है ?

श्री के० दे० मालवीय : यह आम तौर पर जानी हुई बात है कि हिमालय की नदियों से जो बालू नीचे आता है उसमें कुछ मात्रा में सोना मिला हुआ होता है। यह खाली इसी नदी की खासियत नहीं है, सभी नदियों में बालू में सोने का कुछ अंश रहता है लेकिन उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है।

श्री हेम राज : हिमाचल प्रदेश के साथ ही लगते पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। उनमें से किन किन का अनुसंधान किया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, सरकार को मालूम है कि आसपास के पहाड़ी इलाके में खनिज पदार्थ हैं। उनके जांच पड़ताल की योजना हमारा विभाग बनाता है। कुछ जांच पड़ताल हो भी रही है, उसकी हमारे पास सूचना भी है और समय समय पर उसकी रिपोर्ट शाया की जाती है।

†**श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रम के रूप में नाहन में एक फाउण्ड्री है तथा इसके लिये लौह अयस्क बिहार से मंगाया जाता है ? यदि यह सच है तो सरकार स्वयं हिमाचल प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है जहां यह उपलब्ध है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने बता दिया है कि यद्यपि लौह अयस्क वहां उपलब्ध हैं, उसकी किस्म अच्छी नहीं है। यही कारण है कि उत्पादनकर्ता और लौह अयस्क का परिपार्जन करने वाले व्यक्ति बिहार से अच्छी किस्म का अयस्क मंगाते हैं। यह एक साधारण अर्थशास्त्र सम्बन्धी बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली चलार्थ का चोरी छिपे लाया जाना*

†*१३३४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जाली चलार्थ (करेंसी) के चोरी छिपे भारत लाये जाने को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : इस प्रकार की वस्तुओं के चोरी-छिपे भारत लाये जाने को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा सतत् कार्यवाही की जाती रहती है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या यह सच है कि फीरोजपुर सीमा के पास या पाकिस्तान के एक गांव—कसूर—में पुलिस ने एक ऐसे दल का पता लगाया है जो सौ-सौ रुपये वाले नकली नोट छाप रहा था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने ऐसी एक खबर पढ़ी है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : कितने.....

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दोनों प्रश्न मिलाये जा सकते हैं ?

†**श्री शिवनंजप्पा** : उक्त मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं अथवा इससे कितने व्यक्ति सम्बन्धित थे और कितने मूल्य के नकली नोट पकड़े गये हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह गांव पाकिस्तान में है । मैं वहां पर घटी घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं कि कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा वहां पर प्राप्त जाली नोटों का कितना मूल्य था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मूल प्रश्न सर्वथा भिन्न था और उसने अब जो रूप धारण कर लिया है उसके बारे में मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं । मूल प्रश्न इस रिपोर्ट पर ही आधारित था । रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है मैं उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि उक्त क्षेत्र भारत सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार द्वारा प्रमुख दैनिक पत्रों में खबर देख लेने पर भी क्या इस प्रकार के मामलों में जांच नहीं की जाती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां, हम जांच कर सकते हैं बशर्ते कि जिस स्थान का उल्लेख किया गया है वह हमारे क्षेत्राधिकार में हो । कसूर पाकिस्तान में है ।

†**श्री दासप्पा** : चोरी से लाने की जिन घटनाओं की इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट मिल रही हैं उसका कारण इन घटनाओं की वृद्धि है अथवा इनका पता लगाने की विधि में सुधार इसके लिये उत्तरदायी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : आखिर इस गुत्थी को काटकर मुझे कहना ही पड़ेगा कि इसके लिये दोनों ही बातें उत्तरदायी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Smuggling of Counterfeit Currency.

पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य

†*१३३५. **श्री संगण्णा** : क्या गृह-कार्य मंत्री २९ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में, जो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों के कल्याण के बारे में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६–५७ के लिये पिछड़ी जाति के बालकों के लिये राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कल्याण योजनाएं अनुमोदित कर दी गई थीं तथा आवश्यक सहायता अनुदान स्वीकृत कर दिया गया था ।

†**श्री संगण्णा** : इस योजना पर कितना खर्च होगा ?

†**श्री दातार** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये ९१ लाख रुपये रक्षित किये गये थे । १९५६–५७ में इस रकम में से केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत लगभग १० लाख रुपये और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत लगभग २३ लाख रुपये खर्च किये गये थे । चालू वर्ष में केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत ८,९६,००० रुपये और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत २५,१६,००० रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या प्रत्येक राज्य में आदिम जातियों के विकास के लिये संविधान में जितनी रकम की गारण्टी दी गई है ये अनुदानें उससे अधिक हैं ?

†**श्री दातार** : यह अनुदान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा भूतपूर्व जरायम पेशा जातियों के लिये है ।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बैकवर्ड क्लासेज़ के विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप मिलते हैं वे समय पर नहीं मिलते जिसके कारण वे लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं ?

†**श्री दातार** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । यहां पर तो अन्य अनेक योजनाएं विचाराधीन हैं ।

† **श्री तिम्मय्या** : इस योजना के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के बच्चों के कल्याण सम्बन्धी समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत किसी अन्य योजना के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी है ?

†**श्री दातार** : कुछ होंगी किन्तु ये योजनाएं अत्यन्त व्यापक हैं ।

†**श्री जांगड़े** : पांच वर्षों में ९१ लाख रुपये खर्च करने की प्रस्तावना वाली कल्याण योजना के विभिन्न पहलू क्या हैं ?

†**श्री दातार** : कदाचित् माननीय सदस्य विभिन्न योजनाओं की ओर निर्देश कर रहे हैं । ये योजनाएं हैं : निःशुल्क शिक्षा, दोपहर में भोजन, पुस्तकें, पट्टियां, कपड़े और कल्याण केन्द्र, बेसिक स्कूल, आश्रम स्कूल, बालोपयोगी पार्क ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : रकम का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, क्या यह राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति और आदिम जाति के व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर है अथवा जनसंख्या के आधार पर है ?

†**श्री दातार** : जनसंख्या और उक्त क्षेत्रों में योजनाओं की उपयुक्तता आदि अनेक विषयों पर विचार किया जाता है ।

†**श्री दासप्पा** : माननीय मंत्री ने जिस सहायता का अभी उल्लेख किया है वह अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तक ही सीमित है अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी है ?

†**श्री दातार** : वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, भूतपूर्व जरायमपेशा जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये है ।

†**श्री मधुसूदन राव** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो किताबें दी जाती हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ये लड़कों को पढ़ाई शुरू होने के वक्त दी जाती हैं या कि साल समाप्त होने पर और इम्तिहान खत्म होने के बाद दी जाती हैं ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य इस बात को समझने की कृपा करें कि पुस्तकें पढ़ाने के लिये दी जाती हैं और स्वाभाविक है कि स्कूल खुलने पर ही वे दी जाती हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह जो बताया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये जो रकम दी गई है वह राज्य सरकारों के द्वारा वितरित की गई है अथवा प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से बांटी गई है ?

†**श्री दातार** : यह सामान्यतया राज्य सरकारों को दी जाती है किन्तु भारत सरकार ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी मान्यता प्रदान की है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : गैर-सरकारी संगठन क्या क्या हैं ?

†**श्री दातार** : स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों में शिशु कल्याण की भारतीय परिषद्[1], दिल्ली विमुक्त जाति संघ और सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी हैं ।

युद्ध-सामग्री कारखानों में उत्पादन[2]

†*१३३६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्धसामग्री कारखानों में असैनिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः रखने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी, नहीं । इस समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, १९५५–५६ की तुलना में १९५६–५७ में युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक कार्य के परिमाण में ह्रास हो गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस ह्रास के क्या कारण हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : इसका कारण यह है कि वहां पर बनाये जाने वाली वस्तुओं की व्यापारिक क्षेत्रों में मांग कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Council of Child Welfare.

[2]Production in Ordnance Factories.

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इन युद्ध सामग्री कारखानों के आधार पर निगम को संचालित करने एवं किसी उद्योगपति को इसका चेयरमैन बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं इस प्रकार के प्रस्ताव से अवगत नहीं हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इन युद्ध सामग्री, कारखानों की अतिरिक्त निर्माण-सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग का सुझाव देने वाले ज्ञापन विभिन्न संघों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं; और यदि हां, तो इन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : मुझे इस विशिष्ट ज्ञापन के बारे में जानकारी नहीं है किन्तु मैं यह कह दूं कि सरकार निरन्तर इस पर विचार कर रही है कि कारखानों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार हो।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कॉर्डाइट फैक्टरी लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को इसलिये नौकरी से अलग कर दिया गया कि उसने संसद् के सब सदस्यों के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार कारखानों में अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं और छंटनी रोकी जा सकती है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं इस बात से निजी रूप में अवगत नहीं हूं। किन्तु यदि ऐसी कोई बात है तो सदस्य उसे सरकार के सामने रख सकते हैं और हम इस पर निस्सन्देह विचार करेंगे ।

अन्दमान द्वीप समूह के लिये मंत्रणा परिषद्

†*१३३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपों के लिये निर्वाचित मंत्रणा परिषद् की रचना के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय की परीक्षा की जा रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस निर्वाचित मंत्रणा परिषद् के कब तक बनने की संभावना है ?

†**श्री दातार** : सरकार पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के लिये शीघ्र ही एक म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर रही है और विनियम के अन्तर्गत कुछ अंश में निर्वाचित तत्व भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके कार्य संचालन को देखने के बाद अन्य कठिनाइयों को दूर करके दूसरे प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र का म्युनिसिपल बोर्ड सम्पूर्ण द्वीप की आवश्यकता पूर्ति किस प्रकार करेगा ?

†**श्री दातार** : अधिकांश आबादी पोर्ट ब्लेयर के आसपास है अन्य स्थानों में आबादी इतनी अधिक नहीं है ।

†**श्रीमती रेणुका रे** : क्या सरकार द्वीपों में बसने वाले शरणार्थियों को प्रस्तावित मंत्रणा परिषद् में समुचित एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : वहां पहले ही एक मंत्रणा परिषद् है किन्तु उसके सदस्य नामनिर्देशित हैं। प्रश्न यह है कि क्या परिषद् में निर्वाचित सदस्य हों ?

†**श्रीमती रेणुका रे** : मैं यह जानना चाहती थी कि क्या शरणार्थियों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थापित की जाने वाली म्युनिसिपल कौंसिल के सदस्य निर्वाचित रहेंगे ?

†**श्री दातार** : यह वृहद् सीमा में निर्वाचित है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नामनिर्देशित और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है ?

†**श्री दातार** : यह विनियम लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या यह सच है कि वर्तमान कौंसिल में शराब के दो लाइसेंस-धारी और एक बड़ा व्यापारी है तथा उनका सरकार के साथ व्यापार चलता रहता है ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं। इस कौंसिल में सभी हितों के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री तंगामणि** : म्युनिसिपल कौंसिल मंत्रणा परिषद् की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। द्वीप के महत्व और वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, क्या सरकार मंत्रणा परिषद् बनाने के प्रश्न पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगी ? मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में इस परिषद् की रचना की आशा व्यक्त की गई है।

†**श्री दातार** : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने का मापदण्ड

†*१३३६. **श्री सम्पत** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को आवर्तक और अनावर्तक—दोनों प्रकार के अनुदान देने के लिये केन्द्र द्वारा क्या मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(ख) श्री अविनाशलिंगम चेट्टियार ट्रस्ट को दिये गये आवर्तक और अनावर्तक अनुदान की कितनी रकम है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सहायता अनुदान प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये स्वायत्त संगठन और कुछ तदर्थ योजनाओं के अतिरिक्त—जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार करती है—सामान्यतया केन्द्रीय अनुदान ३३ $^1/_3$ प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक होता है।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सम्पत** : क्या यह अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां । दौरा करने वाली समितियों की सिफारिश के अनुसार ही विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ।

†**श्री नंजप्प** : क्या अनुदान केवल हाई स्कूलों के लिये ही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मंत्रालय के पास स्कूल के पूर्व की अवस्था से लेकर विश्व-विद्यालय के स्तर तक के लिये अनेक योजनाएं हैं और इनके अन्तर्गत ही अनुदान दिया जाता है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में बताया गया है कि लड़कियों के लिये एक साइन्स हाई स्कूल की स्थापना के लिये तीन किस्तों में २ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं । क्या अविनाशलिंगम ट्रस्ट को नियमित आवर्तक अनुदान दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विवरण अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित है । हो सकता है कुछ आवर्तक अनुदान भी दिया गया हो, किन्तु उसके बारे में जानकारी अभी मेरे पास नहीं है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या अनुदान समान अनुपात में दी गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अधिकांश अनुदान समान अनुपात में ही दिये जाते हैं ।

"कंटैम्परेरी इंडियन लिटरेचर"

+

†*१३४२. { **श्री वासुदेवन् नायर** :
श्री कुन्दन :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि विभिन्न समाचारपत्रों और लेखकों ने "कंटैम्परेरी इंडियन लिटरेचर" नामक प्रकाशन के खिलाफ आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकाशन का उपयुक्त पुनरीक्षण करने का विचार है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान् । साहित्य अकादिमी ने जो समीक्षा रचनात्मक समझी वह सम्बन्धित लेखकों को भेज दी थी और साथ ही उन से यह निवेदन भी किया था कि यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे संस्करण के लिये उन लेखों का पुनरीक्षण कर लिया जाये ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : उन लेखकों का चुनाव किन सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है जिन्होंने यह लेख लिखे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लेखकों का अनुमोदन और चुनाव साहित्य अकादिमी के कार्यपालिका बोर्ड ने किया था । इस बात का ध्यान रखा गया था कि अत्यन्त प्रतिनिधि-लेखकों को इसमें अपने लेख भेजने के लिये निवेदन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या इस से पूर्व लेखकों की स्थानीय संस्थाओं जैसे कि केरल का साहित्य परिषद के साथ मश्वरा किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : साहित्य अकादिमी एक प्रतिनिधि संस्था है । यह विभिन्न प्रदेशों के लोगों की प्रतिनिधि है । यह नामों पर विचार करके अन्तिम प्रस्थापनायें करती है ।

आविष्कार तथा विधाएं[9]

†***१३४३. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक प्रयोग के लिये पट्टे पर दी जाने वाली विधाओं से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद को कितना स्वामित्व (रायल्टी) प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है; और

(ख) क्या भारत में अथवा भारत से बाहर गैर-भारतीय औद्योगिक सार्थों को भी स्वामित्व चुरा कर उन विधाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है जिनकी खोज हमारी गवेषणा प्रयोगशालाओं में की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) हा, श्रीमान् ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कौन से एक ही आविष्कार ने सब से अधिक कीमत दी है और उसे किस कम्पनी ने खरीदा है ?

†**श्री म० मो० दास:** : एक ही आविष्कार जिस से अधिकतम आय हुई है वह भारतीय कोयला (कार्बियन) से केटियन एक्सचेंज[10] बनाने की प्रणाली है । दो सार्थों को प्रणाली का पट्टा दिया गया उनके नाम डा० सी० ओट्टी ऐंड कम्पनी, कलकत्ता (जर्मन सार्थ), और मैसर्ज बर्ड ऐंड कम्पनी, कलकत्ता हैं और इस से हमें ७५,००० रुपये मिले ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह परिषद् केवल उन्हीं विधाओं की गवेषणा करता है जो बड़े उद्योगों में प्रयोग में लाये जाते हैं या कि यह कुटीर उद्योगों के लिये भी गवेषणा करता है ?

†**श्री म० मो० दास** : दोनों क्षेत्रों में गवेषणा की जाती है । अब तक हम ने बड़े उद्योगों के लिय ३७ गवेषणायें की हैं और ३५ विधाओं का प्रयोग साधारण व्यक्ति थोड़ी पूंजी लगा कर निःशुल्क कर सकते हैं ।

पिछड़े हुए क्षेत्र

†***१३४४. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार (१) केन्द्र द्वारा प्रशासित और चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिये (२) केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये और (३) विकास के अन्य प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र को किन आधारों पर पिछड़ा हुआ घोषित करती है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित करने का उपबन्ध संविधान में नहीं है इसलिये प्रश्न में अपेक्षित प्रयोजनों के लिये कसौटी की परिभाषा देना आवश्यक नही है ।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

[9]Inventions and Processing

[10]Cation Exchange

अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में स्कूल

†*१३४६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में अब तक कितने बुनियादी स्कूल खोले गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बुनियादी शिक्षा देने के लिये अब तक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) पांच ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) उन द्वीपों में इस समय बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह: अंडमान में एजुकेशन के सम्बन्ध में जो एन्क्वायरी कमेटी गई थी, उस ने यह रिकमेंड किया था कि वहां पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए । क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी है या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेम्बर महोदय ने बेसिक स्कूल्ज़ से हट कर हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का प्रश्न उठाया है । जहां तक मुझे मालूम है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्ज़ में हिन्दी शिक्षा का माध्यम है ।

श्री रघुनाथ सिंह : बेसिक टीचर्स जो भेजे गये हैं वे जामिया मिलिया से भेजे गये हैं जिनको की उर्दू का ही ज्ञान है, हिन्दी का ज्ञान नहीं है । इसके विपरीत वहां की जो आबादी है वह हिन्दी जानने वाली है । मैं जानना चाहता हूं कि जो कमेटी की रिकेमेंडेशंस थीं उनमें से एक यह भी थी कि शिक्षा का माध्यम वहां हिन्दी होना चाहिए और इस रिकेमेंडेशन को हुए कम से कम तीन साल हो गये हैं और उस पर क्यों नहीं अमल किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मालूम नहीं कि आनरेबल मेम्बर के पास यह इन्फार्मेशन कहां से आई । उनका सवाल यह था :--

> "क्या यह सच है कि बुनियादी शिक्षा देने के लिये अभी तक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये हैं ।"

और मैंने उत्तर दिया "हां, श्रीमान्" । बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये हैं । न जाने माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली कि प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं ।

सरदार अ० सिं० सहगल : १९५५ में जो कमेटी अंडमान तथा निकोबार गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षा को ठीक तरह से चलाने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किये जायें, क्या यह बात सत्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य यदि अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हूं। उस कमेटी की कितनी सिफारिशें मंजूर हो चुकी हैं और कितनी नहीं हुई हैं, यह एक अलग प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न करें।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेसिक शिक्षा.....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पहला घंटा गैर सरकारी होता है और माननीय सदस्य उसमें कई प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद सरकारी कार्य आरम्भ किया जाता है और सभा का नेता अथवा मंत्री ही समय बढ़ा सकते हैं परन्तु मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में आदिम जातियों के छात्र

†*१३३३. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला, त्रिपुरा, में स्थित कालेजों में जो आदिम जातियों के छात्र दाखिल होते हैं उनसे दाखिले की फीस ली जाती है;

(ख) त्रिपुरा संघ क्षेत्र के कालेजों में पढ़ने वाले आदिम जातियों के छात्रों को प्रति मास कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि आदिम जातियों के छात्रों को जो राशि दी जाती है उस से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]

बुनियादी शिक्षा

*१३४०. **श्री ब० प्र० सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुनियादी शिक्षा के लिये ली जाने वाली फीस के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ अनुदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बबीना सैना कैम्प, झांसी

†*१३४१. डा० सुशीला नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ में बबीना के निकट अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारित कर ली गई है;

(ख) "लेखे में" भुगतान की योजना कहां तक कार्यान्वित की गई है; और

(ग) इस से प्रभावित ३५०० कृषकों में से कितनों को दूसरी जमीनें दी गई हैं और उन्हें पुनः बसाया जा चुका है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई २० लाख रुपये की राशि में से राज्य सरकार द्वारा केवल २ लाख रुपये का वितरण किया गया है ।

(ग) विस्थापित कृषकों को बसाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा स्थान चुन लिया है । उन कृषकों की संख्या राज्य सरकार से मांगी गई है जिन्हें दूसरी जमीनें आवंटित कर दी गई हैं और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

विश्व स्काउट जम्बूरी

†*१३४५. श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि आगामी विश्व स्काउट जम्बूरी भारत में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पता चला है कि आगामी विश्व स्काउट जम्बूरी भारत में नहीं होगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

†*१३४७. श्री गणपति राम : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित बेकारों की वर्तमान संख्या को देखते हुए देश की शिक्षा पद्धति में कौन से परिवर्तन करने का विचार है ।

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण जिसमें यह बताया गया है कि देश की शिक्षा पद्धति में मुख्य मुख्य कौन से परिवर्तन करने का विचार है और कौन से किये जा रहे हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली स्कूल अध्यापकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां

†*१३४८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के लिये स्वीकृत की गई २०,००० रुपये की एक राशि वापस ले ली गई है और मंजूरी खारिज कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् । आयव्ययक में इसकी व्यवस्था की गई थी परन्तु दिल्ली वित्त विभाग ने व्यय की मंजूरी नहीं दी । इसलिये योजना कार्यान्वित नहीं की गई ।

लोहे की नालीदार चादरें

†*१३४९. श्री ले० अचौ सिंह : क्या इस्पात, खान और तेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जाति विकास विभाग ने ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत मनीपुर के आदिम जातियों के लोगों को राज सहायता प्राप्त दरों पर लोहे की नालीदार चादरें बांटी हैं;

(ख) यदि हां, तो लोहे की नालीदार चादरों के कितने गट्ठे आवंटित किये गये और बांटे गये; और

(ग) राज सहायता की क्या दर है और लोहे की नालीदार चादरों का आवंटन और वितरण किन आधारों पर किया गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर[11]

†*१३५००. { श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री नरसिंहन् :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में भारतीय विज्ञान संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) और (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Indian Institute of Science, Bangalore

लोक सहायक सेना के प्रशिक्षणार्थी

†*१३५१. श्री दामानी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने लोक सहायक सेना योजना के अन्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रतिज्ञा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) ३० जुलाई १९५७ तक २,०९,३९५ प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में से २,१०७ व्यक्तियों ने प्रतिज्ञा नहीं की ।

(ग) क्योंकि शपथ अपनी इच्छा होने पर ग्रहण की जाती है इसलिये उन व्यक्तियों को, जो प्रशिक्षण के बाद प्रतिज्ञा नहीं करना चाहते, ऐसा न करने का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं किया जाता ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकीय कालेज, कलकत्ता[१२]

†*१३५२. श्री घोषाल : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकीय कालेज, कलकत्ता में विभिन्न सरकारी गवेषणा प्रशिक्षण छात्रवृत्तिधारियों द्वारा एक ही विषय में लगातार गवेषणा कार्य जारी रखे जाने की कोई प्रणाली है जिस से कि निरन्तर विकास होता रहे; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम[१३]

†*१३५३. श्री बलराम कृष्णय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है जो केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किये जायेंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

दुर्गापुर से आदिम जाति के लोगों का विस्थापन[१४]

†*१३५४. श्री सुबोध हासदा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना करने के कारण दुर्गापुर क्षेत्र में से आदिम जातियों के बहुत से परिवारों को निकालना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो क्या बेदखली से पूर्व इन परिवारों के पास भूमि थी या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]College of Science Technology, Calcutta
[१३]Central Government Undertakings
[१४]Displacement.

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). इस्पात के कारखाने के लिये भूमि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अर्जित की है । व्योरा उपलब्ध नहीं है । बहुत से परिवार विस्थापित हुए हों ऐसी बात तो नहीं है ।

कच्चे लोहे[15] का संभरण

†*१३५५. श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री थानू पिल्ले :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५६–५७ में मद्रास राज्य में ढलाई के कारखानों को कच्चे लोहे के संभरण में कुछ कमी की गई थी; और

(ख) कितने प्रतिशत कमी की गई और उसके क्या कारण थे ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). देश में कच्चे लोहे की सामान्य कमी के कारण समस्त मांग पूरी नहीं की जा सकी । १९५६–५७ में आवंटन लगभग मांग का ५९ प्रतिशत था जबकि १९५५–५६ में केवल ४२ प्रतिशत था । मद्रास से कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं किया गया ।

कच्चे लोहे के अभ्यांश

१३५७. श्री मतीन : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) क्या उन्हें यह विदित है कि १९५७ की दूसरी तिमाही में कच्चे लोहे के अभ्यंश रद्द कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कच्चे लोहे की अत्यधिक कमी होने के कारण ऐसा करना जरूरी था;

(ग) गत पांच वर्ष में भारत से कितना कच्चा लोहा निर्यात किया गया है;

(घ) रूस से आयात किये गये कच्चे लोहे पर भारतीय बन्दरगाह तक लाने के खर्च को मिला कर उस पर औसतन प्रति टन कितनी लगत आई;

(ङ) कच्चे लोहे की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये १९५७ में कितना आयात करना पड़ेगा; और

(च) कच्चे लोहे की वर्तमान कमी का, जो आयात से पूरी नहीं हो सकी, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Pig Iron

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । २/५७ में कोई नियमित आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि मुख्य उत्पादकों को पहले दिये गये आवंटनों का संभरण करना अभी बाकी था और आयात कम हो रहा था । जिन प्रमुख उद्योगों और ढलाई के कारखानों को पहले आवंटन का संभरण किया जाना था उन्हें तीन मास से कम समय की आवश्यकताओं के लिये आवंटन किया गया था ।

(ग) ८८,८२१ टन

(घ) भारतीय बन्दरगाहों तक लागत, बीमा, भाड़ा समेत ३३७ रुपये प्रति मीट्रिक टन ।

(ङ) लगभग २००,००० टन ।

(च) किसी विशेष प्रभाव की आशंका नहीं है ।

असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा[16]

†*१३५८. श्री श्रीनारायण दास : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय मंत्रणा समिति की इन सिफारिशों पर विचार किया है कि असमर्थ व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय और विशेष स्कूल खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भुगतान अवशेष[17]

†*१३५९. डा० राम सुभग सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के साथ भारत के भुगतान अवशेष की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यदि यह प्रतिकूल है, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी—मार्च १९५७ तिमाही में, जिसके भुगतान अवशेष सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं, पश्चिमी जर्मनी के साथ चालू लेखे में ३१.४ करोड़ रुपये का घाटा था ।

(ख) हाल ही में आयात सीमित करने और निर्यात बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही से यह अन्तर पूरा होने की सम्भावना पाई जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16] Education of the Handicapped

[17] Balance of Payments

बुनियादी और प्रचलित शिक्षा

*१३६०. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों को कोई मान्यता दी है ताकि उन्हें प्रचलित शिक्षा के समकक्ष माना जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों के ध्यान में लाई गई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

उत्कल विश्वविद्यालय योजना

†*१३६१. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५६ के उत्कल विश्वविद्यालय योजना सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दौरा करने वाली आयोग ने उन योजनाओं पर कोई सिफारिशें दीं जो उसके पास परीक्षण करने और प्रतिवेदन देने के लिये भेजी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग

*१३६२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग की हिमालय पर्वतारोहण संस्था के तत्वावधान में हाल ही में एक पर्वतारोही दल ने गढ़वाल जिले में हिमालय के नन्दादेवी पर्वत शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल में कौन कौन से व्यक्ति थे और उन्हें अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली;

(ग) क्या उस पर्वतारोहण प्रयत्न के बारे में एक संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(घ) उस अभियान पर कुल कितना धन व्यय हुआ; और

(ङ) सरकार ने उस दल को इस कार्य के लिये कितनी वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, संस्था के एक उच्च प्रशिक्षण कोर्स के एक भाग के रूप में ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(घ) लगभग २२,००० रुपये ।

(ङ) साज सामान के कुछ मद संस्था को उधार दिये गये थे । पर्वतारोही-यात्रा दल को सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कोई सहायता नहीं दी गई ।

जापान के इस्पात के कारखाने

†*१३६३. **श्री दामानी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के इस्पात के कारखानों ने कम दामों पर इस्पात की वस्तुयें बेचना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) कुछ प्रकार के इस्पात का मूल्य गिरने के बाद जापान से सरकार की ओर से कोई इस्पात नहीं खरीदा गया है । मालूम नहीं भारत में आयात करने वालों ने अपने लाइसेंसों पर जापानी इस्पात खरीदा है या नहीं ।

(ख) कोई विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तम्बाकू विशेषज्ञ समिति

†*१३६४. { **श्री बलराम कृष्णय्या :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब भेजा गया था;

(ख) इसमें मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) तम्बाकू विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सरकार को ३० मार्च, १९५७ को भेजा गया था ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि ताप से सुखाये हुए (फ्लू-क्योर्ड) तम्बाकू के अतिरिक्त अन्य किस्म के तम्बाकू के सम्बन्ध में, बीड़ियों के निर्माण में प्रयोग के "योग्य होने"[१८] के माप-दंड की बजाय, निर्धारण के लिये "भौतिक रूप"[१९] का माप दंड अपनाया जाये ।

(ग) यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है और उसे वित्त विधेयक, १९५७ (लोक सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५७ को पारित किया गया) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१८]Capability
[१९]Physical Form

उत्तर गढ़वाल में गंधक के निक्षेप

†*१३६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर गढ़वाल के चमोली सब डिवीजन पट्टी नन्दक और गांव सीतुल के निकट गंधक के निक्षेप पाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : इस क्षेत्र में गंधक के कोई ऐसे निक्षेप नहीं मिले हैं जिनका कोई आर्थिक महत्व हो। पता चला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के श्री बी० एस० तिवारी ने यह दावा किया है कि उन्होंने नन्द प्रयाग से लगभग ३० मील दूर मनेला वन के पड़ोस में रूपगंगा घाटी में मिती उद्यार से गंधक के निक्षेपों का पता लगाया है। भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण इस जानकारी का अनुसन्धान कर रहा है।

दार्जिलिंग में कोयले के निक्षेप

†*१३६६. **श्री सुबोध हासदा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भूतत्वीय सर्वेक्षण ने पश्चिमी बंगाल राज्य के जिला दार्जिलिंग और जलपायगुडी में कोयले के एक बहुत बड़े निक्षेप का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेप में कोयले की मात्रा का क्या अनुमान है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९५४–५५ में दार्जिलिंग जिले में दामुदा कोयला क्षेत्र और १९४८–४९ में जलापायगुडी जिले में कोयला सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान किया था।

दार्जिलिंग जिला में कोयला क्षेत्र की चौड़ाई एक फर्लांग से ले कर १½ मील तक है और हिमालय की तलहटियों में ३३ मील तक पाया जाता है। कोयले की तहों की मोटाई और किस्मों में अन्तर है।

जलपायगुडी जिला में केवल लिग्नाइट का पता चला है परन्तु वह घटिया किस्म का है।

(ख) दार्जिलिंग जिले में अभी प्रारम्भिक अनुसन्धान किया गया है। छिद्र करने के साथ साथ विस्तृत रूप से खोज किये बिना मात्रा का अनुमान बताना सम्भव नहीं है।

कोयला निर्यात

†*१३६७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में हमारे कोयला निर्यात के लिये किन्हीं नये बाजारों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) कोयला निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां। १९५७ में दो नये बाजारों का विकास किया गया था और वे हैं इथोपिया और सैगोन। इनके अतिरिक्त, हांगकांग को, जो गत कुछ वर्षों से बाजार नहीं रहा था, १९५७ में पुनः प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) सरकार ने भारत से माल के निर्यात और सेवायें बढ़ाने के लिये फरवरी, १९५७ में एक निर्यात संवर्धन समिति नियुक्त की थी। वह समिति कोयला निर्यात के प्रश्न की भी जांच कर रही है। उसका प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १९५६ में और १९५७ के पहले छै महीनों (जनवरी-जून) में निर्यात किये गये कोयले की मात्रा दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*१३६८. **श्री राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

पश्चिमी बंगाल की भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियां[20]

†*१३६९. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य को पश्चिमी बंगाल की भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियों के सुधार के लिये वर्ष १९५६–५७ में सहायतार्थ अनुदान के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ख) क्या समस्त राशि उनके सुधार में लगा दी गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) राज्य सरकार को १९५६–५७ में भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियों के कल्याण के लिये ४२,००० रुपये की राशि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत और १०,००० रुपये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किये गये थे।

(ख). केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अनुदान काम में आ गया था और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ३५,८३३ रुपये काम में लाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[20]Ex-criminal Tribes of West Bengal

बर्दवान के समीप तेल के लिये छिद्रण[२१]

†*१३७०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम शंकर लाल :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुबोध हासदा :
श्री प्र० के० देव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान के समीप तेल के लिये किया गया छिद्रण (ड्रिलिंग) ५० लाख रुपये से अधिक खर्च करने के पश्चात् छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) केन्द्रीय सरकार के साथ एक करार के अन्तर्गत, जो संयुक्त संचालनों की लागत का २५ प्रतिशत देती है, स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कंपनी पश्चिमी बंगाल डेल्टा में तेल के लिये विस्तृत अनुसन्धानात्मक सर्वेक्षण कर रही है। १८-४-५७ को उन्होंने बर्दवान के निकट प्रथम परीक्षात्मक छिद्रण (ड्रिलिंग) प्रारम्भ किया। ८६२१ फीट की गहराई पर पहुंचने के पश्चात् उस कुएं को ६-८-५७ को छोड़ देना पड़ा। छिद्रण की मशीन गालती[२२] के निकट दूसरे परीक्षा-स्थल पर ले जाई जा रही है जो अगले परीक्षात्मक कुएं के लिये चुना गया है।

अभी तक किये गये छिद्रण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान ४३ लाख रुपये लगाया जाता है जिस में अवक्षयण प्रभार भी सम्मिलित हैं।

(ख) कुएं को इस कारण छोड़ देना पड़ा कि एक अग्निमय चट्टान[२३] बीच मे आगई थी और उसमें लगभग ६०० फीट अन्दर पहुंचने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया कि नीचे की चट्टानों में तेल मिलने की और कोई संभावना नहीं है।

मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का संभरण

†१०४१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष १६५५, १६५६, १६५७ में अलग अलग लोहे की नालीदार चादरों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये;

(ख) उनमें से कितने प्रार्थनापत्र नामंजूर किये गये हैं और कितने प्रार्थियों को परमिट प्रदान किये गये हैं;

(ग) मनीपुर का क्रमशः १६५५, १६५६ और १६५७ का लोहे की नालीदार चादरों का कोटा अलग अलग कितना है; और

(घ) क्या ये मात्रायें सरकार की और जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिये पर्याप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२१]Drilling

[२२]Drilling Rig

[२३]Igneous Rock

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क)और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

(ग) चूंकि आवण्टन श्रेणीवार नहीं किये जाते हैं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इस्पात के संभरण की कमी के कारण विभिन्न राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकी हैं ।

मैसूर को सहायता

†१०४२. श्री सुगन्धि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये अपने विकास कार्यों के संचालन के लिये अनुदान और ऋणों के रूप में २० करोड़ रुपये आवण्टित किये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त आवण्टनों में कुछ कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) नहीं, श्रीमान् । ऐसा मालूम होगा कि दूसरी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान में (१९५६-५७) मैसूर को सहायता के लिये विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ६.४८ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (अनुदानों और ऋणों को सम्मिलित करते हुए) का उपबन्ध किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, मैसूर

†१०४३. श्री सुगन्धि : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के विस्तार कार्यक्रम में एलॉय और इस्पात-औजार संयंत्र और स्टेनलैस स्टील संयंत्र स्थापित करने की योजनायें सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर की सरकार से इन कार्यों को निकाल देने के लिये कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मैसूर सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की छानबीन करने के पश्चात् योजना आयोग ने यह निर्णय किया कि इस योजना को निकाल दिया जाना चाहिये ।

(ग) मुख्य कारण यह था कि प्रविधिक विशेषज्ञों की राय में इन विशेष इस्पातों का एक सर्वतोमुखी इस्पात कर्मशाला में निर्माण किया जाना अधिक सुविधाजनक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा । लोहे की साफ कतरन और ताप के लिये अतिरिक्त गैसों, सामान्य उपरिव्यय आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी तुरन्त उपलब्ध होंगी जो उत्पादन की लागत को कम कर देंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में अन्य पिछड़े हुये वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

†१०४४. **श्री पोकर साहब :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में १६५६–५७ में केन्द्रीय सरकार की अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये निर्धारित निधि में से कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलीं; और

(ख) उन में से मोपला विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें ये छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). १६५६–५७ में छात्रवृत्तियां राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व के राज्यों के अनुसार दी गयी थीं। अस्तु केरल के सम्बन्ध में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जहां तक भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य का सम्बन्ध है, १६५६–५७ में "अन्य पिछड़े हुए वर्गों" के अभ्यर्थियों को ६८३ छात्रवृत्तियां दी गईं थीं। इन में से ५३ मुसलमान थे। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन में से कितने मोपला विद्यार्थी थे क्योंकि १६५६–५७ में त्रावनकोर-कोचीन में मुसलमान सम्प्रदाय इन छात्रवृत्तियों के प्रयोजन के लिये सामान्यतः "अन्य पिछड़े हुए वर्गों" से संबंधित माना जाता था और इसलिये मुसलमान विद्यार्थियों को अपने प्रार्थनापत्रों में अपनी उप-जाति नहीं लिखनी पड़ती थी।

मिलिटरी कालेज, देहरादून

†१०४५. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेगुलर आर्मी के कितने कर्मचारियों ने मिलिटेरी कालेज, देहरादून में प्रवेश के लिये १६४८ के बाद वर्षवार प्रार्थनापत्र दिये;

(ख) सेना के कितने कर्मचारी इस अवधि में मिलिटेरी कालेज में वर्ष-वार दाखिल किये गये;

(ग) उन्हें इन्टरव्यू की तैयारी करने के लिये क्या विशेष सुविधायें, जैसे विशेष लेक्चर आदि, यदि कोई हों, दी गई थीं;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में वर्णित सुविधायें प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को भी दी गई थीं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और आवश्यक जानकारी के इकट्ठा करने में जितना समय लगेगा और व्यय होगा उसकी अपेक्षा परिणाम से होने वाला लाभ नगण्य है।

(ख) मिलिटरी कालेज (जो पहले मिलिटरी विंग और १६४८ व १६४६ में आई० एम० ए० एफ० ए० कहलाता था) में दाखिल किये गये रेगुलर आर्मी के कर्मचारियों की इस अवधि में वर्षवार संख्या से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

पाठयक्रम	दाखिलों की संख्या
४था आई० एम० ए०—जनवरी ४८	४
५वां आई० एम० ए०—जुलाई ४८	५

†मूल अंग्रेजी में

पाठ्यक्रम	दाखिलों की संख्या	
६वां आई० एम० ए०—जनवरी ४९	१०	
७वां ए० एफ० ए०—अगस्त, ४९	३	
८वां एम० डब्लू०—फरवरी ५०	१	
९वां एम० डब्लू०—जुलाई ५०	४	
१०वां एम० डब्लू०—जनवरी ५१	१	
११वां एम० डब्लू०—अगस्त ५१	५	
१२वां एम० डब्लू—जनवरी ५२	२	
१३वां एम० डब्लू०—अगस्त ५२	२९	
१४वां एम० डब्लू०—जनवरी ५३	१७	
१५वां एम० डब्लू०—जुलाई ५३	१८	
१६वां एम० डब्लू०—जनवरी ५४	१५	
१७वां एम० डब्लू०—जुलाई ५४	९	
१८वां एम० डब्लू—जनवरी ५५	११	**
१९वां एम० डब्लू०—जुलाई ५५	१८	
२०वां एम० सी०—जनवरी ५६	२०	
२१वां एम० सी० —जुलाई ५६	१९	
२२वां एम० सी०—जनवरी ५७	१७	
२३वां एम० सी०—जुलाई ५७	२८	

(**—अंक रेगुलर आर्मी के कर्मचारियों के, मिलिटेरी कालेज में ऐसे कर्मचारियों के लिये आरक्षित रिक्तताओं में, किये गये दाखिलों की संख्या से सम्बन्धित है ।)

(ग) संभावित अभ्यार्थियों को, जो मिलिटेरी कालेज में प्रवेश के लिये प्रार्थनापत्र देने के लिये सब तरह से योग्य हों, अपने यूनिटों में चुनाव के लिये अपने को तैयार करने की सुविधायें दी जाती हैं। उन्हें कुछ समय तक सामान्य तथा व्यवसायिक विषयों में अध्ययन करने का मौका दिया जाता है जिन में सामान्य जानकारी और सामयिक मामलों पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्हें अपने व्यक्तित्व, भौतिक क्षमता और आदेश तथा नियंत्रण की शक्तियों का विकास करने के अवसर भी दिये जाते हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

†१०४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अभी तक भारत में कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल आये हैं;

(ख) इसी समय में विदेशों के साथ कितने सांस्कृतिक समझौते किये गये तथा वे किस प्रकार के हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रतिनिधि मंडलों पर कितना व्यय किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक ।

(ख) दो; पौलैंड और रूमानिया के साथ । इन सांस्कृतिक करारों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों का आवागमन; एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये सहायता और सुविधाओं; एक दूसरे के राज्य-क्षेत्र में सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना; सरकारी कर्मचारियों के वैज्ञानिक, प्रविधिक और औद्योगिक संस्थाओं में पारस्परिक प्रशिक्षण आदि का उपबन्ध है ।

(ग) १५,१४७ पये मंजूर किये गये थे; लेखों को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है ।

पश्चिमी बंगाल सीमांत पर तस्कर व्यापार

†**१०४७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अभी तक पश्चिमी बंगाल सीमान्त पर कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) जब्त की गई वस्तुयें कुल कितने मूल्य की हैं ;

(ग) उन में प्रमुख वस्तुयें क्या हैं ; और

(घ) कितने तस्कर व्यापारी दोषी ठहराये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जनवरी से जुलाई १९५७ तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल सीमान्त पर केवल ४ तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) उस अवधि में जब्त की गई वस्तुयें कुल ५,५४,५४५ रुपये की हैं ।

(ग) प्रमुख वस्तुयें सोना, चांदी और सुपारी हैं ।

(घ) इस अवधि में दो व्यक्तियों पर न्यायालय में अभियोग चलाया गया था । उनके अभियोग चल रहे हैं ।

सैनिक स्कूल, देहरादून

†**१०४८. श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल, देहरादून में वर्ष १९४७ से १९५६ तक वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थी दाखिल किये गये; और

(ख) सैनिक स्कूल में दाखिला प्राप्त करने के लिये उन्हें क्या रियायतें दी गईं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) सैनिक स्कूल में दाखिला पाने के लिये उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई थी । लेकिन उन जातियों के उपयुक्त लड़कों को आकर्षित करने के लिये यह उपबन्ध पहले से मौजूद है कि उन जातियों के चुने गये अभ्यर्थियों से फीस ७५० रुपये प्रतिवर्ष की रियायती दर से ली जाये जबकि अन्य विद्यार्थियों से, जिनके माता-पिता/संरक्षक यह लिख कर देते हैं कि उनके लड़के/पाल्य[२४] सशस्त्र बल में भरती होंगे, १५०० रुपये प्रतिवर्ष लिये जाते हैं । यह रियायत इस समय समस्त कोर्स की अवधि के लिये एक समय में दो अभ्यर्थियों तक प्रतिबन्धित है ।

मूल अंग्रेजी में

[२४]Wards

बोनस अंश[25]

†१०४९. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस के निगर्मन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) गत ३ वर्षों में कौन कौन सी कम्पनियों को और कितनी राशि के बोनस अंश निर्गमित करने की आज्ञा दी गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क). यद्यपि बोनस के निगर्मन के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर उसके महत्व के अनुसार विचार करना होता है, सरकार की सामान्य नीति निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अपने को संतोष कराने की है—(१) बोनस अंशों के निर्गमन से अधिपुंजीयन नहीं होगा, (२) कम्पनी के पास पुंजीयन के पश्चात् पर्याप्त रक्षित पूंजी बची रहेगी और (३) निगर्मन के उचित कारण हों।

(ख) १९५४, १९५५ और १९५६ वर्षों में बोनस अंशों के निर्गमन के लिये २१९ कम्पनियों को लगभग २४.८६ करोड़ रुपये की कुल राशि के लिये अनुमति दी गई थी।

आदिम जाति संस्कृति तथा साहित्य

†१०५१. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संगीत नाटक अकादमी और आकाशवाणी द्वारा आदिम जाति संस्कृति और साहित्य के अखिल-भारतीय तथा राज्य-स्तरों पर विकास के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जहां तक संगीत नाटक अकादमी का सम्बन्ध है, वह लोक नृत्य समारोहों, लोकगीतों के कार्क्रमों की व्यवस्था द्वारा और आदिम जाति नृत्य तथा संगीत का रिकार्डिंग करने और सर्वेक्षण करने के लिये सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे कर आदिम जाति संस्कृति तथा साहित्य के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से योग दे रहा है।

पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग का प्रतिवेदन

†१०५२. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ और १९५६-५७ के दो वर्षों में से प्रत्येक में केन्द्रीय सचिवालय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों की कितनी नियुक्तियां की गईं और उनमें से कितने व्यक्ति (१) अनुसूचित जातियों, (२) अनुसूचित आदिम जातियों और (३) अन्य पिछड़े वर्गों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें पत्री-वर्ष १९५५ में की गई नियुक्तियों की कुल संख्या दी गई है और यह बताया गया है कि उन में से कितनी नियुक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों में से हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३**] पत्री वर्ष १९५६ के सम्बन्ध में समान आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और लोक-सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। इस समय अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं में कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[25] Bonus Shares.

कच्छ के रेगिस्तान से होकर तस्कर व्यापार

†१०५३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन कच्छ के रेगिस्तान से हो कर भारत आ गये हैं और सौराष्ट्र तथा गुजरात के अन्य भागों में चोरी छिपे सोना ले आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कच्छ के रेगिस्तान से हो कर पाकिस्तान से होने वाले तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या करने का विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने कच्छ के रेगिस्तान से हो कर भारत में प्रव्रजन करने का प्रयत्न किया है परन्तु ऐसे राष्ट्रजनों द्वारा चोरी छिपे सोना लाये जाने के किन्हीं भी मामलों की खबर नहीं मिली है ।

(ख) तस्कर व्यापार रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न और धीरे धीरे गहन कदम उठाये जा रहे हैं ।

राज्यों को ऋण

†१०५४. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **वित्त** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य द्वारा पूंजी व्यय के लिये ऋणों के रूप में कितनी राशियां ली गई हैं ;

(ख) वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर क्या है और पुनर्भुगतान की शर्तें क्या हैं ;

(ग) कितने राज्य नियमित रूप से ब्याज का भुगतान कर रहे हैं ; और

(घ) क्या किन्हीं राज्यों ने उस समय तक के लिये जब तक पूंजी परियोजनाओं से आय होने लगे, ब्याज को पूंजी लेखे में जोड़ देने का अनुरोध किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) राज्य सरकारों को प्रदान किये जाने वाले अधिकांश ऋण पूंजी व्यय के लिये हैं । एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें गत तीन वर्षों में दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋण दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४**]

(ख) ब्याज की दर प्रत्येक मामले में ऋण की अवधि और मंजूरी के समय के बाजार भाव के आधार पर निश्चित की जाती है । प्रत्येक मामले में पुनर्भुगतान की शर्तें भी ऋण के प्रयोजन के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं ।

(ग) कोई बड़ी चूकें देखने में नहीं आई हैं ।

(घ) निर्माण की अवधि के दौरान में ब्याज का पंजीयन करने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा कुछ मामलों में किया गया है ।

अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रतिवेदन

†१०५५. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के राज्यपालों ने अपने सम्बन्धित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में वर्ष १६५६ के विशेष प्रतिवेदन भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में आदिवासी जीवन के किस पहलू के सम्बन्ध में चर्चा की गई है ; और

(ग) सरकार का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी तक केवल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्ष १९५६ का प्रतिवेदन भेजा है। अनूसूचित क्षेत्रों वाले अन्य राज्यों को अपने प्रतिवेदन भेजने के लिये लिखा गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त १९५६ के प्रतिवेदन में आदिवासी जीवन के समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की गई है और उससे इस बात का आभास मिलता है कि इस वर्ष में आंध्र में आदिवासियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये क्या किया गया है।

(ग) सरकार आदिवासियों का कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों का विकास करने को उत्सुक है।

लोक सहायक सेना

†१०५६. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अभी तक मद्रास में लोक सहायक सेना के कितने अनुदैशिक दल[1*] कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त आदमियों को उचित काम में लाने की क्या योजना, यदि कोई हो, है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) दो।

(ख) राज्य सरकार से इन आदमियों को आपात काल में अथवा बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं, सामुदायिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों आदि जैसे राष्ट्रीय विकास कार्यों में उचित काम में लाने के लिये एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने अभी तक अपनी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

अपर डिवीजन क्लर्कों की परीक्षा

†१०५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अपर डिवीजन क्लर्कों की परीक्षा (अगस्त, १९५६) में अधिकांश विभागीय अभ्यर्थी, उनकी आचरणावलियों पर विचार किये जाने के पश्चात्, अन्तिम रूप से असफल घोषित कर दिये गये थे, यद्यपि इन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में ली जाने वाली विभागीय असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी पहली सभी परीक्षाओं में समान प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिये लोअर डिवीजन क्लर्कों के चुनाव की विभागीय परीक्षा के दो भाग होते हैं : एक लिखित भाग जिस के २०० अंक होते हैं जिसके बाद उन अभ्यर्थियों की आचरणावलियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके १०० अंक होते हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के मतानुसार लिखित भाग में पर्याप्त योग्यता प्रदर्शित की होती है। आचरणावलियों के मूल्यांकन के लिये कोई पृथक अर्हता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी परीक्षा के

मूल अंग्रेजी में

[1*] Instructional Teams.

परिणाम के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों की केवल एक सूची जारी की गई थी और यह अभ्यर्थियों द्वारा लिखित भाग और आचरणावलियों के मूल्यांकन में प्राप्त किये गये कुल अंकों पर आधारित थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). प्रस्तावित विभागीय असिस्टेंट्स ग्रेड परीक्षा की योजना पर अभी भी संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

असिस्टेंट ग्रेड में पदोन्नति

†१०५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ व्यक्तियों की असिस्टेंटों के वर्ग में १६५३ से भूतलक्षी प्रभाव दे कर पदोन्नति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस में कितना अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के उन पदों पर काम न करने पर भी ऐसी भूतलक्षी पदोन्नतियां करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

साहित्यिक कर्मशालायें[२७]

†१०५६. **श्री सूपकार** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभी तक कितनी साहित्यिक कर्मशालायें स्थापित की गई हैं तथा वे किन किन स्थानों में हैं ; और

(ख) क्या ऐसी कर्मशालाओं पर फैक्टरी अधिनियम लागू होता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)**: (क) अभी तक सोलह कर्मशालायें संगठित की गई हैं। इन में से ग्यारह नव-शिक्षितों के लिये लिखने की कला में लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिये थीं और वे अलीपुर, मैसूर, पनहेल, शांतिनिकेतन में १६५३–५४ में, भोर, त्रिवेन्द्रम, पीलमेदु, बेनीपुर में १६५५–५६ में ; और शिलांग, तिरुकलुकुन्द्रम और कटम में १६५६–५७ में आयोजित की गई थीं। पांच कर्मशालायें लेखकों को बच्चों के लिये लिखने की कला में प्रशिक्षण देने के लिये राजमुन्दरी में १६५५–५६ में और भोर, त्रिवेन्द्रम, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली में १६५६–५७ में आयोजित की गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

बहुप्रयोजनीय परियोजनायें

†१०६०. **श्री संगण्णा** : क्या गृह-कार्य मंत्री २६ मई, १६५६ को आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों की बहुप्रयोजनीय योजनाओं के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में और आगे क्या कायवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: नैनीताल में हुए विकास आयुक्तों के पांचवें सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय की गई बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के बजट प्रतिरूप की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७]Literary Workshops.

दिल्ली में प्रिंसिपलों और शिक्षकों की पदोन्नति

†१०६१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों के कुछ एक सहायक उपनिरीक्षकों को, जिनकी सेवा-अवधि भी थोड़ी सी ही थी और जिन्होंने अभी पहली वेतन वृद्धि भी प्राप्त नहीं की थी, प्रिंसिपलों के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि उनसे वरिष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षकों को उपेक्षित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रसायन शास्त्र के कुछ एक स्नातकोत्तर शिक्षकों को चुना गया है और उन्हें उतना ही मूल वेतन दिया गया है जितना कि वे सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में प्राप्त कर रहे थे, परन्तु अन्य शिक्षकों द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में की गयी सेवा को मान्यता नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ; उनके लिये रक्षित किये गये कुछ प्रतिशत स्थानों पर ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रिंसिपलों के वे स्थान अस्थायी रूप से भरे गये हैं और वे यथा समय विभागीय पदोन्नति समिति और संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा प्रसारित वार्ता

†१०६२. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० वी० के० आर० वी० राव, ने हाल ही में आकाशवाणी, दिल्ली से—बी० बी० सी० के द्वारा ब्रिटिश श्रोताओं के लिये रिले की जाने के लिये—"ब्रिटेन भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे सहायता दे सकता है", विषय पर एक वार्ता प्रसारित की थी; और

(ख) क्या यह वार्ता भारत सरकार के कहने पर प्रसारित की गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) बी० बी० सी० द्वारा रिले की गयी इस वार्ता का शीर्षक "भारत की वर्तमान वित्तीय समस्या" था ।

(ख) जी, नहीं ।

सेना चिकित्सा दल[२८]

†१०६३. **श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कमीशन प्राप्त पदाधिकारी सेना चिकित्सा सेवा के रसोइयों से अपने निजी घरों में काम कराते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने अर्दलियों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को, वारिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उनके प्रति किये जाने वाले अवैध कार्यों से बचाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२८]Army Medical Corps.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा का अवैध उपयोग करने के बारे में अभी तक कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। अतः ऐसा प्रायः नहीं हुआ करता ।

ग्रामीण उधार[२९]

१०६४. **श्री श्रीनारायण दास :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण उधार की जिम्मेदारी भारत के रक्षित बैंक से हटा कर भारत के राज्य बैंक को सौंप देने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन परिस्थितियों के कारण सरकार को ऐसी प्रस्थापना पर विचार करना पड़ा ;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों और समाज के अन्य संघटित निकायों से राय मांगी गयी है ;

(घ) यदि हां, तो अभी तक क्या राय प्राप्त हुई है ;

(ङ) क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय गिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). इस दृष्टि से कि रक्षित बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में अपने सभी कार्यों की ओर ध्यान दे सके, कृषि उधार संबंधी सभी कार्यों को, जिन्हें इस समय रक्षित बैंक चला रहा है, राज्य बैंक को सौंप देने की एक प्रस्थापना पर विचार किया गया था। उस के परिणाम स्वरूप, यह निर्णय किया गया कि फिलहाल व्यवस्था के मूलरूप में परिवर्तन न किया जाये और राज्य बैंक, काश्तकारों की माल तैयार करने और उसे बेचने संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण संबंधी सुविधायें देने में अधिक रुचि लेने के औचित्य पर विचार करे ।

(ग) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ज़िरातिया भूमि[३०]

†१०६५. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने ज़िरातिया किसान (पाकिस्तानी राष्ट्रजन) हैं जिन के पास इस समय त्रिपुरा में भूमि है ; और

(ख) त्रिपुरा में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के स्वामित्व में कुल कितने एकड़ भूमि है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १८,७३३ ।

(ख) ३६,८८६,६० एकड़ ।

---

†मूल अंग्रेजी ।

[२९]Rural Credit.

[३०]Jiratia Land.

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षक

†१०६६. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में ११वीं कक्षा तक कामर्स या नागरिक शास्त्र (सिविक्स) या जीव विज्ञान (बायलौजी) या कृषि विज्ञान (एग्रीकल्चर) पढ़ाने वाले ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति के समय उनकी अर्हतायें निर्धारित अर्हताओं के अनुसार नहीं थीं और उस समय वे न ही आठ वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित बी० ए० (आनर्स) थे और न ही १२ वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित बी० ए० पास थे, परन्तु फिर भी जिन्हें २००—४०० रुपये के वेतन में नियुक्त कर दिया गया था ; और

(ख) इन शिक्षकों को किन परिस्थितियों या किन नियमों के अधीन १२०—३०० के स्थान पर २००—४०० रुपये के वेतन क्रम में रखा गया था ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में शिक्षकों को अवकाश-वेतन[31]

†१०६७. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को, बिना इस बात का विचार किये कि उन्होंने अवकाश से पहले कितने समय के लिये पढ़ाया था, ग्रीष्मावकाश का पूरा वेतन अदा किया जाता है, जब कि सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को उन्हीं परिस्थितियों में पूरा वेतन नहीं दिया जाता ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के लेखा पदाधिकारी ने सहायता प्राप्त स्कूलों के ऐसे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश काल के लिये पूरे वेतन देने के लिये सहायक अनुदान देने से इन्कार कर दिया है, जब कि उन्हीं परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पूरा वेतन दिया जाता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

त्रिपुरा में हाथियों का उत्पात

†१०६८. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नलिचारा (त्रिपुरा) में जंगली हाथी बड़ा उत्पात मचा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में जंगली हाथी धान को बर्बाद कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां के ग्राम वासियों को खुले तौर पर हथियार रखने के लिये लाइसेंस प्रदान करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[31]Vacation Salary.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, परन्तु फ़सल की रक्षा के लिये उन्हें उदारता से लाइसेंस दिये जाते हैं ।

चोरी छिपे लाये गये जवाहरात[32]

†१०७०. **श्री हेडा :**
श्री कासलीवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी छिपे लाये गये जवाहरात की खोज करने की दृष्टि से पिछले पांच वर्षों में जयपुर शहर में कुल कितने छापे मारे गये ;

(ख) इन छापों में कितनी कीमत के जवाहरात पकड़े गये ;

(ग) क्या बाद में उन के विरुद्ध कोई अभियोग चलाये गये थे ;

(घ) उनके संबंध में न्यायालय के क्या क्या निर्णय थे ;

(ङ) क्या इन छापों में जवाहरात के अतिरिक्त नकद रुपया या और कोई वस्तु भी पकड़ी गयी ; और

(च) क्या उन मुहरबन्द आयात कृत्रिम रत्नों को जिन का उल्लेख आयकर ब्यौरे[33] में दे दिया गया था, जब्त नहीं किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) चोरी छिपे लाये गये जवहरातों की खोज की दृष्टि से पिछले पांच वर्षों में जयपुर शहर में ११ बार छापे मारे गये थे ।

(ख) इन छापों में ३,००,८०३ रुपये की कीमत के जवाहरात पकड़े गये ।

(ग) किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाया गया ।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) इन छापों में जवाहरात के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कुर्क नहीं की गयी थी ।

(च) ऐसे कोई रत्न जब्त नहीं किये गये थे ।

संघ लोक सेवा आयोग

१०७१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षातकार के लिये बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिये आयोग की ओर से ठहरने की कोई व्यवस्था की जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[32]Smuggled Jewellery.
[33]Income-tax Returns.

अन्दमान द्वीप समूह

†१०७२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अप्रैल, मई में तथा जून के मध्य में अन्दमान द्वीप समूह में पानी का कोई अभाव रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या १९४७ के बाद कोई नयी जल संभरण योजना प्रारम्भ की गयी थी ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में नोटिफाइड एरिया में सरकारी ट्रकों के द्वारा पीने का पानी पहुंचाने में कुल कितना खर्च आया था ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी, हां । उन महीनों में वर्षा के न होने के कारण इन द्वीपों में जलाभाव रहा है ।

(ग) १९४७ से लेकर आज तक अन्दमान में जल संभरण संबंधी निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं :

(१) लगभग २२,५५,००० रुपये की लागत वाली पहाड़गांव नामक योजना की जांच की गयी थी, परन्तु वह योजना उपयुक्त नहीं समझी गयी ।

(२) धनीखटी योजना, जिसकी जांच तो पूरी हो चुकी है का अभी विस्तार पूर्वक अधस्तल समन्वेषण[१४] होना है ।

(३) डेरी फार्म के निकट ३ लाख ९७ हज़ार रुपये के खर्च की एक और जल संभरण योजना पर भी विचार किया जा रहा है ।

(४) ग्रामीण क्षेत्रों में एक तालाब और १८ नये कुएं बनाये गये हैं ।

(५) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्रों में इस समस्या को सुलझाने के लिये नलकूप बनाने की संभावना की खोज करने के लिये एक भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का भी विचार है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) ५,८७८ रुपये ।

अन्दमान द्वीप समूह में वर्षा

†१०७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान द्वीपों में वर्ष भर में कितनी वर्षा होती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** वहां का पिछले पांच वर्षों का वार्षिक वर्षापात निम्नलिखित है :—

१९५२	१२१·२३ इंच
१९५३	११३·२६ इंच
१९५४	१५८·६५ इंच
१९५५	१३१·४४ इंच
१९५६	११९·३४ इंच

†मूल अंग्रेजी में

[१४] Subsurface exploration.

अन्दमान में फसलें

†१०७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान में एक वर्ष में कितनी फसलें होती हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** दो, अर्थात्, रबी और खरीफ़ ।

स्टॉक एक्सचेंज

†१०७५. **श्री नौशीर भरूचा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १६५६ के अधीन 'नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' (जिसे अब स्टाक एक्सचेंज बम्बई कहा जाता है) को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कुछ एक स्टॉक एक्सचेंज कार्यों को केवल एक ही संस्था में केन्द्रित क्यों करना चाहती है ; और

(ग) इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के सदस्य किन किन शर्तों और निबन्धनों पर स्टॉक एकसचेंज बम्बई के सदस्य बन सकेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). जी हां, सरकार ने प्रतिभूति संविदा, (विनियमन) अधिनियम, १६५६ की धारा ४ के अधीन स्टॉक एक्सचेंज बम्बई को मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। यही केवल एक मात्र चालू एक्सचेंज था जिसे बम्बई प्रत्याभूति संविदा नियंत्रण अधिनियम, १६२५ के अधीन मान्यता प्रदान की गई थी। इस के अतिरिक्त सरकार ने ऐसा करने में स्टॉक एक्सचेंजों तथा प्रतिभूति संविदाओं के विनियमन के लिये प्रस्थापित विधान के संबंध में गोरवाला समिति की उस सिफारिश को भी कार्यान्वित किया है जिस में यह कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के समस्त आन्तरिक तथा बाह्य कार्यों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिये किसी उपयुक्त क्षेत्र में केवल एक ही स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान की जाये ।

(ग) वे शर्तें तथा निबन्धन, जिन पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के लिये आवेदन कर सकते हैं, लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६] इस संबंध में यह भी बता देना चाहता हूं कि जब दोनों एक्सचेंजों को इन के संबंध में सूचित किया गया तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों ने इन शर्तों तथा निबन्धनों में कुछ परिवर्तन करने का अभ्यावेदन किया था । उन पर सरकार विचार कर रही है ।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंस, कलकत्ता

†१०७६. **श्री घोषाल :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६४७–४८ से १६५७–५८ तक यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंस, कलकत्ता, को विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों में गवेषणा कार्य के हेतु रसायन खरीदने के लिये वर्ष वार कितना आवर्तक अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: १९४७ से १९५७ तक यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइन्स, कलकत्ता, को वैज्ञानिक गवेषणा के लिये रसायन खरीदने के लिये कोई भी आर्वतक अनदान नहीं दिया गया था।

कम्बोज (कम्बोडिया) विश्वविद्यालय में संस्कृत

१०७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कम्बोज (कम्बोडिया) विश्वविद्यालय में एक संस्कृत के प्राध्यापक पद[35] की स्थापना की है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी, नहीं।

सेना कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन के मामले

†१०७८. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रति वर्ष पदाधिकारियों तथा जवानों के निवृत्ति वेतन के संबंध में कितने मामले आते हैं ;

(ख) उन में से कितने मामले प्रति वर्ष निपटा दिये जाते हैं ; और

(ग) साधारणतया निवृत्ति वेतन संबंधी एक मामले के बारे में अन्तिम निर्णय करने के में कितना समय लग जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). अगस्त १९५६ से जुलाई १९५७ तक की एक वर्ष को अवधि में प्रतिरक्षा मंत्रालय में पदाधिकारियों तथा जवानों की निर्योग्यता तथा मृत्यु संबधी कुल १६३९ निवृत्ति वेतन के मामले आये थे। उसी अवधि में १६८३ मामलों का निपटारा किया गया था जिन में कुछ एक ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जो कि १ अगस्त, १९५६ को बकाया रह गये थे। निवृत्ति वेतन संबंधी अन्य प्रकार के मामलों, जैसे कि सेवा निवृत्ति वेतन, उपदान संबंधी मामले, के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुए निर्योग्यता तथा मृत्यु संबंधी निवृत्ति वेतन के बहुत मामलों को तीन महीने के अन्दर अन्दर निपटा दिया जाता है। अधिक उलझे हुए मामलों पर अधिक समय लग जाता है परन्तु लगभग ६ मास की अवधि में सभी मामलों को निपटा दिया जाता है।

भारत का राज्य बैंक

†१०७९. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य बैंक द्वारा काश्तकारों को अभी तक कितना उधार दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : ठीक ठीक आंकड़े बताना संभव नहीं है, विशेषतया जब कि यह नहीं बताया जाता है कि किस अवधि के लिये आंकड़े चाहिये। राज्य बैंक कृषकों को सीधे ही अग्रिम[36] देने के अतिरिक्त कुछ रुपया सहकारी संस्थाओं को भी देता है ताकि वे काश्तकारों तथा व्यापारियों को कृषि संबंधी वस्तुओं के विपणन के लिये ऋण दे सकें। राज्य बैंक भूमि बन्धक बैंकों के अंश भी खरीदता है और उसके ऋण-पत्रों में धन लगाता है। राज्य बैंक द्वारा इन सब माध्यमों द्वारा काश्तकारों को दिये गये ऋणों की कुल राशि का हिसाब लगाना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[35] Chair.

[36] Advance.

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये छात्र-वृत्ति संबंधी आवेदन-पत्र

†१०८०. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कालेजों के प्रिंसिपल अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के छात्र-वृति संबंधी आवेदन पत्र आगे नहीं भेज रहे ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध सामान्य रूप से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि एक विद्यार्थी ने यह शिकायत की थी कि उस का आवेदन-पत्र उसकी संस्था द्वारा आगे नहीं भेजा जा रहा है। हमने उस संस्था के प्रिंसिपल को लिख दिया है कि वह उस आवेदन-पत्र को आगे भेज दें ।

प्रतिरक्षा पहरा एवं रक्षा विभाग [37]

†१०८२. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रतिरक्षा मंत्रालय के पहरा एवं रक्षा विभाग में सेना के बहुत से नियमित कर्मचारियों को ले लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या उस समय यह फैसला किया गया था कि जब वे पहरा एवं रक्षा विभाग छोड़ेंगे उस समय वे उस सेवा के कारण उपदान, निवृत्ति वेतन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन स्वीकृत शर्तों में बाद में कोई परिवर्तन किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात् ३१ मार्च, १९४६ के बाद, सेना के नियमित कर्मचारियों को पहरा एवं रक्षा विभाग में लिया गया था । इन कई वर्षों में वे ज्यों ज्यों उपलब्ध होते गये, उनकी इस विभाग में तबदीली की जाती रही । उन की संख्या के बारे में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हा ।

(घ) उन कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने १ जून, १९५३ को या उस के बाद अवकाश ग्रहण किया है, निवृत्ति वेतन/उपदान के उन मूल दरों को, जिनके वे सेवा की मूल शर्तों और निबन्धनों के अधीन पात्र थे, अब उदार बना दिया गया दिये है । परिवर्तित दर वही हैं जो कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के सुरक्षा दल[38] के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

37. Defence Watch and Ward Wing.

38. Security Corps.

अवकाश प्राप्त सैनिकों के लिये महंगाई भत्ता

†१०८२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सैनिकों को, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले अवकाश ग्रहण किया था, निवृति वेतन के अतिरिक्त कोई महंगाई भत्ता भी दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस दर से वह भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार को उन से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वह महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां । अवकाश प्राप्त सैनिकों को अस्थायी अतिरिक्त राशि[39] दी जाती है ।

(ख) अस्थायी अतिरिक्त राशियों के दर निम्नलिखित हैं :—

निवृत्ति वेतन के दर	अस्थायी अतिरिक्त राशि
(१) २० रुपये प्रति मास से अधिक निवृत्ति वेतन	४ रुपये प्रति मास
(२) २० रुपये प्रति मास से अधिक, परन्तु ६० रुपये प्रति मास से अनधिक निवृति वेतन	५ रुपये प्रति मास
(३) ६० रुपये प्रति मास से अधिक, परन्तु १०० रुपये प्रति मास से अनधिक निवृति वेतन	६ रुपये प्रति मास
(४) १०० रुपये प्रति मास से अधिक, परन्तु १०६ रुपये प्रति मास से अनधिक निवृति वेतन	ऐसी राशि जिससे कुल निवृत्ति वेतन १०६ रुपये मासिक बन जाये ।

(ग) जी, हां । परन्तु इस अभ्यावेदन को स्वीकार करना संभव नहीं था ।

विमान दुर्घटनायें

†१०८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १२ अगस्त, १९५७ को पूना के निकट आकाश में भारतीय विमान बल के दो विमान आपस में टकरा गये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[39]. Temporary increase.

पंजाब को इस्पात का आवंटन

†१०८४. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब को १९५६–५७ में इस्पात का कितना कोटा आवंटित किया गया था और १९५७–५८ में कितना किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पंजाब राज्य को १९५६–५७ म ५७,१९६ टन इस्पात आवंटित किया गया था। १९५७–५८ के प्रथम दो तिमाहियों के लिये कुल २२,१८६ टन इस्पात आवंटित किया गया था।

हिन्दी टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर

†१०८५ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के एक की-बोर्ड को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह की-बोर्ड हिन्दी टेलीप्रिंटरों में कब से लागू होगा ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) भारत सरकार ने हिन्दी टाइपराइटरों और टेलीप्रिंटरों के लिये एक स्टैंडर्ड की-बोर्ड बनाने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा हिन्दी टाइपराइटरों के लिये सुझाये गये की-बोर्ड को स्वीकार कर लिया है। जहां तक हिन्दी टेलीप्रिंटर के की-बोर्ड का सबंध है, समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थगन प्रस्ताव

छोटा नागपुर में चिन्ताजनक खाद्य स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो धान की फसल के खराब होने और निरंतर अनावृष्टि के कारण बिहार के छोटा नागपुर डिवीज़न मे पैदा हुई चिन्ताजनक खाद्य स्थिति पर चर्चा करने के बारे में है। प्रस्ताव की व्याख्या के रूप में कहा गया है कि फसलें न होने का कारण सिचाई की सुविधाओं का अभाव है। कहा गया है कि उन क्षेत्रों में अनाज की सख्त कमी है अतः केन्द्रीय सरकार का इस से संबंध हो जाता है। इस सभा का इस विषय में क्षेत्राधिकार क्या है, यह तो स्पष्ट नहीं है लेकिन चूंकि स्थिति को गम्भीर बताया गया है, इस लिये पहले माननीय मंत्री से सूचना प्राप्त करनी चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मुझे बिहार सरकार से अन्तिम सूचना १५ अगस्त की मिली है और उस सूचना में अन्नाभाव के क्षेत्रों में छोटा नागपुर का उल्लेख नहीं है। हम वर्षा का अभिलेख रखते हैं और यह सच है कि छोटा नागपुर में वर्षा कम हुई है। परन्तु इस से फसलों पर कितना प्रभाव पड़ा है यह हमें पता नहीं। राज्य सरकार से हमें जितनी भी सूचनायें मिली हैं उन में अन्नाभाव की स्थिति वाले बहुत से ज़िलों का उल्लेख है परन्तु छोटा नागपुर का उल्लेख नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : छोटा नागपुर में कई जिले हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं उन ज़िलों के नाम पढ़ कर सुनाता हूं जिन में राज्य सरकार के अनुसार अन्नाभाव की स्थिति है। वे ज़िले हैं : पटना, गया, शाहाबाद, सारन, चम्पारन, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, संथाल परगना और पालामउ । जहां तक खाद्यान्न की उपलब्धि का संबंध है बिहार सरकार के पास विभिन्न स्थानों पर वितरण के लिये ४०,००० टन गेहूं है। यह काफी मात्रा है और राज्य सरकार इस से विभिन्न जिलों की मांग पूरी कर सकती है । यदि वृष्टि नहीं हुई है तो हम उन्हें गेहूं दे सकते हैं और यह हमने कर दिया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फीरोजाबाद) : माननीय मंत्री ने बिहार सरकार की सूचना पढ़कर सुनाई है। परन्तु मंगलवार को बिहार के विद्युत् तथा सिंचाई उपमंत्री ने संथाल परगना के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि निरंतर अनावृष्टि के कारण उस जिले में कि न परिस्थिति पैदा हो गई है।

बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के महा सचिव, श्री जगदीश चौबे ने चार ज़िलों के दौरे के पश्चात् कल कहा है कि अनावृष्टि के कारण स्थिति बहुत खराब है और धान की फसल खराब हो जाने के फलस्वरूप ५०,००० कृषि श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैंने सारी बात सुन ली है। अन्नावृष्टि और अन्नाभाव तथा बहुत समय से सिंचाई की सुविधायें न होने के कारण स्थिति खराब हो रही है। माननीय मंत्री ने कहा है कि ज्यों ही राज्य सरकार से सूचना मिलेगी वे और खाद्यान्न भेजने के लिये तैयार हैं वह बिहार सरकार को काफ़ी अनाज दे चुके हैं। अतः हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि और क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

ऐसे मामलों में मैं माननीय सदस्यों से एक बात यह कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न के वितरण तक का कार्य केन्द्रीय सरकार नहीं करती वरन् स्वयं राज्य सरकारें करती हैं। यदि अन्नाभाव की स्थिति में केन्द्र सहायता न दे तो हम उन से आग्रह कर सकते हैं। माननीय सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों से इस मामले को अपनी सभा में उठाने के लिये कह सकते हैं। मैं यह नहीं समझता कि केवल इस कारण कि यह खाद्यान्न का विषय है राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जाने के बिना केन्द्र को कुछ करना चाहिये। अतः इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार का वक्तव्य टीक है अथवा वहां के उपमंत्री का क्योंकि दोनों वक्तव्य एक दूसरे के विपरीत हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : खाद्य मंत्री महोदय ने बिहार सरकार से प्राप्त सूचना पढ़ कर सुनाई है जो उन्होंने १५ अगस्त को भेजी थी। यदि बिहार के उपमंत्री का वक्तव्य किसी समाचारपत्र में छपा है तो हम उस वक्तव्य को ले कर कोई जांच तो शुरू नहीं कर सकते और मंत्री महोदय की

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

आलोचना नहीं कर सकते। यदि वहां की स्थिति गम्भीर थी तो उपमंत्री को चाहिये था कि वे यहां खाद्य मंत्री को लिखते। यदि वहां ऐसी स्थिति है तो हम सब सहायता के लिये तैयार हैं परन्तु जब राज्य सरकार ने ऐसी मांग की ही नहीं तो फिर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रादेशिक परिषद् नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १६५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७३ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषद् नियम, १६५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० २३२/५७]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ८ अगस्त, १६५७ का एस० आर० ओ० २५७७ जिसमें समुद्र सीमा शुल्क प्रत्याहृत (टेलीकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट) नियम, १६५७ दिये हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस० २३३/५७]**

(२) दिनांक ८ अगस्त, १६५७ का एस० आर० ओ० २५७८। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस० २३४/५७]**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

†**श्री मूलचंद दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा के उत्तर को शुरु करने के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : १२-८-५७ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था पर इस सभा में जो चर्चा उठाई थी, उस में मैं ने निम्न कंडिका पढ़ कर सुनाई थी :

"विभाग द्वारा रेलों में जलपान तथा भोजन की व्यवस्था सस्ते दामों पर होनी चाहिये। विभागीय भोजन व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार का भोजन और जलपान की वस्तुएं दी जानी चाहियें। उद्देश्य यह होना चाहिये कि कुछ अर्से के बाद विभागीय भोजन व्यवस्था को 'न हानि न लाभ' के आधार पर चलाया जाये यदि आरंभ में विभागीय भोजन व्यवस्था में कुछ हानि हो तो उसे विज्ञापन पर खर्च समझना चाहिये और उसका कुछ भाग यात्री सुविधा के खाते में डाल देना चाहिये।"

मैं ने कहा था कि यह कंडिका भोजन व्यवस्था समिति के प्रतिवेदन में है। मुझे खेद कि यह बात गलत है। वस्तुतः यह कंडिका रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति के प्रतिवेदन में है।

†मूल अंग्रेजी में

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोड

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : मैं, मौलाना आजाद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक १४ जुलाई, १९५५ के संकल्प संख्या एफ० २१–९/५४-ए-२ के पैरा १ (च) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड

†**श्री म० मो० दास** : मैं, मौलाना आजाद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या १२२-३/३५-ई०, के पैरा ३ (२) (ङ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ में अग्रेता संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

रलवे यात्री किराया विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलों के किरायों पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के गजट असाधारण भाग २ अनुभाग २, दिनांक ३०-८-५६ में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[श्री स० चं० सामन्त]

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं । वह यह है कि वित्त मंत्री द्वारा रेलवे यात्री किराये पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया जाना असंविधानिक, प्रथा-विरुद्ध, और अनुचित है । सरकार कहेगी कि संविधान के अनुच्छेद २६६ (१) में यह उपबन्ध है :

"निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहीत किये जायेंगे किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्

* * *

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर;

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु भाड़ों पर कर ।"

इस उपबन्ध के अन्तर्गत भारत सरकार रेलवे किरायों पर कर लगा सकती है । हम यह जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री कर लगा सकते हैं और विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु हमें रेलवे की प्रथाओं को नहीं भूलना चाहिये जिन्हें १६२४ में स्वीकार किया गया था और १६५४ में आप के सभापतित्व में एक समिति ने जिन का अनुसमर्थन किया था। उस प्रथा के अनुसार रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से पृथक् किया जा चुका है। मैं वित्त मंत्री द्वारा इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्री इसे इसलिये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस कर से रेलवे वित्त पर प्रभाव पड़ रहा है। और इस कारण रेलवे मंत्री को इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : कराधान की व्यवस्था करने वाले विधानों को वित्त मंत्री पुर : स्थापित कर सकते हैं और यदि रेलवे मंत्री इसे पुर:स्थापित करते या और किसी विधेयक को पुर:स्थापित करना चाहते तो वे भी कर सकते थे। इस बात के लिये विशेष उपबन्ध है कि सरकार का कोई भी मत्री सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने आदि कार्यों को समझ सकता है ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : एक बात यह भी है कि यदि रेलवे मंत्री इस पुर:स्थापित करते तो राजस्व रेलवे को मिलता, अब यह राज्यों को मिल रहा है।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : यह रेलवे पर अधिभार है, अत: रेलवे विभाग ऐसी प्रस्थापना नहीं कर सकता। वित्त मंत्री को किसी प्रकार का भी अधिभार लगाने का अधिकार है। अत: उन के द्वारा इस विधेयक का पुर:स्थापन नियमानुकूल ही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : एक और बात यह है कि १६५६ में सीमा कर विधेयक को भी रेलवे उपमंत्री ने ही पुर:स्थापित किया था और मैं चाहता हूं कि यह प्रथा बनी रहे।

†**श्री त० ब० विटठल राव** (खम्मम्) : क्या हम उस संकल्प में संशोधन किये बिना जिस के अन्तर्गत सामान्य वित्त और रेलवे वित्त को पृथक पृथक किया गया था, इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं स्वयं अपने भाषण म इस बात को स्पष्ट कर देता। मेरे माननीय मित्र का ध्यान इस ओर नहीं गया कि यह कराधान विधान है। इस का रेलवे राजस्व से कोई संबंध नहीं। यह ठीक है रेलवे राजस्व क संबंध में एक अभिसमय है और रेलवे राजस्व को पृथक करने और रेलवे राजस्व से सामान्य राजस्व को दी जाने वाली राशि निर्धारित करने

---

†मूल अंग्रेजी में

के संबंध में संसद् ने उस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। परन्तु माननीय सदस्य को यह भी पता होना चाहिये कि वह अभिसमय लेखे की गणना के संबंध म है। हमारी सारी राशि संचित निधि में है और वित्त व्यवस्था तथा संचित निधि की आय और व्यय के संबंध में सरकार का कुछ उत्तरदायित्व है। जैसा आप ने बताया है इसे रेलवे मंत्री या रेलवे उपमंत्री अथवा मैं या मेरे उपमंत्री कोई भी पुरःस्थापित कर सकते थे। कोई और भी इस का प्रभार ले सकते थे। परन्तु निश्चय ही इस का यह अभिप्राय नहीं कि किसी विधेयक को जिस का भारत सरकार पर प्रभाव पड़ता हो पुरःस्थापित करने का अधिकार किसी विशेष मंत्री को है।

परन्तु यह सारा विवाद ही इस विशेष विधान के विषय से संगत नहीं है। इस विधान का आधार संविधान का अनुच्छेद २६९ है। अनुच्छेद २६९ में लिखा है :

"निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—

(क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क ;

(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति शुल्क ;

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर ;

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु भाड़ों पर कर ;

(ङ) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदाबाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर ;

(च) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उन में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर;

(छ) समाचारपत्रों के अतिरिक्त, वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर, जहां यह क्रय विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में होता है ।"

अतः ये केवल भारत सरकार की कराधान प्रस्थापनायें हैं और भारत सरकार को ही इन्हें संसद् के समक्ष रखना चाहिये और कर वसूल करना चाहिये । इन की आय अनुच्छेद २६९ के खंड (२) के अनुसार राज्यों को सौंप दी जायेगी।

पहले भी ऐसे विधेयक हमने प्रस्तुत किये हैं। सभा ने उन विधेयकों को पारित किया है और जहां तक इस विधेयक के स्वरूप का संबंध है वह सम्पदा शुल्क विधेयक या स्टाम्प अधिनियम से भिन्न नहीं है। इससे प्राप्त आय को राज्यों को सौंपने के संबंध में मैं अभी बता देना चाहता हूं कि मैंने वित्त आयोग से परामर्श मांगा है। अतः यह केवल राज्यों के लाभ के लिये कतिपय संसाधनों पर कराधान है। रेलवे की आय से सामान्य राजस्वों को लाभ का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि इस कर की सारी आय सामान्य राजस्व को नहीं मिलेगी। वह राज्यों को मिलेगी।

जहां तक अनुच्छेद २६९ का संबंध है, यह एक दायित्व है। राज्यों के लिये राजस्व ढूंढने के हेतु भारत सरकार पर यह दायित्व है कि वह इन संसाधनों का प्रयोग करे, उन से कर वसूल करे और राज्यों को उन के प्रयोजनों के हेतु दे दे। अतः यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। यदि मैं या मेरे साथी रेलवे मंत्री ऐसी प्रस्थापना लायें कि हम सामान्यतः दो जाने वाली राशि से अधिक राशि हस्तांतरित करेंगे—यह अभिसमय का उल्लेख नहीं है—तो हमें संसद् में उस का उल्लेख करना पड़ेगा और संसद् चाहे तो उस परिवर्तन का अनुमोदन करे अथवा न करे अथवा अभिसमय संसद की अनुमति से प्रतिसंहृत किया जा सकता है। अभिसमय पर इस का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि कर से होने वाली आय रेलवे की या केन्द्रीय सरकार के संयुक्त राजस्व में नहीं जाती।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अनुच्छेद २६६ में केन्द्रीय सरकार के लिये इस कर्तव्य का उल्लेख है कि वह जब उपयुक्त समझे कार्यवाही करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से रेलवे अभिसमय से इस विधेयक में कोई बाधा नहीं पहुंचती है । संविधान के अनुच्छेद २६६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार उसमें उल्लिखित कर लगा सकती है । यह कर उस तरह का नहीं है जैसे आम तौर पर किराये बढ़ाये जाते हैं । किराये बढ़ने के लिये कोई विधान नहीं लाना पड़ता । यह किराये की वृद्धि नहीं है जिस की आय रेलवे प्रशासन में व्यय की जायेगी ; अपितु यह एक विशुद्ध कर है जिसकी आय राज्यों को दी जायेगी अतः वित्त मंत्री ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं और यह औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है । जैसा अनुच्छेद २६६ में दिया गया है इस की एक पाई भी संचित निधि में नहीं जाती ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि ऐसी विधि पारित करना संसद् की वैधानिक क्षमता के बाहर है । पहले तो कम्पनियां थीं जो रुपया वसूल करती थीं । इसलिये केन्द्रीय सरकार उस पर कर लगा सकती थी । यह बात अब नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य के कथन का आशय यह है कि १९३५ के पूर्व रेलवे प्रशासन कम्पनियों के हाथों में था । किराये का सारा धन उनके हाथों में जाता था इस लिये उस समय सरकार १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उन किरायों या भाड़ों पर कर लगा सकती थी, किन्तु अब रेलवे प्रशासन सरकार द्वारा ले लिया गया है तो क्या अब स्वयं सरकार उस पर कर लगाने में समर्थ है ? इस संबंध में मेरा उत्तर यह है कि कर पर अधिभार लगाया जा सकता है । आयकर के ऊपर अधिभार लगा है। सरकार अक्सर कर बढ़ाने के स्थान पर अधिभार लगा देती है । यह अनुचित नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : मेरा भी एक औचित्य प्रश्न है—इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये जो इस में नहीं है । किराये पर जो कर लगेगा उसे वसूल करने का कार्य रेलवे प्रशासन ही नहीं करेगा अपितु अन्य अभिकरण भी रेलवे की ओर से वसूल करेंगे इस लिये उसमें अतिरिक्त व्यय होगा । अतः नियम ६९ के अनुसार ऐसे विधेयकों के साथ एक वित्तीय ज्ञापन संलग्न होना चाहिये तथा उस में उन खंडों का निर्देश होना चाहिये जिन में उस व्यय का जिक्र किया गया हो । उस में उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन होना चाहिये जो इस विधेयक के कानून बन जाने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त होगा । इस विधेयक में यह कुछ नहीं दिया गया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: यदि माननीय सदस्य नियम ६९ को पुनः देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि यह धन भारत की संचित राशि से वितरण नहीं किया जा रहा है । वे इस बात से भी सहमत हैं कि रेलों का किराया एकत्र करने में इतना अतिरिक्त व्यय नहीं होगा कि उसका उल्लेख किया जाय । वह कहते हैं कि हम अन्य एजेन्सी द्वारा धन एकत्र करेंगे । इस समय कोई अन्य एजेन्सी भी नहीं है । इस कर के एकत्र करने में कोई व्यय नहीं होगा । व्यय होने पर भी यह इस इस नियम के अधीन नहीं आता है । नियम ६९ का उद्देश्य यह है कि उस से सभा को यह ज्ञात हो कि किसी विशेष प्रकार से किये जाने वाले व्यय का भारत की संचित निधि पर क्या प्रभाव होगा । यदि इस में कुछ व्यय भी होगा तो वह राज्यों को दी जाने वाली धन राशि से काट लिया जायेगा । इस लिये इस विषय पर विचार करने के उपरान्त हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि वित्तीय

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। एक समय सचिवालय ने यह सुझाव दिया था कि हम विधेयक का अन्तिम पृष्ठ इस प्रकार रखें : 'वित्तीय ज्ञापन —कुछ नहीं, प्रत्यायोजित विधान पर ज्ञापन — कुछ नहीं'। यदि हम किसी प्रकाशित फार्म में 'कुछ नहीं' लिख दें तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि तब हमें केवल ज्ञापन न देने का कारण बताना पड़ेगा लेकिन अब यह हमारी भूल ज्ञात होती है।

†**अध्यक्ष महोदय:** मेरा विचार है कि जहां तक नियम ६९ (१) का प्रश्न है उसका क्षेत्र केवल इसी बात तक सीमित नहीं है कि व्यय भारत की संचित निधि में से हो होना चाहिये। मैं अभी इस मामले में निश्चित नहीं हूं। तथापि जहां तक इस विधेयक का संबंध है इस में कोई व्यय नहीं होगा। कर एकत्र करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। वही रेलवे विभाग कर वसूल करेगा। कोई तीसरी एजेंसी का प्रश्न नहीं है यद्यपि विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने से संबंधित ज्ञापन में कुछ ऐसा दिया गया है। परन्तु कर वसूल करने के लिये कोई अन्य एजेंसी है ही नहीं। अत: यह औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं आप का ध्यान खंड (६२) (क) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा या उसकी ओर से कर एकत्र किया जायेगा।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मेरे विचार से इस का तात्पर्य उन आउट एजेंसियों से या एजेंटों से है जो विशेषत : पहाड़ी स्थानों में किराया वसूल करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। तथापि वे रेलवे का काम पहिले से ही कर रहे हैं उन से ही यह कर वसूल करने के लिये भी कहा जायेगा।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं भी यही कहना चाहता था। इस समय रेलवे में कुछ एजेंसियां हैं जो कमीशन ले कर काम करती हैं। कुछ निजी रेलें भी हैं वे कुछ शर्तों के अधीन अपने स्टेशन से सीधे टिकट भी जारी करते हैं। ये एजेन्सियां रेलवे प्रशासन की ओर से इस कर को भी वसूल करेंगी। यह कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो इन आउट एजेंसियों को कमीशन देना पड़ता होगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी हां, इस के लिये व्यवस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो इसका यह तात्पर्य है कि कमीशन का भी इस में व्यय होगा और व्यय संबन्धी ज्ञापन आवश्यक है। हम किसी विधेयक को इस नियम के क्षेत्र से छूट दे सकते हैं अत: इस विधेयक में यह नियम लागू नहीं होगा। कोई भी सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस विषय में प्रस्ताव रख सकता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यह नियम हटा दिया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम ६९ को, जहां तक इसमें यह अपेक्षित है कि व्यय वाले विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होगा, रेलवे यात्री किराया, १९५७, पर लागू होने से, स्थगित कर दिया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री सभा के समक्ष व्यय संबन्धी विवरण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। अब मैं इस प्रश्न पर मतदान लेता हूं। प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ६६ को, जहां तक इसमें यह अपेक्षित है कि व्यय वाले विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होगा, रेलवे यात्री किराया विधेयक, १६५७, पर लागू होने से, स्थगित कर दिया जाये।"

सभा में मतविभाजन हुआ। पक्ष में १८३ ; विपक्ष में ६१ मत।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस विधेयक का उद्देश्य, रेलवे यात्रियों पर, अन्य वस्तुओं के उपभोक्ताओं की भांति ही, एक कर लगाना है: जिससे वे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था में कुछ अंशदान दे सकें। माननीय मित्र के औचित्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने यह का था कि संविधान के अनुच्छेद २६६ (१) में केन्द्रीय सरकार के ऊपर यह दायित्व डाला गया है कि वह राज्यों के लाभ के लिये कुछ कर लगा सकती है। देश की आयोजित वृद्धि के लिये उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त करने की आवश्यकता है लेकिन राज्यों कीं स्थिति बहुत खराब है। सदस्यों को यह भी पता है कि कई राज्यों में घाटे की अर्थ व्यवस्था चल रही है। इसलिये यह निश्चित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद २६६(१) के उपबन्धों के आधार पर यह कर रेल के किराये से वसूल किया जाय। वर्तमान विधेयक इस आधार पर बना है।

हम अनुच्छेद २६६(१) को निरर्थक और बेकार नहीं समझ सकते हैं। संविधान में यह उल्लिखित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार यथासमय इस अनुच्छेद को प्रयुक्त कर सकती है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने पर, आयोजित व्यय के सम्बन्ध में राज्यों की बढ़ती हुई मांगें पूरी हो सकेंगी।

मैं सभा को यह बता दूं कि पिछले २० वर्षों में यात्री भाड़े में बहुत कम वृद्धि हुई है। हम पिछले वर्षों से आज के वर्षों की ठीक ठीक तुलना इस कारण नहीं कर सकते कि विभिन्न रेलवे कम्पनियों की विभिन्न दरें थीं। सामान्य रूप से तीसरे दर्जे के किराये में १६३६ की तुलना में केवल ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है यद्यपि १६४८–४६ के आंकड़ों की तुलना में निर्वाह व्यय देशनांक में पर्याप्त वृद्धि हुई है। १६४८–४६ में प्रति यात्री मील पर ४.६० पाई ली जाती थी १६५५–५६ में यह बढ़कर ५.३४ पाई हो गई। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये यही आंकड़े क्रमशः ४.१५० और ४.६७५ पाई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से तुलना करने पर भी हमारे यहां का किराया विदेशों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत के प्रति यात्री मील ५.३४ पाई किराये की तुलना में इंगलैंड में यह किराया १४.४ पाई, कनाडा में २७ पाई, फ्रांस में २१.८ पाई है। निसंदेह विभिन्न देशों में यात्रियों को दी गई सुविधायें और अन्य आर्थिक बातों में अन्तर होता है इसलिये इस प्रकार की तुलना व्यावहारिक नहीं होती है। तथापि इस तुलना से यह तो ज्ञात होता ही है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में किराया बहुत कम है।

यात्री किराये पर कर लगाना भी नया नहीं है। संसार के कई देशों में माल तथा यात्रियों के परिवहन पर कर लगता है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी जीकोस्लावकिया, आस्ट्रिया और हंगरी यात्री तथा माल के परिवहन में कर लगाते हैं। बेलजियम में यह कर केवल यात्रियों पर लगता है। कुछ देशों में यह १६२० के लगभग से ही लगना प्रारम्भ हो गया था। जर्मनी में १६१७ में यात्रियों के किराये पर १२ से १७ प्रतिशत सामान इत्यादि पर १०

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत और माल पर ७ प्रतिशत तक कर लिया जाता था । यह कर जर्मन संघ की रेलों पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भी लगा रहा । १९५५ की सूचना के अनुसार इसकी आय विभिन्न श्रेणीयों के किराये के ११ से १४ प्रतिशत तक थी । यह कर किराये में शामिल रहता है और उसके साथ ही वसूल कर लिया जाता है । हंगरी की रेलों की स्थिति भी इसी प्रकार है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जहां रेलें निजी व्यापारिक कम्पनियों द्वारा चलाई जाती हैं । वहां चालक कम्पनियों द्वारा यात्री और माल के परिवहन में संघ कर वसूल किया जाता है ।

इस प्रकार विभिन्न देशों में इस कर का रूप भिन्न है तथापि रेल के किराये पर कर लगा कर आय प्राप्त करने की नीति पर्याप्त व्यापक है । रेल यात्रियों पर लगने वाले कर का सामान्य रूप यह ज्ञात होता है कि वह किराये के कुछ प्रतिशत के रूप में वसूल किया जाता है । जैसा कि मैंने इस विधेयक में प्रस्तुत किया है ।

इसलिये किराये में थोड़ा सा कर लगाना अनुचित नहीं है । प्रस्तावित दरों के अनुसार प्रति यात्री पर औसत कर १६ नये पैसे से अधिक नहीं होगा । क्योंकि भारत में एक रेल का यात्री औसतन केवल ४१.५ मील की यात्रा करता है । इस प्रकार इस कर से असहय भार नहीं पड़ता है ।

प्रस्तावित आधार पर कर का अधिकांश भाग अधिक दूर की यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल किया जायेगा । अर्थात उन यात्रियों से जो ३० मील से अधिक दूर की यात्रा करते हैं । जो यात्री इतनी दूर तक यात्रा करने में समर्थ हैं वे कर के रूप में कुछ अधिक व्यय भी कर सकते हैं । अर्थात् इस योजना में यात्रियों की अतिरिक्त धनराशि दे सकने की क्षमता पर भी विचार किया गया है । इसके अलावा अवधि टिकटों पर भी कोई कर नहीं लगाया गया है जिससे वे लोग जो नगरों में काम करते हैं किन्तु नगर के बाहर रहने के लिये विवश हैं इस कर से अप्रभावित रहें ।

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए १५ मील से कम यात्रा करने वाले मुसाफिरों को इस कर से छूट देने की घोषणा पहिले ही कर दी गई है । इस रियायत से इस वर्ष के यात्रियों को लाभ होगा जो इस व्यय की वृद्धि को वहन नहीं कर हकते हैं । इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये एक संशोधन रखा गया है ।

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इस कर का भार वहन करना अधिक कठिन होगा । पहाड़ी स्थानों में पहिले ही प्रति मील किराया बढ़ी हुई दरों के अनुसार है । इस सम्बन्ध में मैंने रेलवे मंत्री से चर्चा की थी उन्होंने यह वचन दिया है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में लगाये गये कर पर गौर करेंगे और उनमें इस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि इस कर का उन पर कोई प्रभाव न हो । १२ अगस्त, १९५७ को एक प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने यह बताया कि उन्होंने कुछ खंड में प्रति मील किराये की बढ़ायी हुई दर को हटाने का और अन्य खंडों में लगभग २५ प्रतिशत तक इसमें कमी करने का निश्चय किया है । इस निश्चय का सामूहिक रूप से यह परिणाम होगा कि पर्वतीय क्षेत्र की यात्राओं पर कर शामलि होने के उपरांत भी वर्तमान किराये से कम देना होगा ।

एक छोटा संशोधन उस तारीख के संबंध में है जब से यह कर लगाया जायेगा और वसूल किया जायेगा । इस कर को वसूल करने की व्यवस्था को पूरा करने में कुछ समय लगेगा इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि यह अधिनियम उस तारीख से लागू हो जो केन्द्रीय सरकार सरकारी सूचना पत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषित करेगी । आशा है यह कर १५ सितम्बर, १९५७ से प्रारम्भ होगा ।

मैं अपने बजट भाषण तथा औचित्य प्रश्नों के उत्तर में बता चुका हूं कि संघ क्षेत्रों को दी जाने वाली आय को छोड़कर इस कर की समस्त आय राज्यों को उनके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दी जायेगी । विभिन्न राज्यों में इस आय के वितरण के सम्बन्ध में मैं वित्त आयोग की सलाह ले चुका हूं तथा उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत करता हूं उसका आशय यह है कि यह विधेयक १० नवम्बर, १९५७ तक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। इस विधेयक से रेल के यात्रियों पर और कर लगाया जा रहा है। हमारे देश में अधिकांश रेलवे यात्री आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग होते हैं। इसलिये अन्य देशों के उदाहरण देना ठीक नहीं है क्योंकि उन लोगों का जीवन स्तर हमारे देश से कहीं ऊंचा है। इसके विपरीत पिछले महायुद्ध के पश्चात् से जनता पर पड़ने वाले आर्थिक भार के कारण हमारी दशा विपिन्न हो गई है और हम इस योग्य नहीं हैं कि हम थोड़ा भी और कर वहन कर सकें।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार १९५५–५६ में रेल से १३२ करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। यह संख्या भारत की जन संख्या से तीन गुनी है। क्योंकि सभी लोग यात्रा नहीं करते हैं अतः कुछ थोड़े लोग बहुत अधिक बार यात्रा करते हैं विशेषतः जिन लोगों को नगरों में काम रहता है उन्हें सप्ताह में तीन या चार बार यात्रा करनी पड़ती है उन्हें इस कर का बहुत भार पड़ेगा।

यह कहा गया है कि सीजन (अवधि) टिकटों में इस कर से छूट होगी तथापि टिकटों में मासिक टिकट ही लिखा रहता है इसमें भ्रांति हो सकती है।

विशेषतः ग्रामीणों के लिये जिनका जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है उनको यह थोड़ा कर भी बहुत ज्ञात होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक अनावश्यक और कष्टकारी है। इसलिये इस पर जनमत अवश्य लिया जाय, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता इसके विपक्ष में है। मेरा विचार है कि कई कांग्रेसी सदस्य भी इसका विरोध करेंगे।

सरकार को सब से पहले यह देखना चाहिए कि इस विषय में देश का बहुमत उनके साथ है या नहीं। जनमत प्राप्त करने पर वह किरायों पर कर लगा सकते हैं। इस लिए मेरा सुझाव है कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिए। और १० नवम्बर तक राय मांगी जा सकती है। यदि जनता की राय इसके पक्ष में हो तो इसे पारित किया जा सकता है।

मैं यह बता ही चुका हूँ कि यह विधेयक जनता को कष्ट देगा। और अब मैं यह बताऊंगा कि यह विधेयक अनावश्यक भी है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वित्त मंत्री हम पर यह आरोप लगायेंगे कि हम योजना के प्रति विद्रोह कर राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। परन्तु हमारा कहना है कि हमें उतना ही कर लगाना चाहिये जिसे लोग सह सकें। पर आज होता यह है कि जो दे नहीं सकते उनसे मांगा जा रहा है और जो दे सकते हैं उनसे लिया नहीं जाता। यदि यही समानता है तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। जिनसे उन्हें योजना की खुराक मिल सकती है उनसे तो लेते नहीं बल्कि उलटे मरे हुयों को और भी मारना चाहते हैं।

आज का समाचार है कि पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की कमी के कारण लोग भूखों मर रहे हैं। परन्तु उन्हें यात्रा करनी हो तो कर देना ही होगा। इसके मुकाबिले में राजाओं को छूटें दी जा रही हैं। और हम चाहते हैं कि जनता यह सब सहन करे। वित्त मंत्री को स्वयं पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा कर इस संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया

†मूल अंग्रेजी में

देखनी चाहिये। हम भी लोगों के प्रतिनिधि हैं, परन्तु हमें छोड़ दीजिए, वित्त मंत्री महोदय अपनी ओर के सदस्यों को ही देख लें कि कितने लोग इस कर के पक्ष में हैं। आखिरकार हमें लोगों के हितों का तो ध्यान रखना ही होगा।

यदि आप को धन चाहिये, तो अमीरों पर कर लगाइये, परन्तु उन्हें छोड़ आप गरीबों पर कर नहीं लगा सकते। मैं विधेयक का विरोध करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इसे लोक मत के लिये परिचालित किया जाये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री साहब ने जो विधेयक हमारे सामने रक्खा है उसमें यह बताया है कि राज्यों में विकास का कार्यक्रम हर वर्ष बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हमें नए साधनों के द्वारा धन एकत्र करने की आवश्यकता हो गई है। मैं उन के इस तर्क को अस्वीकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को, जो कि अपने विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, इस बात का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि कमसे कम प्रणाली के टैक्स लगाएं, अर्थात एक ही प्रकार के करों को नए नए स्वरूप दे कर जनता के ऊपर करों का भार न डाला जाए।

यहां पर श्री साधन गुप्त जी ने जो संशोधन इस विधेयक को प्रचारित करने के बारे में रक्खा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस की आवश्यकता नहीं समझता, और वह इस लिए नहीं कि मैं कोई सिद्धान्ततः इस का समर्थन करता हूं बल्कि इस लिए कि यह विधेयक जनता के सामने काफी समय से रहा है। जिस समय माननीय वित्त मंत्री ने अपना आयव्ययक, अर्थात बजट, यहां पर पेश किया था, उस समय से ही देश की जनता इस पर अपने विचार प्रकट कर रही है। संसद् के सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इस लिए इस को लोकमत के लिए प्रचारित करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो लोग इस का विरोध करना चाहते हैं, वे विरोध करें, जो इस में संशोधन रखना चाहते हैं, वे संशोधन रक्खें। पर लोकमत के लिए प्रचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

†**एक माननीय सदस्य** : हम इस बात का विरोध करते हैं।

श्री भक्त दर्शन : ठीक है जो विरोध करना चाहते हैं, वे सीधे विरोध करें। लोकमत के लिए प्रचारित करने से क्या लाभ होगा क्योंकि अन्ततः स्थिति तो यही होगी।

अभी वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में हमें यह बतलाया कि पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पिछले रेलवे मंत्री महोदय ने माननीय त्यागी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि जो पहले से बढ़े किराये हैं, कुछ अंशों में उन्हें घटा दिया गया है। लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं, उन से मालूम होता है कि असली उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। कालका–शिमला लाइन पर कोचिंग ट्रैफिक का जो किराया था वह पहले तो चौगुना था, उसे घटा कर तिगुना किया जा रहा है; यानि अब भी वह साधारण किराये की बनस्बित तिगुना लगेगा। इसी तरह से कांगड़ा घाटी में पहले दुगुना था, वह अब डेढ़गुना किया जा रहा है। माथेरन में पहले चौगुना था, वह अब तिगुना किया जा रहा है। इसी तरीके से अम्बाला कालका में दुगुना था अब वह डेढ़गुना किया जा रहा है। इसलिए यह तर्क सिद्ध नहीं होता है कि वहां का किराया जितना होना चाहिए, अर्थात सामान्य स्तर पर होना चाहिए, उतना हो चुका है। इस लिए मैं खास तौर पर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

पर्वतीय क्षेत्रों की गरीबी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे पर्यटक कश्मीर जाते हैं; वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख कर वहां की दृश्यावली को देख कर, पर्वतीय दृश्यों को देख कर वे मोहित हो जाते हैं, लेकिन उस प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे जो गरीबी छिपी हुई है, उसके नीचे जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

दरिद्रता है, शायद बहुत कम लोग उस के दर्शन कर पाते हैं। कश्मीर से आसाम तक जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को चाहे आप दिल्ली में देखिए, चाहे और जगह, तो आप को पता लगेगा कि वह कितनी गरीबी के साथ कितनी मुसीबत के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे इस पर फिर से विचार करें।

इसके बाद हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि सीजन टिकेटस पर यह कर नहीं लगेगा; यह उन का बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन हम दिल्ली में देख रहे हैं कि प्रति दिन मेरठ तक के लोग यहां आते हैं, यानी ४० और ५० मील तक से दफ्तरों में काम करने आते हैं। जब वे दूरी की अवधि बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी पहले तो हर एक मील पर यह कर लगाया जा रहा था, अब पंद्रह मील तक नहीं लगेगा और उसके बाद ३० मील तक बहुत कम लगाया जा रहा है, तब मैं समझता हूं कि चूंकि इस से बहुत कम आमदनी होने वाली है राज्य को, इसलिए इसे कायम ही क्यों किया जाए। पहले तो मेरा सुझाव यही है कि इस की सीमा ५० मील तक बढ़ाने की कोशिश की जाए। १५ मील का संशोधन तो वित्त मंत्री जी ने ही दिया है। वित्त मंत्री ने अपने संशोधन संख्या २ में बताया है कि जो १६ मील से ३० मील तक के यात्री हैं उन पर केवल ५ परसेंट लगेगा। यदि इस में वह थोड़ा सा संशोधन कर दें और ५० मील तक कुछ भी कर न लगाएं। तो मैं समझता हूं कि इस से जनता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वह उन की आभारी होगी।

यह विषय ऐसा है, जिस के लिए मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान केवल अपनी इन दो तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो संशोधन इस सम्बन्ध में आवेंगे उन को वे स्वीकार करेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं वित्त मंत्री के उत्तरदायित्वों को समझता हूं। उन्हें योजना के लिए धन चाहिए। परन्तु इस विधेयक में कर की दरें बहुत ही ऊंची हैं। ५ से १५ प्रतिशत तक कर लगाया गया है। ५०० मील के पश्चात् १० प्रतिशत। इस कर से कोई भी नहीं बच सका, यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि १५ मील तक कोई कर नहीं है।

मेरे विचार में वित्त मंत्री को पता है कि मुकदमों के सम्बन्ध में पेशियों के लिये लोगों को सप्ताह में तीन-तीन चार-चार बार सफर करना पड़ता है। मेलों, उत्सवों और समारोहों पर जाने वाले गरीबों की संख्या भी कम नहीं। इसलिये छूट ५० मील तक होनी चाहिए। इस कर की ऊंची दरों के कारण २० से ३० करोड़ से कम राशि प्राप्त नहीं होगी। इससे अच्छा तो यही है कि भाड़े की दरें बढ़ा दी जायें।

वित्त मंत्री की धन प्राप्त करने की चिन्ता ठीक है। परन्तु उन्हें करों के विरुद्ध हो रहे आन्दोलन को भी देखना चाहिए। अभी तो केवल यात्रियों को ही लिया गया है और कोई आश्चर्य नहीं है कि अभी आगे मालभाड़े पर भी कर लगाने का विधेयक प्रस्तुत हो जाये। संविधान की सातवीं अनुसूची में जो ९० या १०० चीजों का उल्लेख है, वित्त मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि वह किन-किन पर हाथ डाल सकते हैं। और मेरा विचार है कि आगामी ५ वर्षों में वह सभी विषयों को ले चुके होंगे।

इस विधेयक में एक अन्य दोष भी है। इसे अनुच्छेद २६९(१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद २६९(२) के अन्तर्गत एकत्रित राशि के विभिन्न राज्यों में बंटवारे की कुछ व्यवस्था

†मूल अंग्रेजी में

है। यदि उसके अनुसार इस विधेयक में कोई उपबन्ध रखकर कोई उचित ढंग न अपनाया गया तो यह विधेयक प्रभाव हीन रहेगा। इस बारे में किसी को भी पता नहीं होगा कि राज्यों का बंटवारा कैसे और किस आधार पर होगा। यदि इस संबंध में भी कोई उपबन्ध इसमें सम्मिलित कर लिया जाता तो विधेयक पूर्ण हो जाता।

तीसरी बात यह कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि जनता इस विधेयक का समर्थन करेगी। पर, मेरा विचार है कि कर बढ़ जाने से शायद लोग यात्रा बहुत ही कम करेंगे। और ग्रामों में रहने वाले लोग आज की प्रगति, विकास और प्रशासन के बारे में बहुत ही कम जान सकेंगे।

वित्त मंत्री ने तो नहीं बताया परन्तु अन्दाजा है कि इस विधेयक द्वारा २० से ३० करोड़ तक रुपया प्राप्त होगा। परन्तु यदि लाखों लोगों ने यात्रा करना ही कम कर दिया तो उन्हें बहुत ही निराशा होगी। और आप देखेंगे कि १५ सितम्बर के बाद यानी इस कर के लागू होने पर रेलों में भीड़भाड़ भी कम हो जायेगी। और हो सकता है कि कुछ समय बाद वह विधेयक को रद्द करने के लिए मजबूर भी हो जायें। अन्त में मेरा यही कहना है कि उन्हें दरों को कम करना चाहिए ताकि सामान्य जनता को कुछ आराम मिल सके।

†**श्री बिमल घोष :** इस विधेयक का आधार ही गलत है। वित्त मंत्री ने इस विधेयक के दो उद्देश्य बताये हैं। प्रथम, योजना की आवश्यकता और दूसरा यह कि अन्य देशों में किराये बहुत अधिक हैं। परन्तु स्वयं ही उन्होंने भी कहा है कि यहां और वहां की स्थिति में कोई मुकाबिला नहीं। एक बात तो यह है कि रेलवे राजस्व को आम राजस्व में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे मंत्री ने रेलवे किराये पर कर लगाना स्वीकार कर के कोई बहुत अच्छा नहीं किया। यदि किराये बढ़ाये भी जायें तो उनको रेलवे विकास परियोजनाओं में खर्च करना चाहिए। रेलवे की अपनी स्थिति भी शोचनीय है। उस का भी योजना के अन्तर्गत विस्तार किया जाना है। हमें खेद यह है कि हम रेलवे में ऊंचे दर्जे के यातायात की भी व्यवस्था नहीं कर सके। क्योंकि वह योजना के हित में नहीं है। इस लिए रेलवे को थोड़ी आय से ही सन्तुष्ट रहना पड़ा। इस पर भी रेलवे राजस्व में से कुछ लेने की कोशिश करना, मेरे विचार में अनुचित है।

दूसरी बात यह है कि इससे केन्द्र को क्या लाभ होगा? किन्तु वित्त मंत्री की बड़ी अनुकम्पा है कि वह राज्यों को सहायता दे रहे हैं, परन्तु क्या राज्यों को सहायता देना उचित है? राज्यों ने स्वयं आय के साधन ढूंढ़ने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जिससे योजना के लिए धन प्राप्त हो सके। राज्यों ने कोई कर भी नहीं लगाये। क्या इस हालत में यह उचित है कि केन्द्र राजस्व एकत्रित कर के राज्यों को दे।

हमें इस वाद पर विवाद नहीं करना है कि राज्यों को सहायता देनी चाहिए या नहीं। मैं मानता हूं कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए परन्तु उसी अवस्था में जब कि वह भी अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हों। राज्य, विकास के अतिरिक्त अन्य खर्च बढ़ा रहे हैं। इन हालात में रेलवे पर कर लगा कर राज्यों को सहायता देना मुझे तो ठीक नहीं लगता। इस तरह यदि हम राज्यों की ही कमी पूरी करते रहेंगे तो केन्द्र के लिये रुपया कहां से आयेगा? योजना आयोग ने रेलवे के विस्तार की अनुमति दे दी है। इसके लिये रुपया कहां से आयेगा? वित्त मंत्री फिर कह देंगे कि हमारे पास रुपया नहीं। इस लिए जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है पहले उन्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए और बाद में हम उनको सहायता देंगे। रेलवे राजस्व पर प्रथम हक रेलवे का ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): राज्य सरकारों के बजट सन्तुलित नहीं होते। इस कारण संविधान के अनुच्छेद २६६ के अन्तर्गत केन्द्र को राज्यों की सहायता के लिए आय के साधन ढूंढने पड़ते हैं। वित्त मंत्री ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने वित्त विधेयक का समर्थन किया है, परन्तु मैं इन कर प्रस्थापनाओं का समर्थन नहीं कर सकता। हमने कई बार किराये बढ़ाये हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ऊंचे दर्जे के लिये काफी सुविधाओं की व्यवस्था भी की है। परन्तु, तीसरे दर्जे के लोगों पर अधिक कर लगा कर भी उनके लिये कुछ नहीं किया है। यह मेरी आधारभूत आपत्ति है। स्थान सुरक्षित करवाने में भी जो सुविधायें पहले दर्जे के लोगों की हैं वह दूसरे दर्जे व तीसरे दर्जे के लोगों को नहीं हैं।

इस समय अवस्था यह है कि रेलवे का एकाधिकार है। मुकाबले में कोई नहीं। इसलिये रेलवे प्रशासन पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है। सब को पता ही है कि तीसरे दर्जे की हालत क्या होती है। पूरे एक, स्थान के पैसे लेकर हम जनता को आधा स्थान भी नहीं देते। हजारों व्यक्ति गाड़ियों पर लटके हुये जाते हैं। और इस पर भी मजा यह है कि आप उन पर और कर लगाना चाहते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ यह अनुचित है। और हमें सारे मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

यह तो ठीक है कि हमें योजना के लिए रुपये की व्यवस्था करनी है। और यह भी सराहनीय है कि राज्यों को अपने राजस्व के साधनों में वृद्धि करने के लिये सहायता दी जाये। परन्तु कर उचित ही होने चाहिए। आप पहले दर्जे के किराये पर ५० प्रतिशत कर क्यों न हीं बढ़ा देते? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ऊंचे दर्जे के यात्रियों से १३,७५,००,००० रु० प्राप्त होते हैं और तीसरे दर्जे के यात्रियों से १०५ करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। फिर भी ऊंचे दर्जे वालों को ही सुविधायें दी जाती हैं। मेरा कहना है कि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि कराधान का पुनरीक्षण किया जाय और ऊंचे और नीचे दर्जे में एक प्रकार का समान बटवारा किया जाय।

†**श्री य० सिं० परमार** (महासू): यह ठीक है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, परन्तु विधेयक के निर्माताओं ने यह नहीं सोचा कि मीलों के आधार पर लगाये गये कर का सबसे बुरा प्रभाव पहाड़ी इलाके के पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि पिछड़े हुये पहाड़ी इलाकों में, जहां कि परिवहन का नितान्त अभाव है, सुविधायें दी ही जानी चाहिएं। यदि हम चाहते हैं कि देश के विकास का लाभ इस इलाके के लोगों को हो तो हमें उनके लिए भी कुछ करना ही होगा।

हिमाचल प्रदेश में जहां भी रेल है वहाँ रेल का किराया एक मील को चार मील मान कर उसके हिसाब से लिया जाता है। कांगड़े में दो मील गिने जाते हैं। इस लिए हम तो पहले से ही अधिक दे रहे हैं। यदि इन पिछड़े इलाकों को सुधारने की इच्छा होती तो इसके लिये जहां भी पहाड़ी इलाकों में रेलवे हैं वहां कुछ सुविधायों के बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता। रेलवे तो इस इलाके में वैसे भी बहुत नहीं है। इसलिए जब तक नये दृष्टिकोण से इस इलाके की समस्या को हल करने का प्रयत्न न किया जायेगा कुछ लाभ होने की आशा नहीं की जा सकती।

इसके अतिरिक्त भी इन प्रस्थापनाओं का पहाड़ी इलाके पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और यात्री बहुत कम संख्या में सैर के लिये जायंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

आपको मीलों के आधार पर ही कर लगाना है तो पहाड़ों और मैदानों पर एक जैसा ही लगाइये। यह भेदभाव वहां तो वैसे ही नहीं होना चाहिए कि जहां कि परिवहन के साधनों का सुधार किया जाना है। उस के लिये तो समय लगेगा, परन्तु मीलों के आधार पर एक जैसा कर लगे इसे तो वित्त मंत्री को स्वीकार करना चाहिए। और इस संबंध में मेरा संशोधन प्रस्तुत है।

श्री अजगराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नये प्रकार का टैक्स (कर) सदन के सम्मुख पेश किया जा रहा है। इसमें जहां तक वैधानिक संकटों का सम्बन्ध है उसका तो कोई सवाल है नहीं। हमारे देश में इस तरह का यह टैक्स पश्चिमी देशों का अनुकरण करके लगाया जा रहा है। लेकिन जब यहां पर यूरोप और अमरीका की बात कही जाती तो हमको यह भी देखना होगा कि हमारे देश की परिस्थितियां इन देशों की परिस्थितियों से मिलती हैं या नहीं। वे देश हमसे काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनकी आर्थिक हालत हमसे बहुत अच्छी है। हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है और यहां की पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था है। इसलिए यह कहना कि इन पश्चिमी देशों में इतना टैक्स है और वहां पर रेलवे के किराये यहां से कई गुने हैं, यह दलील हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में सही नहीं मालूम पड़ती है।

वैसे जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से रेलवे के किराये बढ़े हैं और ऐसा लगता है, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, कि जिस दरजे में आम जनता चलती है, यानी तीसरे दर्जे के किराये बढ़े हैं लेकिन जिन दरजों में ऊंचे दरजे की जनता चलती है वहाँ किराये घटाये गये हैं।

खैर जो भी हो, जहां तक किराये बढ़ाने का सवाल है, किराये उस जनता के बढ़े हैं, जिसका सम्बन्ध तीसरे दर्जे से होता है और यह भी एक तथ्य है कि अधिकतर जनता तीसरे दर्जे में ही यात्रा करती है। रेलवे के किराये पहले से ही बहुत बढ़ चुके हैं और अब रेलवे मंत्री ने रेलवे के किराये के नाम पर इन किरायों में वृद्धि नहीं की है, क्योंकि इससे जनता में बदअमनी फैलती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा कि हम किराये नहीं बढ़ाना चाहते हैं और हमने वित्त मंत्री को सलाह दी है कि वह एक टैक्स लायें। उसके अनुसार वित्त मंत्री रेलवे की यात्रा पर एक टैक्स ले आए हैं, जो कि मेरे विचार में तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाली जनता पर एक बड़ा बोझा डालना है। वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेसी भाई प्रत्यक्ष करों को लगाने के लिए तैयार नहीं हैं और अप्रत्यक्ष करों में लगातार वृद्धि की जा रही है। यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है। अभी कल इस सदन में वैल्थ टैक्स बिल पास हुआ है और हमने देखा है कि किस तरह सदन के भारी विरोध के बावजूद वित्त मंत्री ने उन लोगों को रियायतें दी हैं, जिन पर टैक्स लगना चाहिए था। विरोधी दल के लोग एक स्वर से यह चाहते थे कि उस टैक्स को बढ़ाया जाय और उन लोगों से ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाय, जो कि बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले पंद्रह करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। अब वह घट कर बारह करोड़ रुपया रह गया है। अब हो सकता है कि वह दस करोड़ रुपया रह जाय। सरकार महलों, रेस–हार्सिज और ऐसी चीजों को छोड़ना चाहती है, जिनका आम जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। रेलवे के किराये पर जो कर लगता है, उसका सम्बन्ध इस देश की आम जनता से है, लेकिन वहां पर आप एक नया टैक्स लगाना चाहते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि इस टैक्स के सम्बन्ध में आम जनता की राय जानी जाय, और जब तक आम जनता की राय नहीं जानी जाती, तब तक इस टैक्स को लगा कर हम हिन्दुस्तान की आम जनता का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वैसे भी यह अनुमान किया गया है

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि इस टैक्स से सिर्फ आठ करोड़ रुपए की जो आय होगी इस साल के बजट में। और वह रुपया आएगा आम जनता से—तीसरे दर्जे की जनता से। तीसरे दर्जे की जनता से १०५ करोड़ रुपया प्राप्त होता है और यह ८ करोड़ और बढ़ा देने का मतलब होगा कि आप आम तौर से ८ परसेंट बढ़ा रहे हैं। ५०० मील से ऊपर आप ने १० परसेंट लगाया है और ३१ मील से ५०० मील तक आपने १५ परसेंट लगाया है, लेकिन अगर आम तौर पर ले लें, तो लगभग ८ परसेंट बढ़ता है। यह ८ परसेंट का टैक्स बढ़ा देना उस सूरत में बहुत खतरनाक होगा, जबकि देश की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। सभी जानते हैं कि १९४७ के बाद हमारा टैक्सेशन का ढांचा किस तरह का रहा है। उस का रूप यह रहा है कि प्रत्यक्ष कर घटते गए हैं और अप्रत्यक्ष कर बढ़ते गए हैं—इनडायरेक्ट टेक्सिज़ बढ़ते गए हैं। एक्साइज ड्यूटी के अन्तर्गत पहले ४० करोड़ रुपए होते थे, लेकिन अब वे २०८ करोड़ से ऊपर हो गए हैं—वे पांच गुना से ऊपर हो गए हैं। हम लगातार अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि आम जनता की जिन्दगी की जरूरत की चीजें महंगी होती हैं। गल्ले की कीमत बढ़ती है और फिर फूड सबसिडी—गल्ले की सहायता—देनी पड़ती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर नीति का पूरा ढांचा गलत होता जा रहा है। असल में यह होना चाहिए कि आप प्रत्यक्ष कर लगायें और उनके द्वारा उन लोगों से ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करें, जो कि टैक्स दे सकते हैं और जो कर का बोझ सहन कर सकते हैं। ऐसा न कर के चाय पर, बीड़ी पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है, जिसको कि साधारण जनता इस्तेमाल करती है। जिस व्यक्ति को किसी मुकदमे के सिलसिले में अदालत में जाना पड़ता है, उस पर बोझ डाला जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रेलवे का कर लगाया जा रहा है, वह ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, जिसका भार आम जनता पर पड़ता है। इससे अप्रत्यक्ष करों में बढ़ौतरी होती है, जो कि पहले से ही बहुत बढ़े हुए हैं। इससे आम जनता की जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ती हैं और उसका आम खर्चा बढ़ता है।

पंद्रह मील की जो एग्जेमप्शन दी गई है, उससे आम जनता का फायदा नहीं होगा। लोगों को अपने मुकदमों के सिलसिले में अदालतों में जाना पड़ता है और बहुत से गांव जिले के केन्द्र से पचास मील पर होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को इस एग्जेम्प्शन से फायदा होने वाला नहीं है। उसूलन तो इस तरह का कर लगाना ही गलत है, लेकिन अगर यह कर लगाना जरूरी ही है, तो फिर पंद्रह मील का एग्जेम्प्शन देने से आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इससे बहुत कम लोगों को फायदा होगा। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम उन लोगों को यह टैक्स न देना पड़े, जो कि अपने जिले में यात्रा करते हैं, जो कि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए इधर उधर जाते हैं, जिनको मुकदमे वगैरह के लिए शहर में जाना पड़ता है, जिले के केन्द्र में जाना पड़ता है।

यह भी देखना है कि इस यात्रा कर से केन्द्र को कोई फायदा नहीं होगा। केवल राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए यह अप्रत्यक्ष कर लगा कर जनता के भार को बढ़ाया जा रहा है। जहां तक प्लैन को कार्यान्वित करने का सवाल है, उसमें इससे कोई खास फायदा नहीं है। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व माननीय वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को एक निमंत्रण दिया और कहा कि राज्यों में जो भूमि कर लगा हुआ है—जो जमीन पर लगान लगा हुआ है, वे उसको हटा कर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स—कृषि आयकर—लगा दें। इसका कुछ राज्यों ने विरोध किया—खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहां के माल मंत्री ने कहा कि अगर हम इस तरह का टैक्स लगायेंगे तो हमें बहुत नुक्सान हो जायगा। जो एक सही नीति है,

उसको आप अपनाते नहीं हैं। अगर कृषि आयकर लगा दिया जाय और भूमि कर खत्म कर दिया जाय, तो उससे छोटे लोगों को फायदा होगा। उसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, बल्कि आप ऐसे कामों के लिए तैयार होते हैं, जिनसे साधारण आदमी के जीवन पर भार पड़ता है। लोग पहले से ही भूखों मर रहे हैं, नंगे रह रहे हैं, उनके बच्चों को दूध नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलती है, पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं। यह कर लगा देने से उन पर और भार पड़ेगा और उनकी जिन्दगी की जरूरत की चीजें और तेज हो जायेंगी ।

इस सम्बन्ध में ऐसे मुल्कों से मिलान किया जाता है, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, जिनकी आमदनी ज्यादा है और दलील दी जाती है कि उनके मुकाबले में हमारे यहां किराये कम हैं। हमको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि पश्चिमी देशों में यात्रियों को जो सुविधायें दी जाती हैं, वे हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम उन अधिक विकसित देशों से कोई मिलान नहीं कर सकते हैं और इस तरह की दलील नहीं दे सकते हैं कि हमको उतना ही किराया देने के लिए तैयार होना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि क्या हम अपने यात्रियों को उतनी सुविधायें दे सकते हैं। स्पष्ट है कि वे सुविधायें दे नहीं सकते हैं, देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यह दलील इस बारे में लागू नहीं होती है।

यह आठ करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर के राज्यों को देना चाहते हैं। वैसे राज्यों और केन्द्र में कोई विशेष फर्क नहीं है। राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार दोनों हिन्दुस्तान की जनता का विकास करने के लिए और उसको फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उस हद तक यह बात सही है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक कन्वेन्शन बनी हुई है एक परिपाटी बनी हुई है, और उस परिपाटी को तोड़ कर रेलवे से जो पैसा आता है, उसको दूसरे कामों में लगाना, विशेषकर उस स्थिति में जब कि रेलवे आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना विकास कर नहीं सकती और नई रेलें नहीं खोल सकती है, मेरे ख्याल में उचित नहीं है। हम जानते हैं कि जनता की ओर से नई रेलें चलाने की मांग हमेशा की जाती है। इतना ही नहीं, जिस योजना के नाम पर रोज नए नए टैक्स लगाए जाते हैं, उस योजना को सफल बनाने के लिए भी हम को नई रेलें खोलने की जरूरत है। लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम नई रेलें नहीं खोल सकते हैं। इस अवस्था में रेलवे के जरिये से पैसा ले कर राज्यों में बांटना और परिपाटी को तोड़ना मुनासिब नहीं होगा। इस तरह हम रेलवे के विकास और उत्थान को रोक देंगे। आज हिन्दुस्तान के विकास और उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हमारे यातायात के साधन बहुत सुन्दर हों, माल ढोने की हमारी व्यवस्था अच्छी हो। अच्छा हो कि रेलवे के जरिये इकट्ठा किया गया पैसा रेलवे के विकास पर ही लगाया जाय । वह पैसा हम एक दूसरी जगह दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे रेलवे को बहुत नुक्सान होगा।

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। जब रेल पर सफर करने वालों की बात आती है तो हम उस बात को नहीं सोचते हैं जो कि फ्रेट के सिलसिले में होती है, माल ढोने के सम्बन्ध में होती है। ज्यादा-तर माल जो ढोया जाता है वह व्यापारियों का ढोया जाता है और उन लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है जो कि उस टैक्स को देने की शक्ति रखते हैं, उन पर नहीं लगाया जाता है जिनके पास पैसा होता है। आप जब भी कोई आक्रमण करते हैं तो गरीबों पर ही करते हैं लेकिन उन लोगों पर आप आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहां पर भी आप उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जिस नीति का अनुसरण कि आपने वैल्थ टैक्स के सिलसिले में किया है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यह जो टैक्स

[श्री ब्रजराज सिंह]

आप लगाने जा रहे हैं, इसको आपको कतई नहीं लगाना चाहिए और इस बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित कर देना चाहिये और इस पर विचार भी नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं इस विधान का स्वागत करती हूँ। परम्परा के अनुसार केन्द्र राज्यों की सहायता करता ही है। और अब तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता भी है। साथ ही एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर के अनुपात से ही सुविधायें भी जनता को दी जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी और तीसरी श्रेणी दोनों पर कर तो समान ही लगाया जा रहा है, परन्तु दोनों श्रेणियों को दी जाने वाली सुविधायों में बहुत ही अन्तर है। यह अन्याय है। ५०० मील से ऊपर की यात्रा का जो किराया १० प्रतिशत बढ़ाया गया है यह भी उचित नहीं है। यह ३ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और पहले दर्जे और तीसरे दर्जे के लिये भिन्न-भिन्न होना चाहिए।

३० मील से ऊपर की यात्रा में किराया बढ़ जाने से विद्यार्थियों को हानि होने की सम्भावना है। यह उन पर भार होगा और उनकी शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मैं इस पर जोर दूंगी कि मासिक टिकटों का मूल्य नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही जिस उद्देश्य के लिये कर लगाया जाय उसका आम जनता को ज्ञान करवा देना चाहिए। इससे आम जनता में कर के प्रति सन्तोष नहीं फैलता।

राज्यों को दिये जा रहे रुपयों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि राज्य उन रुपयों को किन कामों में खर्च करेंगे। मेरा विचार है कि राज्य सरकारें इन रुपयों को रेलवे के विकास तथा अन्य सुविधायें देने में खर्च करेंगी। इससे इस कर का औचित्य भी सिद्ध हो जायेगा। क्योंकि गरीबी के कारण लोगों का उत्साह वैसे भी समाप्त हो रहा है। आशा है कि कर की दर कम की जायेगी तथा पहले दर्जे और तीसरे दर्जे के भाड़े में जो अन्तर है उसी आधार पर करों में भी अन्तर रखा जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, जब से हम लोगों ने अपने सामने योजना को रखकर काम करना शुरू किया है तब से एक के बाद दूसरा कर लगाने के सुझाव तथा बिल हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। आम जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से जब हम जनता की हालत को देखते हैं तो किसी भी कर-प्रस्ताव का समर्थन करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। गांवों तथा शहरों में बसने वाली अधिकतर जनता बहुत ही गरीब है, इसलिए कोई भी कर जो कि उसके सामने उपस्थित होता है, उसको देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है और बहुत तकलीफ से वह उसको मानने के लिए तैयार होती है। कर तो ऐसा विषय है, जिसका कोई भी स्वागत नहीं कर सकता है, चाहे वह धनी हो, चाहे वह निर्धन हो, चाहे उसके पास पैसा हो और चाहे उसके पास पैसा न हो। गरीब लोग तो वैसे ही इन करों का स्वागत नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अपना गुजारा करने के लिए ही काफी पैसा नहीं होता है। हम लोग चूंकि ज्यादातर गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जब कभी कर सम्बन्धी विधेयक हमारे सामने आते हैं, हम किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं, और हम इसका फैसला नहीं कर पाते हैं कि इसका हम समर्थन करें या न करें। हम इस बात को भी मानते हैं कि इससे जनता को तकलीफ होगी, उसको कष्ट होगा उसको कठिनाई होगी लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि जनता अपनी आमदनी का कम से कम हिस्सा खर्च करे, अधिक से अधिक रुपया बचा कर वह देश की पूंजी बढ़ाने में भाग ले और जब तक वह ऐसा नहीं करेगी, हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इस तरह से जब हम अपने देश के भविष्य का ख्याल करते हैं तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाती है कि हम कर प्रस्तावों का समर्थन करें क्योंकि बिना कर लगाये हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। बहुत से माननीय सदस्य जो कि विरोधी दल में हैं तथा इस दल में भी हैं इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्यक्ष कर धनियों पर अधिक से अधिक लगा कर हमको काम को आगे बढ़ाना चाहिए और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि अपने देश के धनिकों पर भी अधिक से अधिक कर लगा करके हम अपनी इतनी बड़ी योजना को चालू नहीं रख सकते हैं, हम अपने देश की आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, तब फिर हम अपने देश के गरीब भाइयों पर कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जब एक के बाद एक कर—प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित किया जाता है, तो हमें उसका बहुत दुख के साथ तथा बहुत मजबूरी से समर्थन करना पड़ता है और हम इसीलिए उसका समर्थन करते हैं कि जिन के हम प्रतिनिधि हैं उनके भविष्य को हमें उज्जवल बनाना है तथा उनकी हमें उन्नति करनी है।

इस समय रेल यात्रा पर कर लगाने का विधेयक हमारे सामने उपस्थित है। जितने भी भाषण इस विधेयक पर हुए हैं, उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। रेल में भाड़े की दर को बढ़ाना एक विषय है और रेल की यात्रा पर टैक्स लगाना दूसरा विषय है। रेल में जो सुविधायें यात्रियों को दी जाती हैं, उनको बढ़ाने का सवाल हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहता है और रहेगा। लेकिन मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन नहीं करता हूं कि यह भाड़े को बढ़ायेगा। इस विधेयक का समर्थन मैं कुछ अपवादों के साथ तथा कुछ ऐसी बातों को मन में रखकर करता हूं, जिनका जिक्र कि मैं आगे चल कर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि लोग कई दृष्टियों से यात्रा करते हैं। एक यात्रा करने वाले तो ऐसे होते हैं जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, नफा कमाने के लिए लम्बे—लम्बे सफर करते हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जो कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए सफर करते हैं और उनके मन में यह होता है कि तीर्थ स्थानों पर जा करके अपने लिए उन्हें दूसरे लोक में भी इंतिजाम करना चाहिए। ये लोग बनारस, प्रयाग, हरिद्वार इत्यादि तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए घर से निकल पड़ते हैं। तीसरी श्रेणी में वे यात्री आते हैं जो मनोविनोद के लिए यात्रा करते हैं, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए यात्रा करते हैं। चौथी श्रेणी में वे यात्री आते हैं जोकि शिक्षा पाने के उद्देश्य से यात्रा करते हैं, स्टडी करने के लिये निकलते हैं तथा इनमें विद्यार्थी वर्ग आ जाता है। इन सबके सफर करने में बड़ा अन्तर है। कुछ लोग तो बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही सफर करते हैं, जैसे मुकदमे के सिलसिले में उनको यात्रा करनी पड़ती है तथा दूसरे लोग वे होते हैं जिनका सफर करने में कुछ और ही उद्देश्य होता है, जैसे व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, धनीमानी व्यक्ति हैं या रजवाड़े हैं। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों में सफर करने में बहुत अन्तर है। मुझे पता नहीं है और न मेरे पास आंकड़े हैं, कि रेलवे को किस वर्ग के लोगों से कितनी आमदनी होती है और उसकी आमदनी का कितना हिस्सा किस वर्ग से आता है। लेकिन इस बात को मैं मानता हूं कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों से रेलवे को ज्यादा आमदनी होती है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी के सफर करने में तथा एक धनी आदमी के सफर करने में तथा अधिक धन पैदा करने के लिए सफर करने में तथा एक विद्यार्थी द्वारा यात्रा करने में

[श्री श्रीनारायण दास]

बहुत फर्क है। न मेरे पास और न ही रेलवे के पास इसका अलग अलग हिसाब है और इसको रखना भी कठिन है कि इन सब श्रेणियों के यात्रियों की अलग–अलग संख्या क्या है, इसका विवरण क्या है और किस श्रेणी के लोगों से कितनी आमदनी होती है।

आज हमारे सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने का लक्ष्य है और उसको पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। चूंकि हम गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमारा यह देखना भी फर्ज हो जाता है कि उसकी भलाई किस तरह से हो सकती है। गरीब जनता की तरक्की तथा भलाई भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम एक एक घर से छोटी–छोटी बचतों को इकट्ठा करके पूंजी में नहीं लगा देते। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी कर विधेयक का समर्थन इस सदन में बैठे किसी भी जनता के प्रतिनिधि के लिए करना कठिन होता है। यदि हम इन कर प्रस्तावों का समर्थन करते हैं तो हम अपने निर्वाचन मंडल में जाकर जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बैठकर हम ऐसा करते समय अपनी गरीब जनता की गरीबी का खयाल नहीं करते हैं। फिर भी जब मैं उसका प्रतिनिधि हूं और मुझे उसकी उन्नति का खयाल करना है, उसकी तरक्की करनी है और यह समझ करके कि जितना भी रुपया हम उससे कर के रूप में लेंगे उसका सोलह आने हिसाब मैं उनको दूंगा तथा हम उसको देंगे, इसका समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक एक पैसा जो वह गरीब जनता से ले उसकी एक एक कौड़ी का वह ठीक ठीक हिसाब रखे और उसका सदुपयोग करे और यह देखे कि उसका अपव्यय न हो, फिजूलखर्ची न हो, भ्रष्टाचार न हो तथा उस पैसे का दुरुपयोग न हो। जिन जिन फिजूल कामों में हमारा धन नष्ट होता है, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए जितना भी अधिक प्रयत्न सरकार कर सकती है, उसे करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया और हमने जो पैसा हमारे खजाने में आता है, उसका दुरुपयोग किया तो हम अपने कर्त्तव्य से गिरेंगे और यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा करने के लिए हमारे पास साधनों की कमी है। इस चीज को देखते हुए मैं इस विधेयक का कुछ संशोधनों के साथ जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा समर्थन करता हूं।

इसमें कुछ कंसेशंस अगर दे दिये जायें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कल ही हमारे सामने एक विधेयक आया था और सिलैक्ट कमेटी से लेकर के यहां पर जो बड़े–बड़े धनी बैठे हुए हैं, सबकी तरफ से तरह–तरह की छट देने का अनुरोध किया गया था और बहुत जोरदार भाषण इसके पक्ष में किए गए थे। सिलैक्ट कमेटी ने भी बहुत से हेरफेर उस बिल में कर दिये थे जिनको कि हम नहीं चाहते थे। मैं जो भी मांग करूंगा वह गरीबों की तरफ से करूंगा। मैं मर्सी नहीं चाहता, दया नहीं मांगता। जब हम किसी चीज की मांग करते हैं, तो उस चीज की मांग करना हमारा अधिकार है, और किसी प्रकार की दया हम नहीं चाहते हैं और न ही यह चाहते हैं कि किसी प्रकार की जबर्दस्ती हो। हमें जो भी अधिकार हैं वे देश की भलाई में जो कुछ हम कर सकते हैं, उनको करने के हैं। जब हम किसी चीज का अनुरोध करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दया मांगते हैं। जब हम किसी टैक्स में कमी किए जाने के लिए कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम दया की भीख मांगते हैं। मैं चाहता कि शैड्यूल में जो दरें दिखाई गई हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। कम से कम ५० मील तक के लिए तो अगर कोई टैक्स न लगाया जाता और अगर उसके आगे जो दर है उसको बढ़ाकर लगाया जाता तो अच्छा होता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ५० मील तक जो लोग यात्रा करते हैं वे साधारण व्यक्ति होते हैं, गरीब लोग होते हैं।

कई कंसेसशन हमारे प्रधान मंत्री ने दिये, एक के बाद दूसरी छूट दी और सेलेक्ट कमेटी ने औजारों और यन्त्रों के लिए जो दस हजार रुपये की छूट दी थी उसको बढ़ा कर उन्होंने २० हजार कर दिया और २० हजार की छूट दे दी । मैं अपने वित्त मंत्री से कहूंगा कि जिस तरह आपने धनिकों के साथ रिआयत की है और उनको काफी छूट दी है तो उसी प्रकार की रिआयत कम व बेश थोड़ी दूर की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दें और मैं चाहता हूं कि वे १५ मील को बढ़ा कर ५० मील कर दें और ऐसा करने से उनकी दयानतदारी दोनों के साथ बराबर हो जा जायगी. . . . . .

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं होगा ।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा कहना है कि ऐसा होना चाहिए। उपमंत्री महोदय जो इस समय उपस्थित हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस विषय में अपने बड़े मंत्री महोदय पर जोर डालें कि वे मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लें। मैं समझता हूं कि मेरी इस मांग के पीछे अधिकांश सदस्य हैं और उनकी भी यही राय होगी कि ५० मील की यात्रा पर जो कर है वह न लगाया जाय और उसके आगे जो दर है वह लगाई जाय, इस संशोधन के साथ यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातें जो कही जा सकती थीं, मेरे ख्याल में कह दी गई हैं। इसलिए अब जो माननीय सदस्य बोलें अगर वे उनके अलावा और नई बातें कहें तो उचित होगा और इस तरह कुछ और भाइयों को भी अपनी बात कहने का समय मिल सकेगा।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रयत्न करूंगा। मैं इस विधेयक का सिद्धान्ततः विरोध करता हूं। रेलों का काम यात्रियों को और माल को ढोना है किन्तु इस विधेयक के द्वारा रेलों को टैक्स वसूल करने का काम सौंपा जा रहा है और यह टैक्स भी यात्रियों पर वसूल किया जायगा। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को इस बात का अधिकार देता है कि वह देश में जहां चाहे घूमे। यह घूमना पैरों से भी हो सकता है, बैलगाड़ी से भी मोटर से भी और रेल से भी हो सकता है लेकिन यहां केवल रेल यात्रियों को छांटा गया है जिनके कि ऊपर टैक्स लगाया जायगा। इस दृष्टि से यह विधेयक भेदभावमूलक है ।

जहां तक पंचवर्षीय योजना के लिए अधिक धन का सवाल है, मैं इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि योजना कोई पावन पूजा की वस्तु नहीं है। योजना देश के लिए है और उसकी जनता के लिए है और यदि आज जनता इतने कर भार को वहन करने की शक्ति नहीं रखती जितना कि कर भार उसके ऊपर लादा जा रहा है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संशोधन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। योजना के नाम पर आप इतने टैक्स लगाते जायें जिनको कि लोग सहन नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि देश की जनता योजना के ही विरुद्ध हो जाय। मैं नहीं चाहता ऐसी परिस्थिति पैदा हो किन्तु सरकार जिस दिशा में जा रही है वह इसी की ओर संकेत करती है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

जो विधेयक रक्खा गया है उसमें एक और दृष्टि से कुछ भेदभाव किया गया है और वह दृष्टि यह है कि पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के सभी यात्री एक ही लकड़ी से हांके जा रहे हैं। सब धान बाईस पसेरी तौला जा रहा है। कहते हैं अंधेर नगरी में ऐसा होता था जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिका करता था। यह अंधेर नगरी नहीं है मगर पहले और

[श्री वाजपेयी]

तीसरे दर्ज के मुसाफिर सभी एक ही प्रकार के टैक्स के नीचे लाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इस टैक्स को लगाना आवश्यक समझती है तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को तो इससे बिल्कुल मुक्त रक्खा जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स के पास एक पास होता है जिस पास से कि वे रेलवे पर सारे भारत की यात्रा कर सकते हैं मगर उस पास के अतिरिक्त उन्हें उस यात्रा का व्यय भी दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता। आप इस व्यय को कम करें। इस विधेयक में भी पासहोल्डर्स का समावेश नहीं किया गया है। अगर कोई पास लेकर यात्रा करता है तो रेल का किराया तो वह पहले ही नहीं देता, अब उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यह बचत क्यों रक्खी जा रही है। इसको निकाला जा सकता है। इस प्रकार के और भी संशोधन किये जा सकते हैं जिनसे कि आम आदमियों पर इस टैक्स का बोझा कम पड़े। मैंने निवेदन किया कि तीसरे दर्जे के यात्रियों पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिए और अगर आप लगाना आवश्यक ही समझते हैं तो १५० मील तक जो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं, एक ही जिले की सीमा, जिले के केन्द्र स्थान तक मुकद्दमे के लिए जाना पड़ता है, उस सीमा तक तीसरे दर्जे के यात्रियों को इस टैक्स से मुक्त रखा जाना चाहिए और पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों पर अगर कुछ दर बढ़ा दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखने की बात है कि एक ओर तो हमारी रेलें यह प्रचार करती हैं कि लोग अधिक से अधिक यात्रा करें, देश के भागों में जांय और एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और इस तरह राष्ट्र का जो एक एकीकरण करना चाहते हैं उसके लिए रेलें साधन हैं, एक कोने के नागरिक दूसरे कोने में जायें, घूमें, फिरें और देखें यद्यपि एक माननीय सदस्य ने इसकी आलोचना की है किन्तु प्रश्न यह है कि लोग घूमें कहां से, किराये काफी बढ़ें हुए हैं, शासन अब और टैक्स लगा कर उन बढ़े हुए किरायों का भार बढ़ाना चाहता है। बढ़े हुए भार के साथ रेल यात्रियों को अधिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुविधाएं कम होती जायेंगी क्योंकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यात्रियों और माल का भार बढ़ेगा और उसके साथ टैक्स भी बढ़ेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह टैक्स अनुचित है, अनावश्यक है और जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है उसको सीमित करने वाला है। आप अगर लोगों की जेबों में से जो पैसे हैं उनको कानून बना कर निकाल लें तो आप समझ सकते हैं कि वे कैसे घूमेंगे। फिर तो आदमी घर में बैठ कर अपने दिमाग को हवा में घुमा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय जिसके पास पैसा न हो उसे घूमने के लिए पैसा सरकार अपनी जेब से क्यों न दे।

मैं इस सुझाव का स्वागत करूंगा अगर सरकार ऐसा करे लेकिन पैसा देना तो अलग रहा, आज तो लोगों के पास से पैसा अनेक हाथों से निकाला जा रहा है और यह विधेयक उसी काम के लिए लाया गया है। मुझे दुःख है कि मैं ऐसे विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसका सिद्धान्ततः विरोधी हूं और जो ब्योरे की बातें हैं उनके सम्बन्ध में मैंने संशोधन उपस्थित किये हैं जो कि यथा समय लिये जायेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : श्रीमान, सबसे पहले, मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सभा को यह बतायें कि किन कारणों से मंत्रिमंडल को यह कर लगाना पड़ा। कर जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि इस कर को लगाने के

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में यही प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद २६९ (१) (घ) का प्रयोग करते हुए इस समय रेलवे किराये पर कर लगाना उचित होगा । इस अनुच्छेद के अनुसार यह कर संघ द्वारा लगाया जा सकता है परन्तु इससे जो आय होगी वह राज्यों में उन सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की जायेंगी जो संसद द्वारा विधि के रूप में निर्धारित किये जायें। रेलवे मंत्रालय इस प्रकार के करों को लगाने के विरोध में है। कर जांच आयोग ने यह कहा है कि इस समय इस कर को लगाना उचित नहीं होगा।

इसके साथ साथ मैं इस सभा की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की ओर भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जब प्राक्कलन समिति में रेलवे पर विचार किया गया उस समय मैं भी उसका एक सदस्य था। हमारे सभापति ने योजना आयोग के उपसभापति को यह जानने के लिए पत्र लिखा था कि द्वितीय योजना में रेलवे के लिए कितना धन रखा गया है। उन्होंने बताया था कि योजना आयोग ने रेलवे के लिए ११०८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। रेलवे का अनुमान कोई १४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था का था। पर्याप्त पत्र व्यवहार के पश्चात् योजना आयोग ने कहा था कि वह धन बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, अभी काम प्रारंभ तो किया जाये। इससे सिद्ध हो जाता है कि योजना आयोग भी स्वीकार करता है कि रेलवे को अधिक धन दिया जाना चाहिए। जब सब लोग यह मानते हैं कि रेलवे को और अधिक धन की जरूरत है तो फिर यह समझ में नहीं आता कि रेलवे यात्रा पर यह कर क्यों लगाया जा रहा है जब कि इससे होने वाली आय संघ के काम में नहीं बल्कि राज्यों के काम आयेगी।

मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि यह कर वह किन कारणों से लगा रहे हैं। इस कर लगाने के बजाये रेलवे से किराया आदि बढ़ाने के लिये कहा जा सकता था और इस प्रकार जो धनराशि आती उससे योजना के खर्चे की कमी को पूरा किया जा सकता था। मेरा यह कहना नहीं है कि राज्यों को धन न दिया जाये परन्तु मेरा यह कहना है कि और भी प्रकार से यह धन राज्यों को दिया जा सकता था। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस कर को लगाने के क्या कारण है ?

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : इस रेलवे यात्री किराया विधेयक के द्वारा रेलवे का किराया बढ़ेगा ही क्योंकि किराये पर लगाया कर यात्री ही देंगे। केन्द्रीय सरकार को रेलवे ही कर उगाह कर देगी और केन्द्र सरकार उसका राज्यों में वितरण करेगी। इसलिए जब किराया ही बढ़ाना था तो यह काम रेलवे मंत्री को स्वयं करना चाहिए था। परन्तु उन्होंने इसको इसी कारण से प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६ सभी वर्षों में रेलवे का लाभ बराबर बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप में किराये बढ़ाने के लिए ही इसे प्रस्तुत किया है।

आप यह देखिये कि यह कर किन लोगों पर लगाया जा रहा है । १९५१–५२ में पहले दर्जे के यात्रियों से ३० पाई प्रतिमील किराया लिया जाता था जो १९५५ में घटा कर १५ पाई प्रतिमील कर दिया गया। परन्तु तीसरे दर्जे के यात्रियों से किराया १९५१–५२ में ३ पाई प्रतिमील लिया जाता था और १९५५–५६ में यह ६ $^{1}/_{4}$ पाई प्रतिमील कर दिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि पहले ही तीसरे दर्जे के लोगों से किराया ज्यादा लिया जा रहा है। तीसरे दर्जे के लोग हरसाल रेलवे को १०८ करोड़ रुपया देते हैं जब कि पहिले दर्जे के लोग सिर्फ २० करोड़ देते हैं। इस कर का भी तीसरे दर्जे के यात्रियों पर ही अधिक भार पड़ेगा क्योंकि उनसे ही अधिक धन सरकार को मिलता है। सरकार कहती है कि हम प्रति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाला साहेब पाटिल]

व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं परन्तु क्या उत्पादन शुल्क के पश्चात् जो कुछ भी गरीबों के पास बचा वह भी आप इस प्रकार हड़पना नहीं चाहते ।

मेरा सुझाव है कि जैसे धन कर में अमीर आदमियों को कुछ छूट दी गई है उसी प्रकार इसमें गरीब आदमियों को कुछ छूट दी जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, गरीब मजदूर गांवों से नगरों को कारखानों आदि में काम करने के लिए जाते हैं और उनको १०० मील से भी अधिक यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिये १५० मील की छूट इस कर में दी जानी चाहिये दूसरे यह कि गांवों से विद्यार्थी बड़े नगरों में पढ़ने जाते हैं। इस कर के लग जाने से उनको भी कठिनाई हो जायेगी। इसलिए उनको भी रियायत दी जानी चाहिए। तीसरे इस विधेयक में ५, १५, १० प्रतिशत बढ़ोत्तरी रखी गई है। मेरा निवेदन है कि सभी मामलों में केवल ५ प्रतिशत वृद्धि रखी जानी चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक-सभा का यह सत्र टैक्सों का ही सत्र हो गया है । यह सत्र प्रारम्भ हुआ टैक्स से और शायद टैक्स से ही इसकी समाप्ति भी होगी ।

हम यह टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि हमें योजना के लिए रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान टैक्स का जो विधेयक हमारे सामने है इसका यह उद्देश्य है कि हम रेलों के यात्रियों से कर ले कर के राज्यों को दें ताकि वे अपनी योजनाओं को सहूलियत से चला सकें । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन किन राज्यों की सरकारों ने लिखा है कि इस खास टैक्स के जरिये से आमदनी को बढ़ावें । अगर यह सब राज्यों ने मांग की है तो क्या उन राज्यों ने अपने अन्य सब तरीकों को आजमा लिया है और देख लिया है कि उनका रास्ता बन्द है और केवल केन्द्रीय सरकार के पास आकर इस विधेयक के द्वारा अपने कोष को पूरा करने का रास्ता बचा हुआ है । अगर यही बात है तो हम सोचेंगे कि यही रास्ता है तो इसे पास किया जाये । हम जनता से विशेष कर उसी हालत में मांग सकते हैं जब कि हम जनता से कह सकें कि हमने हर प्रकार से अपनी योजना की पूर्ति के लिए अपने खर्चे को ज्यादा से ज्यादा कम किया है और बावजूद सब कमी करने के इस योजना के लिए हमको देश हित में और रुपये की आवश्यकता है । तब तो हम और कर लगा सकते हैं और नया कर लगा सकते हैं ।

खर्च की कमी के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि इस समय इस सदन में ही जहां एक आदमी भी नहीं बैठा है वहां पंखे चल रहे हैं । इनमें कुछ मुल्क का पैसा खर्च हो रहा है। अपनी इस लोक-सभा के अन्दर दिन में इतने पंखे चलते हैं और इतनी बिजली जलती है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है । सूर्य की रोशनी होते हुए भी हमारा काम बिना बिजली के नहीं चलता । तो इन खर्चों को देखते हुए अगर हम कहें कि ये हमारे आवश्यक खर्च हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते, तो हम शायद बहुत खतरा मोल लेंगे ।

इस सदन में सरकारी पक्ष के और गैर-सरकारी पक्ष के जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला है उनमें से केवल एक माननीय सदस्य ने संदिग्ध रूप से इस विधेयक का समर्थन किया है लेकिन यह कहते हुए कि "इस विधेयक में कुछ खामियां हैं जिनका मैं किसी प्रकार समर्थन नहीं कर सकता ।" केवल योजना की दृष्टि से वह इसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन तब भी जनता का ध्यान रखते हुए समर्थन करने से डरते हैं ।

हमारे मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में कहा कि यूरप के अन्य मुल्कों में भी इस प्रकार के टैक्स हैं । इस सिलसिले में उन्होंने जर्मनी और दो एक देशों के नाम लिये लेकिन किसी बड़े मुल्क का नाम नहीं लिया । उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया और अमरीका का नाम नहीं लिया जहां पर लोग लम्बी लम्बी यात्रायें करते हैं । हमारे देश में हजारों मील की यात्रा की जाती है । आप जर्मनी का हमसे मुकाबला केवल टैक्स में करते हैं, पर वहां यात्रा तो सैकड़ों मील की ही हो सकती है । यह ठीक नहीं । और फिर आप मुकाबला करें तो सब बातों का करें । आप देखें कि जर्मनी को आमदनी और हिन्दुस्तान की औसत आमदनी क्या है, आप देखें कि वहां वालों की आमदनी का स्तर क्या है और हिन्दुस्तान में आमदनी का स्तर क्या है, उनकी जनता दैनिक कितना कमाती है और हमारी जनता दैनिक कितना कमाती है । न आपने हमारी भूमि व्यवस्था की वहां की भूमि व्यवस्था से तुलना की । केवल टैक्स में ही आप हमारा उनसे मुकाबला करते हैं । मकाबला चारों तरफ से होना चाहिए एकांगी नहीं होना चाहिए ।

आज कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर कहा है और मैं ने अपना एक संशोधन भी दिया है कि यह पहला विधेयक है जो कि कर न्याय के विरुद्ध है । कर न्याय यह है कि जो अधिक दे सकता है उससे अधिक लिया जाय और जो नहीं दे सकता उससे न लिया जाये । इस कर में यह समता है कि फर्स्ट क्लास और एअर कंडीशन्स दरजे में चलने वाले पर भी १५ पर सेंट लगेगा और तीसरे दरजे में चलने वाले पर भी १५ पर सेंट लगेगा। लेकिन यही समता आप धन में भी लगाते तो कहीं अच्छा होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके १५ परसेंट में और तीसरे दरजे के १५ परसेंट में फर्क तो होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : लेकिन उनके आराम में भी तो बड़ा अन्तर है इसका भी विचार करें । आप किराये से हिसाब लगायें तो अगर किराया चौगुना है तो आराम सतगुना है ।

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : आपने आराम का गुना कैसे लगा लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जल्दी खत्म करें । मुझे अभी एक मेम्बर को और बुलाना है ।

श्री सिंहासन सिंह : हमारा कभी कभी इस ओर विचार जाता है कि कहीं हमने योजना के नाम पर अपनी बुद्धि तो गिरवी नहीं रख दी है । आप देखें कि ये टैक्स जाकर कहां पड़ते हैं । हम जनता में जाते हैं तो हम इन करों को जस्टीफाई (उचित) करते हैं। लेकिन कभी कभी यह सवाल पैदा होता है कि क्या इनकी जरूरत है । क्या हमने अपने खर्च कम करने के लिए अपनी कुछ चीजों को छोड़ दिया है, क्या हमने अपनी मोटरों को छोड़ा है, हवाई जहाजों को छोड़ा है, क्या हमने अपनी तनख्वाहों को कम किया है । जब तनख्वाहों को कम करने का सवाल आता है तो हिसाब लगाया जाता है और कहा जाता है कि इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, केवल एक करोड़ की बचत होगी । एक भाई ने कहा कि इस कर से केवल आठ दस करोड़ की आमदनी होगी । अगर इस कर से केवल इतनी ही आमदनी होने वाली है तो हमें इसके द्वारा सारे देश में झगड़ा पैदा नहीं करना चाहिए । इसका नतीजा यह होगा कि जो लोग अभी हमारे पक्ष में हैं वे हमारे विपक्ष में हो जायेंगे और इस कर से जो आमदनी होगी उसमें से किसी राज्य को दस लाख मिलेगा, किसी को १५ लाख मिलेगा और किसी को पचास लाख मिलेगा । उनकी योजनायें करोड़ों

[श्री सिंहासन सिंह]

रुपये की हैं । इतनी राशि से उनको कितनी सहायता मिलेगी इस पर भी हमको विचार करना चाहिए । जो दस करोड़ की आमदनी होगी उसके बटवारे में ही दो करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे क्योंकि उसके लिए आपको कोई मैशिनरी लगानी होगी ।

फिर आप ख्याल करें उन गरीब बुकिंग क्लर्कों का जिनके ऊपर इस कर को वसूल करने का बोझा पड़ेगा । उनको इसके लिए अधिक एलाउंस आदि नहीं दिया जायेगा । ऐसी हालत में वे लोग मांग करेंगे कि उनको अधिक वेतन या एलाउंस दिया जाये क्योंकि उनको इस कर का अलग से हिसाब रखना पड़ेगा । आज तो वे केवल यही हिसाब रखते हैं कि रेलवे को बुकिंग से इतनी आमदनी हुई और उसको जमा कर देते हैं । अब उनको दो हिसाब रखने होंगे, एक तो रेलवे का और दूसरा इस टैक्स का । उनको दो खाते खोलने पड़ेंगे । इसलिए उनकी यूनियन ज्यादा एलाउंस के लिए मांग करेगी और उनकी मांग जायज होगी इसके लिए अभी कोई प्रबंध नहीं किया गया है । हमारे रेलवे मंत्री ने कहा था कि इसे वसूल करने में ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा । लेकिन जो दिक्कत पड़ेगी वह तो बेचारे वसूल करने वाले पर पड़ेगी । अभी हमने दशमलव की नीति अख्तियार की है । अगर इसमें भी दशमलव की नीति रखते तो हिसाब करने में आसानी होती । पर इसमें तो १५ परसेंट और ५ परसेंट रखा है ।

मैं अपने मंत्री महोदय से कहूंगा कि अब तक जितने भाई बोले हैं उनकी आवाज इस टैक्स के पक्ष में नहीं है । अगर डेमाक्रेसी का कोई मूल्य है तो उनको इस पर विचार करना चाहिए । सब लोग इस मामले में एक राय हैं कि फर्स्ट क्लास, एअर कंडीशन्ड दरजे और थर्ड क्लास में कर की समानता न हो । सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि गवर्नमेंट इस कर को वापस ही ले ले क्योंकि किसी ने भी इसका सिद्धान्त रूप से समर्थन नहीं किया है । यों तो यह विधेयक पास हो ही जायेगा । हमने देखा है कि पहले भी कुछ विधेयकों का हाउस के कोने कोने से विरोध हुआ है पर बाद में वह पास हो गये । लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे । इस से एक बेजा विरोध पैदा होगा और इससे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है । इसके अलावा राज्यों को धन इस के बन्दर बांट में बहुत थोड़ा थोड़ा ही रुपया मिलेगा । उससे उनका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है ।

इन पहलुओं पर विचार करके अगर इस विधेयक को हम स्थगित कर सकें तो हमारे देश के हित में ही होगा । लेकिन अगर इस को पास ही करना है तो कर की दर को कम किया जाए और जैसा और कई भाइयों ने कहा है, ५० मील तक की दूरी पर कोई कर न लगे । लोगों को कम से कम ५० मील तक के सफर के लिए कोई कर न देना पड़े । सेकेन्ड क्लास पर लगाया जा सकता है, फर्स्ट क्लास पर लगाया जा सकता है, एअर कंडीशन्ड क्लास पर लगाया जा सकता है, लेकिन थर्ड क्लास के पेसेंजरों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए । अपने जिले के हैडक्वार्टर पर हर एक आदमी किसी न किसी काम से आता है । मुकदमे के लिए आता है, शादी ब्याह पर कपड़े खरीदने के लिए आता है, नौकरी के लिए आता है । वहां आने पर उस को तरह तरह की दिक्कतें होती हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह कर आम जनता पर न लगाया जाए ।

दूसरी तरफ मैं इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस कर के लगने से रेलवे की आमदनी भी अधिक नहीं होगी । आज हमारे रेलवे अधिकारी तो गाड़ियों में

भीड़ कम नहीं कर सके, लेकिन इन टैक्स के लग जाने से शायद उन में भीड़ जरूर कम हो जाएगी । मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ थोड़ा सा पैसा कर के रूप में सरकार को मिल जाएगा, वहां दूसरी तरफ भीड़ के कम हो जाने से उस की आमदनी में फर्क भी पड़ जाएगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम गैर-सरकारी कार्य आरंभ करेंगे ।

श्री अ० सिं० सहगल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो २८ अगस्त, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

द्वितीय पंचवर्षी योजना की कार्यान्विति के लिये एक स्पष्ट मूल्य नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री अ० क० गोपालन द्वारा १७ अगस्त, १९५७ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे विचार करेगी जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये एक निश्चित मूल्य नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में था । इसके लिए २½ घंटे रखे गये थे जिसमें से ३१ मिनट समाप्त हो चुके हैं । डा० राम सुभग सिंह उस दिन भाषण दे रहे थे । इससे पहले कि वह भाषण पुनः आरंभ करें जिन माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर संशोधन दिये हैं वह उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री खांडिलकर** (अहमदनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : यह सच है कि द्वितीय योजना के प्राक्कलनों में स्पष्ट मूल्य नीति न होने के कारण ही गड़बड़ हो रही है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना १९५३-५४, ५५ में हुए अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर बनाई गई थी । उस समय खाद्यान्न के मूल्य बहुत गिर गये थे । परन्तु बाद में खाद्यान्नों के उत्पादनों में कमी होने के कारण, उर्वरकों, सीमेंट, लोहा, कोयला आदि के मूल्य बढ़ाये जाने के कारण, डाक की दरें रेलवे के किराये बढ़ जाने के कारण, खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं । इसीलिए मेरा यह कहना है कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने की जिम्मेदारी सरकार पर तथा उन बिचोलियों पर है जिन्होंने अनाज भर रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

अब मैं वर्ष १९४९-५० को आधार मान कर कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादनों की तुलना करता हूं । कृषि वस्तुओं के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५१–५२.	९१.५
१९५२–५३.	१०१.१
१९५३–५४.	११९.१
१९५४–५५.	११४.१
१९५५–५६.	१११.३

इस वर्ष १९५६–५७ में अब तक के कृषि उत्पादन के आंकड़े ११६.९ हैं ।

औद्योगिक वस्तुओं के आंकड़े (१९५१ को आधार मानकर) इस प्रकार है :—

१९५२	१०३.६
१९५३	१०५.६
१९५४	११२.९
१९५५	१२२.१
१९५६	१३२.७

इससे पता लगता है कि औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन स्थिर रहा है जबकि कृषि वस्तुओं का उत्पादन घटता बढ़ता रहा है ।

अब मैं कृषि उत्पादनों तथा निर्मित वस्तुओं के थोक मूल्यों की तुलना करता हूं । १९३९ को आधार मान कर यह इस प्रकार है :—

वर्ष	कृषि वस्तुयें	औद्योगिक वस्तुयें
१९५०	४१०.४	३४८.४
१९५१	४०९.८	३९८.५

१९५१ के पश्चात कृषि वस्तुओं के मूल्य १९५२ में ३५९.८, १९५३ में ३८०.८, १९५४ में ३५८.३, १९५५ में ३०४.५ तथा १९५६ में ३७२.९ हो गये । परन्तु औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते गये । १९५२ में ३७७.५, १९५३ में ३६७, १९५४ में ३७५.५, १९५५ में ३७३.४ तथा १९५६ में ३८१.९ हो गये ।

इस प्रकार आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों से अभी भी अधिक हैं । मेरा यह कहना नहीं है कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने चाहिए परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों पर ही बोझ नहीं पढ़ना चाहिए । दोनों का ही उत्पादन अधिक हो गया है परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मूल्य फिर भी बढ़ते रहें । मेरा तो अपना यह विचार है कि मूल्य प्रति वर्ष अधिक कर लग जाने के कारण बढ़ रहे हैं । लोहे, सीमेंट और उर्वरक के दाम बढ़ने के लिये तो सरकार स्वयं उत्तरदायी है ।

वित्त मंत्री ने सभा में बताया था कि इस वर्ष धान की फसल अच्छी होने के कारण राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को बताया है कि हमें बैंक पेशगी देते रहना चाहिए। ऐसा किया गया और लोगों ने उस धन से सैकड़ों मन धान खरीद कर इकट्ठा कर लिया। २८ जुलाई, १९५७ को सिर्फ धान के लिये बैंक पेशगियां ११.१४ करोड़ रुपये की हो गई थीं । परन्तु कोई नहीं जानता कि वह धान कहां गया है । अत्यावश्यक पण्य अधिनियम पारित हो जाने पर भी आज तक उस धान का पता नहीं लगाया जा सका है । इस प्रकार सरकार के हस्तक्षेप तथा करारोपणों से मूल्य बढ़ते रहे हैं । इसलिए सरकार को जनता की भलाई के लिए स्पष्ट मूल्य नीति प्रस्तुत करनी चाहिए । साथ ही साथ सरकार के प्रशासन में कार्यक्षमता भी अधिक बढ़नी चाहिए । यदि स्पष्ट नीति बना ली गई तो सरकार की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

हमारे अधिकांश किसानों के पास बेचने के लिए खाद्यान्न बहुत कम होता है । यह भी मजबूर होकर कपड़े, बच्चों की शिक्षा आदि पर व्यय करने के लिए बेचते हैं । इसलिए यह कहना एकदम गलत है कि सभी किसानों को मूल्य बढ़ जाने से लाभ हो रहा है । हमारे यहां ऐसे किसान बहुत ही कम हैं जो अधिक अनाज बचा सकते हों । हमें खाद्यान्नों के मूल्य कम करने चाहिएं । मैं मानता हूं कि खाद्यान्न जांच समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है परन्तु सिर्फ खाद्यान्न के मूल्यों की जांच करने के लिये समिति स्थापित करना गलत है । उस समिति से औद्योगिक वस्तुओं की जांच के लिए कहा जाना चहिए तब ही ठीक स्थिति का पता लग सकेगा ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसानों को केवल अधिक लाभ दिलाने का पक्षपाती नहीं हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि किसानों की आय इतनी हो जाये जिससे कृषि की लागत निकल सके तथा वे भलो प्रकार जीवन निर्वाह कर सकें । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सहमत होगी ।

मैं औद्योगिक कर्मचारियों को भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसान उनके विरोधी नहीं हैं । हमारा देश गरीब है और जैसा कि सभी जानते हैं तथा एक विदेशी अर्थ-शास्त्री ने कहा भी है हमारे जैसे कम आय वाले देशों में संसार की जनसंख्या का ६७ प्रतिशत रहती है । हमारी प्रति व्यक्ति आय केवल ५४ है जबकि अधिक आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय ९१५ है । इसलिये मैं सरकार से एकदम यह आश्वासन नहीं मांगता कि हमारे किसानों और मजदूरों को भी अन्य विकसित देशों जैसी आय होनी चाहिये परन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमारे मंत्रियों का या राजनैतिक दलों को लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मेरा अपना विचार है कि यदि रिजर्व बैंक समेत हम बैंकों की निष्पक्ष जांच करें तो उससे पता लग जाता है कि मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं । सरकार का बारबार यह कहना है कि हमारा औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है । मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। बैंक पेशगियां १९५३ में ४१५ करोड़ रुपये थीं जो अब १९५७ मई में ७४२ करोड रुपये हैं । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए । और हमें बताना चाहिए कि मुद्रास्फीति की कोई गुंजाइश नहीं है । आप बेचारे किसान को दोष क्यों देते हैं । सच तो यह है कि अन्य वर्गों की तुलना में उनकी हालत अच्छी नहीं है ।

औद्योगिक लाभ के बारे में सरकार क्या कर रही है : वह बढ़ते जा रहे हैं । १९४९ में १८१.५, १९५३ में २६१ और १९५४ में ३१४ । चीनी के लाभ लीजिए । १९४९ में वह २१५ थे जो १९५१ में ४२० हो गये । लोहा और इस्पात में १९५३ में १७९ थे जो अब २२२ हो गये हैं । इस प्रकार लाभ बढ़ते जा रहे हैं । परन्तु इसकी जांच के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

अब मैं उपभोक्ता के खाद्य देशनांक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । १९४९ की तुलना में यह अंक १९५३ में १०९ था । परन्तु उस समय मजूरी १११० रुपये थी । १९५५ में यह ११,११३ रुपये हो गई जबकि मूल्य ९२ हो गये । क्या औद्योगिक कर्मचारियों में रुचि लेने वाले मित्रों ने पूछा था कि खाद्यान्नों के मूल्य गिर जाने से उनकी मजूरी भी कम कर देनी चाहिए । इन्होंने ऐसा नहीं किया । मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें औद्योगिक कर्मचारियों और कृषि उत्पादकों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बनाना चाहिए । मेरे विचार से अब ऐसा समय आ गया है कि जब हमें विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत के प्राक्कलन बना लेने चाहिए ।

बाजारों का प्रश्न आता है । यह बताया गया कि देश में १,५०० मान्यता प्राप्त बाजार हैं परन्तु अभी तक केवल ४५० के लिये बाजार समितियां बनाई गई हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं । हम कृषि मजदूरों तथा कृषि उत्पादकों को अत्याचारों से बचाना चाहते हैं क्योंकि इनको अपना उत्पादन कम मूल्य पर बेचना पड़ता है जिसको बड़े बड़े पूंजीपति खरीद कर अधिक लाभ उठाते हैं। हम यही चाहते हैं किसानों की हालत सुधारी जाये ।

सरकार ने गोदाम निगम प्रारंभ करके तथा उसे २५ करोड़ रुपया देकर बड़ा अच्छा काम किया है परन्तु इससे अधिक लाभ नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे कुछ उपाय करे जिससे औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार विनियमित किए जायें कि समानता आ जाये और भार पड़ने पर सभी पर समान रूप से भार पड़े ।

देहातों की जनता के दिमाग पर यह छाप नहीं पड़नी चाहिये कि सरकार उद्योगों में लगे हुए और सरकारी नौकरी वाले लोगों की ओर भी अधिक ध्यान दे रही है । देश में ऐसे लोग ५० लाख से अधिक नहीं हैं । देश के १० करोड़ व्यक्ति कृशि पर निर्भर रहते हैं । यदि देहात के लोग भी यही सोचने लगेंगे कि सरकार शहरों की जनता की ओर ही अधिक ध्यान दे रही है और यह भी कि सरकार समझती है कि किसान मुनाफेखोरी कर रहे हैं तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा। सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर रखना चाहिये कि किसान भी देश के लिये उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि शहरी वर्गों के

लोग । सरकार को उन्हें इस पर आश्वस्त कर देना चाहिये कि वह देश के कृषीय वर्गों और अन्य लोगों में समतुल्यता स्थापित करेगी ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि खेतिहर मजदूरों की दशा बड़ी विपन्न है । मुद्रा-स्फीति के साथ ही साथ उनके कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं । इसलिये, हमें सबसे पहले गेहूं और चावल का निम्नतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये और उसी के अनुपात से खेतिहर मजदूरों की मजूरी भी निर्धारित कर देनी चाहिये । इससे वे आश्वस्त हो जायेंगे कि उन का शोषण नहीं होगा । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये । यदि वह इस पूरे संकल्प को स्वीकार नहीं करती, तो भी उसे इसकी भावना को तो स्वीकार करना ही चाहिये ।

†**श्री खाडिलकर** : श्री गोपालन ने वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की बुराई का पता लगाने और उसका पता समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया है । लेकिन, वह भी मूल्यों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का सामान्य सुझाव भर देकर रह गये हैं ।

सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोई स्थायी मूल्य नीति का पालन नहीं किया गया है । वर्तमान नीति की जांच करने और इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिये यह आवश्यक है कि हम नियंत्रण और विनियंत्रण के प्रश्न पर पुनः विचार करें । वर्तमान संकट के बीज हमें उसी में मिलेंगे ।

१९४७-१९४९ में इस पर काफी बहस हुई थी । उसे देखने से अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में हमारी वर्तमान नीति, या नीति के अभाव पर बड़ा प्रकाश पड़ता है । उस समय जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने यही परिणाम निकाला था कि हमें मूल्य नियंत्रण हटा देना चाहिये था । उस समय केवल डा० लोहिया ने कहा था कि उसका हल तभी होगा जबकि निजी क्षेत्र का स्थान राज्य ले ले ।

एक दूसरी समिति ने सिफारिश की थी कि नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करके ही समाधान किया जा सकता था ।

१९४८ में, रक्षित बैंक के दो निदेशकों ने इस के संबंध में अपना यह मत व्यक्त किया था कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिये कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं का नियंत्रण करना आवश्यक था ।

लेकिन सभी जानते हैं कि नीति का निर्धारण करते समय कुछ ऐसी बातें अधिक महत्व धारण कर चुकी थीं जो आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं रखतीं । १९४८ में, प्रधान मंत्री को स्वयं ही कहना पड़ा था कि हम किसी तरह पेट भरने की नीति को अपना पाते हैं ।

लेकिन, हुआ यह है कि ऐसी नीति अपनाने के शीघ्र ही बाद हम योजना के काल में प्रविष्ट हो गये हैं और हमने समाजवाद का नारा बुलन्द करना आरम्भ कर दिया है । लेकिन, समाजवाद और योजनाओं के बारे में हमारे सभी मंत्रियों का दृष्टिकोण भी एक नहीं है । हमारी सरकार के सदस्यों को अर्थशास्त्र या अन्य देशों के समाजवाद का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं है । हमारे योजना आयोग का भी यही हाल है । मैं किसी भी मंत्री पर व्यक्तिगत रूप में दोषारोपण नहीं करता ।

खाद्य मंत्री की नीति को ही ले लीजिये । इसी वर्ष के मई महीने में उनका विचार था कि देश में खाद्य समस्या ही नहीं है । अब इस समय के अन्त में गम्भीर खाद्य-संकट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

के कारण इस प्रकार का विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है । इससे पता चलता है कि हमारे मंत्रियों के दृष्टिकोण भी विभिन्न हैं और उनकी नीतियों में एकरूपता नहीं है ।

मैं जानता हूं कि इस संकट की जड़ में दो चीजें हैं । एक तो मुद्रा-स्फीति और दूसरा सट्टा । हमारे देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में थोड़ी सी मुद्रा-स्फीति तो रहेगी ही । हां, उसे नियंत्रित किया जा सकता है । लेकिन, सट्टे का क्या होगा ? हमारें देश में व्यापारिक समुदाय ने अप्रत्यक्ष रूप से देश की सत्तारूढ़ सरकार की नीति को प्रभावित कर दिया है । और, यही समुदाय योजना का सबसे बड़ा शत्रु है । वह योजना को असफल बनाने में लगा है । इसके लिये हमें अपनी नीति में कुछ उग्र परिवर्तन करने पड़ेंगे ।

यह सही है कि इस समस्या के प्रति एक आत्म-संतुष्टि का दृष्टिकोण अपनाया गया है । उन्होंने पहले से कोई एकीकृत योजना नहीं बनाई है । उनका विचार था कि मतदाताओं को योजना की मूल रूपरेखा बताने से ही काम चल जायेगा । जब एक योजना आयोग मौजूद ही है, तो फिर मूल्यों की जांच के लिये समिति बनाने से क्या लाभ होगा ? क्या योजना आयोग केवल कागजों पर ही योजना और उसकी मूल रूपरेखा तैयार करता है ?

हमारे सामने सोवियत संघ और चीन के उदाहरण हैं। हमने कभी भी, उन देशों की भांति, मंत्रियों की नीतियों और उनके निदेशों की परीक्षा नहीं की है । मेरा कहना तो यह है कि यदि सरकार देश में समाजवाद का निर्माण करने के प्रति गम्भीर है, तो उसे अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहिये, जिसमें सामान्य जनता के नित्य-प्रति के जीवन में अव्यवस्था न हो । अन्यथा तनख्वाहें बढ़ाने की मांग उठेगी ही ।

कुछ सोचते हैं कि खेतिहर मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों के हितों में टकराव है । यह सही नहीं है । वास्तव में तो व्यापारी वर्ग और सामान्य जनता के हितों में टकराव है । जब तक सट्टेबाजी को खतम नहीं किया जाता, तब तक मूल्य नियंत्रण करना असम्भव होगा । समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने से भी मूल्यों की वृद्धि रोकी जा सकेगी । हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री देशमुख ने अपनी पुस्तिका में इस संबंध में कहा है कि भारत जैसे पिछड़े हुए देश में राज्य की ओर से व्यापार करने का काफी औचित्य है । मूल वस्तुओं में सट्टे को रोक कर मुद्रा-स्फीति को भी रोका जा सकता है । और उन्होंने, यह भी कहा है कि विकास की गति तीव्र करने के लिये राज्य को और भी अधिक बड़े पैमाने पर हाथ बंटाना चाहिये ।

हमें उन के इस निष्कर्ष से लाभ उठाना चाहिये। केवल समितियों की नियुक्ति से कोई भी लाभ नहीं होगा । आज स्थिति यह है कि सामान्य जनता को व्यापारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है । शहरों की अपेक्षा, गांवों में खुदरा मूल्य सौ प्रतिशत अधिक होते हैं । गांवों और शहरों के मूल्यों में भारी अन्तर रहता है । इनके अन्तर का सारा मुनाफा व्यापारियों को मिलता है । नियंत्रण न होने से, कर-अपवंचन भी होता रहता है । सही लोग न होने के कारण, कर अपवंचन को रोका भी नहीं जा सकता । इसका हल यही है कि यह व्यापार राज्य को अपने हाथों में ले लेना चाहिये । हमें अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहिये जिस पर स्वतंत्र व्यापार प्रभाव न डाल सके । समाजवाद के नारे बुलन्द करने वालों को समाजवाद की सामान्य जानकारी तो प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** (मालदा) : मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं करती हूं । संकट के समय समितियां बनाने की हमें आदत सी पड़ गई है । इससे संकट का हल नहीं होगा ।

मैं मानती हूं कि आज हमारे सामने एक कठिन परिस्थिति है । मूल्य चढ़ते जा रहे हैं । जहां तक सम्भव हो मूल्यों की वृद्धि को रोकना ही चाहिये । लेकिन, विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कुछ मुद्रा-स्फीति तो रहेगी ही ।

श्री रंगा ने कहा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य गिराते समय हमें खाद्यान्नों के मूल्य इतने अधिक नहीं गिरा देने चाहिये कि उससे कृषकों पर बुरा प्रभाव पड़े । भारत जैसे खेतिहर देश में, कृषीय क्षेत्र को उन्नति करनी ही चाहिये ।

संकट के लिये सरकार पर दोषारोपण करना आसान है । हमें ऐसी गम्भीर परिस्थिति में दलगत भावना से कार्य नहीं करना चाहिये । यह पूरे देश की समस्या है । सरकार विनियमन नियंत्रण द्वारा ही मूल्यों की वृद्धि रोक सकती है । योजना के काल में नियंत्रणों से छटकारा नहीं मिल सकता । हम आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था नहीं फैलने दे सकते ।

मैं नियंत्रण और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन से पूरी तौर पर सहमत हूं । केवल यही एक रास्ता है । मैं यह नहीं कहती कि हम ऐसा मूल्य नियंत्रण करें जिससे प्राथमिक उत्पादक को हानि पहुंचे । लेकिन, मूल्य नियंत्रण से साठेबाजों और सटोरियों का लाभ भी तय नहीं होना चाहिये । मूल्यों को स्थिर करना आवश्यक है । वित्त मंत्री भी इसे मानेंगे कि आज की परिस्थिति में साठेबाजों और सटोरियों पर कुछ नियंत्रण रखना ही पड़ेगा । यह प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जा सकता ।

पश्चिमी बंगाल में भी मूल्य चढ़ते जा रहे हैं और साथ ही बाढ़ों ने परिस्थिति को और भी विषम बना दिया है । वहां की राज्य सरकार को विवश हो कर स्टाकों पर कब्जा करना पड़ा है । मूल्यों को स्थिर करने की शक्ति राज्य सरकारों को भी दी जानी चाहिये, अन्यथा आपात काल में वे कुछ भी नहीं कर सकेंगी ।

हमें सब से पहले तो बिचोलियों की कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । सरकार को नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये । पुरानी व्यवस्था ठीक नहीं थी । अपने पिछले अनुभव के बल पर हम सदा ही पहले से अच्छी तरह काम कर सकते हैं । हम सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने का भरसक प्रयत्न कर सकते हैं । हमें सरकार से यही आशा है ।

इसके प्रति सभा को भावुकतावश कोई निर्णय नहीं करना चाहिये । वित्त मंत्री को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे मुद्रा-स्फीति को साठेबाजों और स्टोरियों के स्तर पर रोका जा सके ।

कलकत्ता में, राज्य सरकार को राशनिंग लागू करनी पड़ी है । यह आश्वयक है । वित्त मंत्री को मूल्यों के स्थिरीकरण का प्रयास करना चाहिये । मूल्य हमेशा तो एक ही स्तर पर नहीं रहेंगे, हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि तो होगी ही । लेकिन, मूल्यों और मजूरी में समतुल्यता रहनी चाहिये । इसके लिये हमें पहले के उपायों को ही अपनाना पड़ेगा । पहले के उपाय भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हुए थे, अब हम उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं । हमें इसके लिये दल-गत भावना से ऊपर उठना चाहिये और समूचे देशकी समस्या को हल करने में जुट जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जाधव (मालेगांव) : जो सुझाव कामरेड अ० क० गोपालन ने रखा है उसके जनरल आस्पेक्ट्स (सामान्य पक्षों) की ताईद करने के वास्ते मैं खड़ा हुआ हूं ।

हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वह किसानों की समस्या है । हिन्दुस्तान की आबादी हम देखते हैं तो उस आबादी में से करीब करीब २४ करोड़ की आबादी किसानों की है, और इस किसानों की आबादी की तरफ जिस तरीके से देखना चाहिये उस तरीके से हम नहीं देखते हैं । उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने के वास्ते हमको जिस नजरियों से कोशिश करनी चाहिये वह नहीं होती है । उनके जो सवाल थे उनको हमारे राष्ट्रपिता ने बहुत स्पष्टतया से हमारे सामने रखा था । जमीन के सवाल के बारे में उन्होंने कहा था कि आजादी मिलने के बाद किसान जमीन लेगा । इससे उनका मतलब यह था कि जो ज्यादा जमीन दूसरे लोगों के पास है वह जमीन उनको बिला मुआवजा मिल जायेगी । ऐसी महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि वह जमीन उनको बिला मुआवजा मिलनी चाहिए । लेकिन इसकी तरफ भी हमने ध्यान नहीं दिया है ।

हिन्दुस्तान का अगर कोई बैकबोन (रीढ़) है तो वह किसान है । इसलिए हमें किसान की जिन्दगी की तरफ देना चाहिए । अगर इमारत का पाया मजबूत नहीं होगा तो वह इमारत नीचे आने वाली है । आज जो हिन्दुस्तान का मुस्तकबिल है उसक अगर बनाने वाला है तो वह किसान है । अगर हमें किसान की जिन्दगी अच्छी करनी है तो किसान के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा । किसान की हर रोज काम करने के वक्त जिन चीजों की जरूरत होती है वे चीजें उसे बराबर मिलती नहीं हैं और ठीक भाव से नहीं मिलती हैं । किसान की जरूरत की जो चीजें हैं और जो वह अनाज या धान या मनी क्राप (वाणिज्यिक फसलें) पैदा करता है उनकी कीमत में पैरिटी (समतुल्यता) होनी चाहिए । लेकिन इसकी तरफ हम नहीं देखते हैं ।

एक दफा जब फूड मिनिस्टर को सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि किसान को काफी पैसा मिल रहा है । इस बारे में यहां काफी कहा गया है कि किसान को पैसा नहीं मिलता है बल्कि मिडिलमैन (बिचौलिये) को ज्यादा पैसा मिलता है । जब फसल तैयार होती है या जो चीजें वह पैदा करता है जब वे तैयार होती हैं तो वह उनको बाजार में पैसा कमाने के लिए नहीं ले जाता, बल्कि इसलिए बाजार में ले जाता है कि उसको अपनी जरूरत की दूसरी चीजें खरीदनी होती हैं । उसको जो दाम मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है । उसको मजबूरन उसको थोड़ी कीमत पर बेचना पड़ता है । इस चीज को हमें हटाना है तो इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा । यहां पर कहा गया कि इस चीज को गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए । अनाज का सवाल है । उसकी किसान को काफी कीमत मिले । हम यह नहीं चाहते कि उसको ज्यादा पैसा मिले लेकिन जो उसे कम मिल रहा है उसके बदले ठीक पैसा मिलना चाहिए ।

अगर आप हमारी नेशनल इनकम (राष्ट्रीय आय) को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसान की आमदनी शहरी लोगों की आमदनी से बहुत कम है । हमें बताया जाता है कि हमारी पर कैपीटा इनकम (प्रति व्यक्ति आय) २६२ रुपये है । लेकिन जो एवरेज एग्रीकल्चरिस्ट (औसत किसान) हैं उसकी आमदनी शहरी आदमी की आमदनी की एक-तिहाई से भी कम है । इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि किसान के ऊपर तरह तरह के और टैक्सेज (कर) लगते हैं । जब प्लान (योजना) का सवाल आता है तब भी हम उससे सहायता की इच्छा करते हैं । कम्युनिटी डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट (सामुदायिक विकास परियोजना)

में आप देखें कि देहातियों से पैसा भी मांगा जाता है और उनसे श्रमदान भी मांगा जाता है । जिनकी जिन्दगी ही श्रम की जिन्दगी है । उनसे पैसा मांगा जाता है और लान के नाम पर उनसे श्रम भी मांगा जाए है । जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं उनसे पैसा नहीं मांगा जाता । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पूंजीपति हैं और जो राजा महाराजा हैं, उनके पास जो पैसा है वह गरीबों का है और वें उसके ट्रस्टी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको बापू के ये शब्द याद हैं । लेकिन कम्युनिटी डेंवेलपमेंट के लिए हमारे पूंजीपतियों ने और राजा-महाराजाओं ने कितना पैसा दिया है । एक पैसा भी नहीं । अगर दिया है तो केवल कर्ज के तौर पर दिया है । इन बातों को हमें बहुत गौर से देखना होगा । किसान हमारे देश की बैकबोन है । इस पर यदि आप बहुत अधिक बोझा डालेंगे तो यह टूट जायेगी, अगर यही दशा रही तो हमारी हिन्दुस्तान की इमारत का पाया फट जाने वाला है और हमारे देश का बहुत नुकसान होने वाला है । इसलिए मैं अपने भाइयों से अदब से कहना चाहता हूं कि ये हमारे किसान हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल को बनाने वाले हैं, इनके बारे में यह न कहिये कि इनको काफी पैसा मिल रहा है, इनको काफी आमदनी हो रही है ।

यह कहने से आप उनकी जिन्दगी में कुछ ज्यादा जीवन पैदा करने वाले नहीं हैं । हिन्दुस्तान को अगर कोई जिन्दा रख सकता है तो किसान ही जिन्दा रख सकता है । इसलिए उसकी जिन्दगी को आप सहन करने योग्य तो बनाइये । इस ओर गवर्नमेंट को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को उचित पैसा मिले । उनके बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । आप उनके ऊपर बेसिक ऐजूकेशन (बुनियादी शिक्षा) लादना चाहते हैं । लेकिन जो मामूली सा ज्ञान है वह भी वे प्राप्त कर पाते हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है । अगर उनकी यह जिन्दगी दुरुस्त नहीं की गयी तो हिन्दुस्तान का मुस्तकविल अच्छा होने वाला नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र (बंगहा) : यह जो प्रस्ताव गोपालन साहब ने प्रस्तुत किया है इसकी मंशा भी यही है कि इस सवाल को टाल दिया जाये । यह कहते हैं कि ६ महिन में कमेटी रिपोर्ट दे । कोई भी काम सरकार को करना होता है तो वह कमेटी बिठा देती है । इसलिए मैं गोपालन साहब के इस ६ महीने के कमेटी वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार प्राइस पालिसी (मूल्य नीति) के सम्बन्ध में निश्चित धारणा रखे । क्योंकि आज हमारी सरकार को दिक्कत हो रही है, गल्ले की और बहुत सी दूसरी चीजों की । मैं देखता हूं कि किसान गल्ला पैदा करता है । किसान जितना गल्ला पैदा करता है, सरकार को चाहिए कि वह उस का कास्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन की लागत) जितना उत्पादन का खर्च पड़ता है उसी हिसाब से और चीजों की कीमत भी तय करे । यह जरूर है कि सरकार को इस में थोडी देर लगेगी, लेकिन जहां तक इस का सवाल है, मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के पास सारा डेटा (सामग्री) मौजूद है । वह सब जानती है कि धान के पैदा करने में कितना खर्च बैठता है, गेंहू की पैदावार में कितना खर्च होता है, कपड़े के बनाने में कितना लगता है । सीमेंट, लोहा आदि जितनी भी चीजें हैं सब का हिसाब उस के पास है । उस को सब चीज का हिसाब लगा कर पांच या दस रोज में उन की रिलेटिव प्राइस फिक्स (सापेक्ष मूल्य निर्धारित) कर देनी चाहिए । इस से सरकार को सहूलियत होगी । इस तरह से नहीं कि कमेटी बनाई गई वह सारे देश में छः महीने घूमती रहे, पैसा खर्च करे और दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इस की कोई जरूरत नहीं । जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसी नीति

[श्री विभूति मिश्र]

अख्त्यार करे जिस में रा मैटीरियल्स (कच्चा माल) और फिनिश्ड गुड्स (तैयार माल) सब की कीमतों का रिलेशन (संबंध) तय हो जाये। अभी हमारे एक भाई बोले। वह चले गए रूस : कोई भाई चले जाते हैं इंग्लैंड। हमें रूस और इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत है ? नियम तो बनाये जाते हैं देश काल और पात्र के अनुसार। रूस और इंगलैंड में जाने से क्या फायदा ? हमारे देश में आज जरूरत इस बात की है कि सब चीजों की कीमत ठीक हो, चावल की क्या कीमत होनी चाहिए, कितना उस का उत्पादन-खर्च बैठता है। इसी तरह से लोहे की कीमत तय होनी चाहिए। बजाय इस के हम रूस और इंग्लैंड में चले जाएं, अमरीका चले जाएं, हम देखें कि हमारे हिन्दुस्तान में क्या स्थिति है। हमारे लाल टोपी वाले भाई ने गांधी जी का जिक्र किया। गांधी जी इंग्लैंड गए, वहां से क्षमता प्राप्त कर के लौटे, लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के लिए, हिन्दुस्तान के तरीके पर, उन्होंने अहिंसा का अस्त्र निकाला और उसी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भारत के जितने दफ्तर हैं, बाहर स्वराज्य की लड़ाई लड़ने के लिए सब बन्द होने चाहिएं। और हिन्दुस्तान में यह अस्त्र सफल हुआ। हिन्दुस्तान में हमारे भाइयों को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या है। मैं बतलाता हूं कि हमारे किसान भाई बहुत गरीब हैं। आज जो हमारे यहां गल्ले की कीमत का हिसाब है, उस के कारण किसान को कोई इंसेंटिव (प्रेरणा) नहीं है। हमारे फूड एंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर, श्री जेन ने बतलाया कि गल्ले का इंडेक्स नम्बर (देशनांक) कितना बढ़ा है। उसी हिसाब से सीमेंट, लोहा, छाता, जूता, स्कूल की फीस, सभी की कीमत बढ़ेगी। इसलिए सब की कीमत को इंटेग्रेटेड (एकीकृत) होना चाहिए। आज सरकार को इस की जरूरत है।

जो भाई हमारे अभी बोले, मैं उनसे बतलाना चाहता हूं कि अभी हाल में ही हम चुनाव लड़ कर यहां आए हैं और पिछले हिसाब से ज्यादा आए हैं। हम भी किसान के रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) हैं, लाल टोपी वालों में से बहुतों की जमानत जब्त करा कर आए हैं। लेकिन मैं भी सरकार से कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में इस का दावा करता हूं कि जैसा हमारे गोपालन साहब ने कहा कि कमेटी बने, और छः महीने बाद उस की रिपोर्ट आए, इस की जरूरत नहीं है। सरकार के पास सारा हिसाब मौजूद है। मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस काम को करें। हमारे अपने फायदे के लिए और देश की सेवा करने के लिए यह सब से जरूरी चीज है जिस को सरकार को करना चाहिए। अगर वह इस को नहीं करेगी तो हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आप लाल टोपी वालों की बात क्यों करते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि किसानों के बच्चों के लिए स्कूल और कालेज होने चाहिएं। मैं पूछता हूं कि सन् १९२० से १९४२ तक कभी वह जेल भी गए हैं। या यों ही आज स्कूल और कालेज की बात करने चले हैं। मैं पूछता हूं कि सन् १९२० से १९४२ तक वह कहां थे, क्या उस समय उन के स्कूल और कालेज बन्द थे ? पता नहीं पीजेन्ट्स पार्टी (किसान दल) के हैं या किस पार्टी के हैं, वह हमें रास्ता बताने चले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस झगड़े को यहीं छोड़िए।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : यहां के बाहर फैसला कर लेंगे।

श्री विभूति मिश्र : यहीं करेंगे, बाहर तो अभी कर ही चुके हैं। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जैसा अभी मैंने थोड़े दिन हुए जूट के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, एक मन जूट की कीमत मिलती है १६ रु०। उसी के बोरे बनाए जाते हैं जो ४०

रु० मन बिकते हैं । २४ रु० कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं पड़ता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) हैं, जो कच्चा माल खरीदते हैं और पक्का माल बनाते हैं, उन की वजह से कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है । आज इसीलिए जरूरत है कि सरकार सब चीजों के लिए एक इंटेग्रेटेड कीमत कायम करे । एक दूसरे के मुकाबले चीजों की कीमत क्या हो और पूंजीपति को कितना मुनाफा मिले । जिस को मुनाफा मिलता है, उस से हमें ज्यादा लेना चाहिए ।

अभी हम यहां कोआपरेटिव सोसाइटी (सहकारी समिति) की बात कर रहे हैं । यह नहीं है कि सरकार चुप बैठी है । वेअरहाउसिंग (भण्डारग्रह) की बात चल रही है । कोआपरेटिव सोसायटी के बनने में अभी कुछ देरी लगेगी । देश बहुत बड़ा है । उस में सारी बातें एकदम से करने में दिक्कत होती है और देर लगती है, लेकिन इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि सरकार इसे करे ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज फूड ग्रेन्स एनक्वायरी कमेटी (खाद्यान्न जांच समिति) की जरूरत नहीं है । आज सरकार के पास सारा डेटा मौजूद है । सरकार जानती है कि किस के पास कितना गल्ला है, उस को यह गल्ला ले कर सारे देश में लाना चाहिए । सरकार को चाहिए यह था कि एक एग्रिकल्चर कमेटी बनाती, जैसे कि लार्ड लिनलिथगो ने रायल कमिशन बनाया था । सारे देश में खेती के बारे में पूरी जांच होती और जांच के बाद सरकार के पास रिपोर्ट आती कि कैसे पैदावार बढ़े । फूड शार्टेज (खाद्य का अभाव) कोई हमारे अधिकार में तो है नहीं । अगर बिहार में अनाज कम हो गया है, बारिश हो नहीं रही है, तो बारिश के ऊपर हमारा अधिकार तो है नहीं । रहा यह कि हम नहरें वगैरह बनवाएं, तो हमारा कोई हिस्सा तो है नहीं, हिन्दुस्तान की सभी स्कीमों को साथ ले कर चलना है । सरकार सब के लिए ही तो कार्य कर रही है । इस लिए हो सकता है कि सरकार को इस काम के करने के लिए कुछ समय ज्यादा चाहिए । लेकिन तत्काल यह आवश्यक है कि सरकार कोई ऐसी नीति अख्त्यार करे जिस की वजह से सारी चीजों की कीमतों पर असर पड़े । वह ऐसा असर होना चाहिए कि किसान को भी कुछ बचे और जो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं उन को भी मुनाफा हो । क्योंकि जब तक हम पब्लिक (सरकारी) और प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) को साथ ले कर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा काम ठीक से नहीं हो सकता । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस चीज को देखते हुए कोई निश्चित नीति अख्त्यार करे ।

जो गोपालन साहब का प्रस्ताव है, वह डायलेटरी (लम्बा-चौड़ा) है । छः महीने तक जांच हो । कमेटी सब जगह पर घूमे, उस के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करे । आज छः महीने तक जांच पड़ताल होने की कोई जरूरत नहीं है । वह अपने पास सारा हिसाब देख कर के सारी चीजों की कीमत निश्चित कर दे ताकि किसान भी जिन्दा रहे और किसान के अलावा जो माल बनाते हैं वह भी जिन्दा रहें । सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन, थर्ड फाइव इअर प्लैन, फोर्थ फाइव इअर प्लैन सभी प्लैन्स (योजनाओं) को देखते हुए सरकार चले। यह नहीं कि सेकेन्ड का तो खयाल रक्खे और आगे के बारे में कुछ न सोचे ।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : मैं केवल तीन बातें कहना चाहता हूं ।

कृषि के हित में भी यही है कि मूल्यों को निर्धारित किया जाये और मूल्यों की समतुल्यता स्थापित की जाये । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तो हुई है, लेकिन कई कृषीय वस्तुओं के मूल्य अब भी बहुत कम हैं । इसलिये, तिलहन,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नागी रेड्डी]

हल्दी, खोपरा आदि जैसी वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है । खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने पर भी, इनके मूल्य नीचे ही रहते हैं । इसकी जांच होनी चाहिये, और इसलिये ऐसी समिति की नियुक्ति आवश्यक है ।

इस जांच की आवश्यकता का एक कारण यह भी है कि १९५५ में लगभग सभी कृषीय वस्तुओं के मूल्य एकदम गिर गये थे । कृषि पर सदा ही सट्टा बाजार का प्रभाव पड़ता रहता है । साहूकार और उद्योगपति भी उन पर अपना प्रभाव डालते हैं । कृषि में सदा ही या तो मूल्य बहुत चढ़े हुए रहते हैं या एकदम गिर जाते हैं । इसलिये, द्वितीय योजना और उपभोक्ताओं के हित में यही है कि सरकार को उचित मूल्यों की नीति अपनानी चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री ने पहले एक अवसर पर कहा था कि कृषीय वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि का लाभ कृषक उठा रहे हैं । यह सही नहीं है । यह सोचना बड़ा खतरनाक है । किसी भी वर्ष में औसत मूल्य इतने अधिक नहीं बढ़े हैं और न कृषकों ने उससे लाभ उठाया है । उदाहरण के लिये, आप धान के मूल्यों को ले लीजिये ।

धान का मूल्य जनवरी १९५० में ४७९ के स्तर पर था, लेकिन सितम्बर में वह ५४९ के स्तर पर आ गया था । जनवरी १९५६ में वह ४४९ था और सितम्बर में ६०० हो गया था । १९५३ और १९५५ में भी इसी प्रकार के मूल्य रहे थे । इन सभी वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्य सितम्बर में चढ़ जाते थे । मैं यही कहना चाहता हूं कि धान के मूल्यों में इतना चढ़ाव-उतार होने से कृषकों को बड़ी हानि होती है । नारियल और अन्य कई कृषीय वस्तुओं के मूल्य भी इसी प्रकार चढ़ते-उतरते रहते हैं ।

इसलिये, पूरे देश के हित में यही है कि इसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये और कोई समतुल्य मूल्य निर्धारित किया जाये । यदि हम वर्तमान नीति पर चलते रहेंगे, तो ८० प्रतिशत किसानों के रहन-सहन के स्तर में कोई सुधार नहीं हो सकेगा । इसलिये, सरकार को इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्यसभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५७ के बारे में, जो लोक सभा ने २४ अगस्त, १९५७ को पारित किया था, राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिए एक स्पष्ट मूल नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब ७ या ८ मिनट ही रह गये हैं । यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री धनगर (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने फूड प्राइसिज (खाद्यों के मूल्य) का प्रश्न है। खाद्य पदार्थ की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या को हल करने के लिये गवर्नमेंट बहुत दिनों से तरह तरह की तजवीजें ला रही है, लेकिन यह समस्या सुलझ नहीं रही है और जहां तक मौजूदा सरकार का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह इस को हल करने में कदापि सफल नहीं हो सकेगी। इस की मुख्य वजह यह है कि हमारे देश में बहुमत किसानों और मजदूरों का है, लेकिन अगर हम सरकार के तीनों अंगों—जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लैजिस्लेचर (न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल) का ख्याल करें, तो हम देखते हैं कि उन में ज्यादा तादाद उन लोगों की नहीं है, जो कि देश के सही नुमायन्दे हो सकते हैं। यही खास वजह है कि हम अपनी जटिल समस्याओं को, जोकि हमारे देश के लिये या किसी भी देश के लिये मौलिक समस्यायें हो सकती हैं, हल करने में सफल नहीं होते हैं। जब तक इस सरकार में बहुमत किसानों का न होगा, मजदूरों का न होगा, उन लोगों का न होगा, जिनकी ये समस्यायें हैं, तब तक ये समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। आज इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज्य है, जिस के सामने महात्मा गांधी ने यह आदर्श रखा था कि इस देश का राष्ट्रपति जब तक एक किसान नहीं होगा, तब तक इस देश का बेड़ा पार न हो सकेगा, लेकिन राष्ट्रपति तो क्या, सारे देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्था में किसानों और मजदूरों का, जिन का कि इस देश में बहुमत है, सही प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य जैसी संस्था हो, या कोई भी संस्था हो, हर एक संस्था 'बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय' के लिये संगठित होती है, लेकिन इस का ठीक विपरीत अगर हम को देखने को मिलता है, तो इस अभागे देश हिन्दुस्तान में है। यह शोषण की व्यवस्था हमारे देश के लिये नई नहीं है। हमेशा से यह समस्या इस देश में रही है और वह समस्या स्वराज्य के बाद भी और जोर से मौजूद है। हालांकि हमारे ट्रेजरी बैंचिज (सरकारी पक्ष) के बहुत से लोग हिम्मत कर के कहते हैं कि हम किसानों के नुमायन्दे हैं, हम बहुत से लोगों की—लाल टोपी वालों की जमानतें जब्त करा के यहां पर आये हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बड़ी बनावट की और धोखे में डालने वाली बातें हैं। खैर, मैं इस विवाद में न पड़ कर मुख्य प्रश्न पर आता हूं। जैसा कि मैं ने अभी कहा कि इस देश में किसानों, मजदूरों और मामूली गरीब किस्म के आदमियों का बहुमत है और वही हिन्दुस्तान की सारी सम्पत्ति को कच्ची शक्ल में पैदा करने के जिम्मेदार हैं, लेकिन जुडिशरी, एग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर या ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) में जिन लोग का रिप्रैन्जेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) है, उन में से ज्यादातर—मैं सभी तो नहीं कहूंगा—इस क्लास (वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हैं और इसलिये इस समस्या का सुलझाव बड़ी कठिनाई में पड़ता चला जा रहा है। यह समस्या इन लोगों की है, लेकिन इस को सुलझाने वाले, इस को हल करने वाले दूसरी किस्म के लोग हैं। जब तक किसी भी समस्या को सम्बन्धित लोगों के सहयोग और सहायता से हल नहीं किया जायेगा तब तक हरगिज उस समस्या को सही तौर पर हल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मुझ से पहले बोलने वाले सज्जन ने कहा है, किसान एक चीज को पैदा करता है, लेकिन जिस वक्त फसल तैयार हो जाती है, उस वक्त किसान को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये उन चीजों को बेचना पड़ता है और उस वक्त उन चीजों का जो भाव होता है, उसी पर उस को बेचना पड़ता है। किसानों का बहुमत ऐसा है, जब कि अपनी साल भर की जरूरत के लिये अनाज बचा नहीं सकता है। जब वह बचा नहीं सकता है, तो जरूरत के वक्त उस को अपने खाने के लिये, अनाज की जो भी प्राइस होती है, उस के हिसाब से वह खरीदना पड़ता है। इन चीजों पर विचार करने वाले दूसरे ही लोग हैं। अवश्य ही यह समस्या मौजूदा स्थिति में हल नहीं हो सकती है, यह बहुत ही जटिल समस्या है। बापू गांधी जी ने इस की तरफ इशारा किया था और कई बार इस का जिक्र भी किया था और कहा था कि इस पर गवर्नमेंट का मौलिक दृष्टिकोण होना चाहिये और गम्भीरता से उसे इस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक इलैक्शंस (निर्वाचनों) का सम्बन्ध है, हम ने देखा है कि जितनी भी व्यवस्थायें हैं, सब की सब पूंजीवादी हैं और यहां पर भी पूंजीवादी व्यवस्थाओं के सहारे ही लोग कामयाब होते हैं और हुए हैं। अगर गवर्नमेंट वास्तव में चाहती है कि इस समस्या का हल हो तो उस को अपनी पालिसी में

[श्री धनगर]

मौलिक परिवर्तन करना होगा। उसे समुचित व्यवस्था पर किसानों को, मजदूरों को तथा दूसरे लोगों को जिन का कि बहुमत हमारे देश में है, उत्साहित करना पड़ेगा . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : तैयारी बाहर होगी, यहां पर तो नहीं हो सकती है।

श्री धनगर : देश की समस्या सुलझाने के लिये हम लोगों को चाहिये कि हम सभी का सहयोग हासिल करें। मैं इस बात को मानता हूं कि यह केवल कांग्रेस पार्टी का ही काम नहीं है, यह उस का ही जिम्मा नहीं है। हम जो विरोधी दल के लोग हैं और जो यहां बैठे हुए हैं तथा हम में से जो बाहर हैं, उन सब को इस काम को करना है। लेकिन कांग्रेस को भी जो पक्षपाती पालिसी पर वह अमल कर रही है, उसे छोड़ना होगा। हर मामले में हम देखते हैं और विशेष कर सर्विसिस में कि वह इसी पालिसी पर चल रही है। इस चीज के खिलाफ हम लोगों को बड़े से बड़ा मोर्चा लेना है और किसानों तथा मजदूरों को संगठित करना है, उन में जागृति पैदा करनी है। इस को करने के लिये हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी होगी . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप, जो प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है, उस का क्या समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं।

श्री धनगर : मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर (माननीय मंत्री)।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प का जो उद्देश्य है इस सम्बन्ध में मैं विवाद नहीं कर सकता। वास्तव में जो चीजें निश्चित आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिये आवश्यक हैं तथा जो चीजें गतिशील आर्थिक व्यवस्था के लिये आवश्यक हैं उन चीजों की कीमतों के सम्बन्ध में एकीकृत नीति अपनाने की आवश्यकता सब स्वीकार करते हैं। यदि माननीय विरोधी सदस्य आज्ञा देंगे तो मैं यह बताऊंगा कि जो कुछ माननीय सस्दय ने कहा है उस में से बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं। अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय उन्हों ने भाषण दिया। कई बातों पर जो भावनायें—विचार तथा सिद्धान्त और नीति सम्बन्धी बातें जो उन्हों ने कहीं उन पर असहमति नहीं हो सकती—क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सामान्य विकास हो तथा यहां कृषक, उत्पादक, आय अर्जित करने वाले लोग और निश्चित वेतन पाने वाले लोग सभी बराबर का फायदा उठायें—तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें कीमतों के बारे में एकीकृत नीति अपनानी चाहिये।

वास्तव में योजना आयोग ने अपनी द्वितीय योजना में स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि राजकोषीय नियंत्रण हो या कोई राजकोषीय नियंत्रण न हो। योजना आयोग ने भी एक विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में असन्तुलन होने की बात कही है और यह कहा भी है कि हमें विभिन्न आकस्मिकताओं का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

जब कि मैं यह कहता हूं कि मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत हूं उसी के साथ मैं यह मानने को तैयार नहीं कि जो उपचार उन्हों ने बताये हैं वह ठीक हैं। वह अन्तरिम प्रकार के हैं। क्या उपचारों को अब देखा जाना है, या कोई चीज जो हमने नहीं की है क्या उस से वह उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा या हमें यह प्रतीक्षा करनी चाहिये कि क्या वह उस प्रयोजन के लिये लाभदायक है या नहीं है—इन बातों पर वह दोबारा विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मित्र की मुख्य बात यह है कि आयोजित अथवा कीमतों की अत्याधिक वृद्धि—ये बातें योजना को क्रियान्वित करने की दृष्टि से अवांछनीय हैं। लागत बढाने के अलावा ये समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आय के वितरण में परिवर्तन कर देती हैं। जैसा कि मैं ने कहा इस सामान्य बात को हम मानते हैं। मैं श्री रेड्डी की भी कुछ बातें मान सकता हूं जो उन्हों ने कतिपय वस्तुओं के बारे में कही हैं—जिन्हें हम अपने दृष्टिकोण से अत्यावश्यक न समझते हों—किन्तु जिन से वास्तव में कृषक की अर्जन क्षमता पर भार पड़ता हो। योजना के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

एक और पहलू है जिसे आपको मानना पड़ेगा। यह बात मानलो कि हमने कीमतों की एकीकृत नीति अपना ली है—उस का यह अर्थ नहीं है कि एक विकासशील देश में हम कीमतों को सदैव एक स्तर पर रख सकते हैं या दूसरे प्रभावों के प्रवर्तन को बिल्कुल ही रोक सकते हैं। निस्सन्देह तथ्य यह है कि यदि परिवर्तन होते हैं—तो वह शीघ्र न हों।

जो बात माननीय मित्र श्री नागी रेड्डी ने मूंग फली तथा कपास की २।। वर्ष पहले की कीमतों के बारे में कही वह भी मान्य हैं। वास्तव में फरवरी १९५५ में मुझे स्वयं कपास के मूल्यों के बारे में चिन्ता थी और मैं ने कपास की कीमतों को स्थिर रखने के लिये सब प्रकार की बातें कीं क्योंकि कपास के स्टाक कृषकों के हाथ से व्यापारियों के हाथों में जा रहे थे। जब मैं सामान्य बातों को मानता हूं तब माननीय मित्र को यह नहीं कहना चाहिये कि आप की नीति गलत है।

मैं यह कहता हूं कि हमारी एक नीति है और वह नीति सही दशा में जाती है। हो सकता है माननीय सदस्य कतिपय बातें कराना चाहते हों जो कि विभिन्न कारणों से नहीं की जा रही हैं। और इतना ही पर्याप्त है —मैं इस विषय पर झगड़ा नहीं करना चाहता यदि मैं माननीय मित्रों डा० राम सुभग सिंह, श्री रंगा, श्री खाडिलकर के भाषणों तथा अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों जो कि हिन्दी में थे तथा श्रीमती रेणुकाराय के भाषण का उल्लेख करूं तो पता लगेगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य ने अलग अलग बातों पर जोर दिया है। श्री नागी रेड्डी ने वस्तुओं का उल्लेख करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मुख्य प्रयोजन को छोड़ा न जाय अर्थात् दूसरे लोगों को इतना ध्यान नहीं है। कुछ लोगों की राय निश्चित होती है और कुछ की अलग होती है और जिन उपचारों का यह सुझाव देते हैं वह भी अलग अलग होते हैं।

इस लिये इस प्रश्न पर ठीक निर्णय करने के लिये यह आवश्यक है कि हाल में जो कीमतें बढ़ी हैं उन्हें हम दीर्घ तथा दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से देखें तथा फिर सरकार की नीति के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखें। किसी कार्य पर निर्णय करने से पूर्व एक व्यक्ति को सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिये और विभिन्न वैकल्पिक तरीकों पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

श्री गोपालन ने स्वयं किसी पक्की तथा सुचारू नीति का सुझाव नहीं दिया है। उन्हों ने कहा है कि यह सब बातें समिति पर छोड़ दी जायें। यदि उन्हें महसूस न हो तो मैं यह कह डालूं कि यह संकल्प रखने का विचार उन के मन में अशोक महता समिति की नियुक्ति से पूर्व ही उपजा होगा। मैं गलत भी हो सकता हूं। खैर उन्हों ने कहा कि अशोक महता समिति का प्रयोजन अलग है और इस से काम नहीं चल सकता।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वह इस प्रकार का अन्तर क्यों समझ रहे हैं। क्योंकि अशोक महता समिति खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी विचार करेगी और फिर देश की अधिकतर जनता के लिये तो खाद्यान्नों की कीमतें ही सब से अधिक महत्व रखती हैं।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री गोपालन ने तीन बातें रखी हैं। एक यह है कि योजना अवधि में व्यवस्थित मुद्रा वृद्धि का इन कीमतों के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे कीमतों के उतार चढ़ाव से योजना के प्राक्कलनों में कितनी कमी पैदा होगी और अन्त में यह बात कही है कि एकीकृत मूल्य नीति से योजना के लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित हो जायेगी और आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति भी निश्चित हो जायेगी।

जहां तक इन बातों के कहने का सम्बन्ध है वह तो ठीक है। आशा है वह मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं उन्हें बता दूं कि इन बातों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिये जा सकते। संभाव्य बातों पर मुख्यतया ही बताया जा सकता है और सरकार अपनी स्थूल नीति को ही इन बातों पर प्रकट कर सकती है यदि नयी बातें पैदा हो जायें तो परिवर्तन किये जा सकते हैं।

इस के अतिरिक्त मूल्य नीति के बारे में यह बात नहीं है कि कोई एक विशेष कीमत पर क्या करता है या कुछ चीजों की कीमतों पर क्या करता है। इन सब बातों का प्रभाव इस प्रणाली में प्रवर्तित होने वाली समस्त आर्थिक नीतियों पर रहता है। क्या अशोक मेहता समिति के अतिरिक्त दूसरी समिति इन्हें कर सकती है? श्रीमती रेणुका राय ने बताया है कि योजना आयोग किस लिये है। यह क्या कर रहा है? क्या चालू कीमतों के परिवर्तनों का लगातार निरीक्षण नहीं होता है और योजना आयोग ने किन उपचारों का सुझाव दिया है? श्रीमती रेणुका राय भी उपचार की बात ही करेंगी। वह कहती हैं कि एक नियन्त्रित नीति अत्यावश्यक है और उस के बिना योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। हो सकता है वह ठीक हों। मैं यह नहीं कहता कि वह गलत हैं क्योंकि जैसा कि श्री गोपालन ने कहा है कि योजना का अर्थ है नियन्त्रण। हो सकता है कि हमारी नीति त्रुटिपूर्ण हो क्योंकि हमारे नियंत्रण व्यापक नहीं हैं। यदि नियंत्रण एक क्षेत्र में हो तो दूसरे में हलचल मच जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिये मूल्यों की स्थिति के संबंध में इन तथ्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

जैसे मैं समझ सका हूं तथ्य इस प्रकार हैं। १९५५ के मध्य से कीमतें एक दम बढ़ी हैं। खाद्यान्नों की कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। १९५२-५३ को आधार मान कर तुलनात्मक दृष्टि से यह मापदंड ठीक है—२५ प्रतिशत वृद्धि हुई है और दालों के मूल्यों में ५६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। मई, १९५५ की तुलना में चावल तथा गेहूं के मूल्य ४६ तथा ५३ प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक सामान तथा तैयार माल की कीमतें २६ तथा १० प्रतिशत क्रमशः बढ़ी हैं। यह वृद्धि कोई थोड़ी नहीं है। दूसरे इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि १९५५ के आरम्भ में कीमतें कम थीं और इस बात का स्पष्टीकरण श्री नागी रेड्डी ने किया था कि कपास तथा मूंगफली की कीमतें कम थीं। खाद्यान्नों की कीमतों को गिरने से रोकने के लिये हमें कुछ उपाय करने के लिये तैयार रहना पड़ा था।

संभवतया कोई अप्रैल, १९५४ को तुलना के लिये आधार माने। मैं यह नहीं कहता कि कीमतें समान हैं। उस आधार पर तुलना इस प्रकार होगी। दालों की कीमतें २० प्रतिशत बढ़ी हैं। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें १३ प्रतिशत बढ़ी हैं, तैयार चीजों की कीमतें ७ प्रतिशत बढ़ी हैं और सामान्य देशनांक में ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किन्तु १९५४ को सन्तोषजनक दृष्टि से आधार नहीं माना जा सकता। कोई दूसरे वर्ष को आधार मान कर एक पृथक चित्र देख सकता है।

जैसा कि मैं ने बताया १९५२-५३ के आधार पर थोक कीमतों का नया देशनांक इस प्रकार है। सामान्य मूल्य इस समय १२ प्रतिशत अधिक हैं, दालों के मूल्य ७ प्रतिशत अधिक हैं; खाद्यान्नों के १२ प्रतिशत; औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य २२ प्रतिशत; तैयार माल के मूल्य ९ प्रतिशत; किन्तु १९५२-५३ में खाद्यान्नों के मूल्य थोड़े अधिक थे। वास्तव में अधिकतम सीमा से वह कुछ ही कम थे; जब से नियंत्रण हटा अनाज के मूल्यों में वृद्धि होना आरम्भ हुआ और वृद्धि कोरिया युद्ध की तेजी से हुई उस समय चावल का देशनांक ५१६ था—यह देशनांक १९३९ को आधार मान कर गिना गया

है। यह मूल्यों सामान्यतया कृषकों को लाभदायक था क्योंकि सामान्य वस्तुओं का देशनांक ३८१ था। मैं सैद्धान्तिक स्तर के छलावे का अनुसरण तो करना नहीं चाहता—किन्तु मैं यह बात कहे बिना नहीं रहूगा कि १९५२–५३ में चालू कीमतों से थोड़ी से वृद्धि का मामला लापरवाही या उपेक्षा का मामला नहीं है।

तत्संबधी चित्र देखने के लिये संभवतया यह बात भी सहायक हो—यदि मैं अप्रैल, १९५६ अर्थात् द्वितीय योजना के आरम्भ से तुलनात्मक देशनांक का उल्लेख करूं जब कि स्थिति सामान्य देशनांक १०० ही था। अप्रैल, १९५६ से दालों के मूल्यों में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है; चावल और गेहू में क्रमशः २१ तथा १३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। और मोटे अनाज के मूल्य अधिक बढ़े हैं। इन वृद्धियों की तुलना में औद्योगिक कच्चे माल की कीमत में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और तैयार वस्तुओं की कीमत ६ प्रतिशत बढ़ी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि वृद्धि समान्यतया हुई है किन्तु खाद्यान्नों की कीमत में तथा अन्य कृषि उत्पादों की कीमत में ही अधिक वृद्धि हुई है।

माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने वृद्धि का कारण पूछा है। उन्हों ने कहा है कि इस झगड़े का कारण सरकार ही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि सरकार न हो तो यह सवाल ही न पूछे जायें और किसी व्यक्ति को किसी बात का पता न लगे। कीमत क्यों बढ़ी इस बात का संक्षिप्त उत्तर तो यह है कि देश के सभरण से मांग ज्यादा बढ़ती रही है। हो सकता है कि संभरण स्थिर हो। वह बात मैं समझता हूं आन्ध्र में चल रही है। आन्ध्र के तटवर्ती जिलों में स्थिति स्थिर है। इस में गति नहीं है। औद्योगिक उत्पादन सन्तोषप्रद रहा है; प्रति वर्ष इस में ९ प्रतिवर्ष की वृद्धि होती रही है। दूसरी ओर खाद्यान्नों की पैदावार मांग के अनुसार नहीं बढ़ी है। १९५४–५५ में १९५३–५४ की तुलना में २० लाख टन कम अनाज पैदा हुआ। १९५५–५६ में १५ लाख टन और पैदावार घटी। १९५६–५७ में आशा है कि ६८६ लाख टन अनाज पैदा होगा अर्थात् गत वर्ष से ३७ लाख टन अधिक पैदावार होगी किन्तु १९५२–५३ के उत्पादन से यह भी थोड़ी कम ही है। कृषि उत्पादन किसी अन्य प्रयास पर पहले नहीं देखा जा सकता तथा इस का अन्दाजा ठीक नहीं लगाया जा सकता। किन्तु यह सच बात है कि आवश्यकता के समान उत्पादन नहीं है। इसलिये इन हालात में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना अत्याधिक महत्व की बात है।

खाद्यान्नों के बारे में, १९५३–५४ के स्तर तक मेरे विचार में योजना के व्यय अधिक हैं। १९५३-५४ में योजना पर ३४३ करोड़ व्यय किये गये। १९५७–५८ पर व्यवस्थित व्यय ९६५ करोड़ रुपये है। सरकारी व्यय की अन्य मदें भी बढ़ी हैं। समाज में वास्तविक बचत न होते हुए भी गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की वृद्धि हुई है। निस्सन्देह प्राकृतिक रूप से इन विनियोजन की मांगों पर प्रभाव यह हुआ है कि घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है। एक बात ठीक रही—अन्यथा स्थिति इस से भी खराब हो सकती थी। भुगतान सन्तुलन में जो महान घाटा रहा है उस से मुद्रास्फीति पर एक प्रकार से पर्याप्त नियंत्रण रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को दो बातों से देखना चाहिये। एक तो राजकोषीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति के द्वारा आर्थिक नीति का समष्टिगत विनियम है और अब भी मैं यही समझता हू कि ये सब बातें डा० राम सुभग सिंह की आलोचना के बावजूद भी की जा सकती हैं— और दूसरे निर्यात आयात आदि पर नियंत्रण करने तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तियां जारी करने अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निश्चित करने तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों से यह कार्यवाही संभव है। सरकार अब तक इस प्रकार का नियंत्रण करती रही है और खाद्यान्नों के सीधे स्पष्ट नियंत्रण से बचती रही है। जैसा कि सभा को ज्ञात है हमारी आर्थिक नीति इस दशा की ओर अग्रसर है कि विनियोजन के लिये अधिक धन प्राप्त किया जाये। अत्याधिक बैंकों द्वारा ऋण देने पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार यह नहीं कहती कि समय समय पर इन सब बातों में रूपभेद या संपरिवर्तन नहीं होंगे।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मेरे माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने संवारित ऋण नियंत्रण के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किये हैं। इस समय मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। किन्तु गत कुछ सप्ताहों से खाद्यान्नों पर ऋणों की राशि कम हुई है। २६ जुलाई को खाद्यान्नों पर कुल ऋण २९.३० करोड़ था जब कि मई के अन्त में यह ऋण ४२.५२ करोड़ रुपये था और गत वर्ष इस समय ऋण की मात्रा ३२.७० करोड़ थी। २६ जुलाई को चावल पर ११.१४ करोड़ का ऋण दिया गया था। मई के अन्त से यह रकम लगभग १० करोड़ रुपये कम है। गत वर्ष की तत्संबंधी अवधि से भी यह रकम कुछ कम है। गेहूं पर ऋणों में भी कमी होने लगी है; २६ जुलाई को ऋण की मात्रा ५.३८ करोड़ थी और उस से एक महीने पहले ६.८० करोड़ थी। कतिपय ऋणों को वापस लेने में बैंकों को कुछ कठिनाइयां हैं—किन्तु सब बैंक इन आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार ने विभिन्न कार्यवाहियां भी की हैं; अर्थात् पी० एल० ४८० के अधीन आयात, वर्गीकरण तथा सस्ते मूल्य की दुकानें आदि खोली हैं। सरकार ने वर्णित कीमतों पर स्टाक अधिग्रहण करने की शक्ति भी ले ली है। सरकार को इन बातों से संतुष्टि नहीं है। और कार्यवाही भी की जायेगी। किन्तु सरकार खेद से यह बात कहती है कि यद्यपि हम उन मूल उद्देश्यों से सहमत हैं जिन से माननीय मित्र को संकल्प प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली किन्तु सरकार दूसरी समिति नियुक्त करने की कोई भी उपयोगिता नहीं देखती—जबकि उसी विषय पर श्री अशोक मेहता समिति काम कर रही है। किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं है कि अग्रेतर कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात् मूल्य स्थिति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिये कि सरकार आगे कार्यवाही नहीं करेगी। किन्तु सरकार को विभिन्न बातों पर विचार करना है। एकीकृत मूल्य नीति का विचार तो बहुत अच्छा है। किन्तु कहीं पर भी मैंने इसे प्रवर्तन में नहीं देखा है। अतिशय केन्द्रीकृत अर्थ व्यवस्था वाले देशों में भी मूल्य-नीति उतनी एकीकृत नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं। कई बार आन्तरिक विरोधाभास कुछ समय के बाद व्यक्त हो जाते हैं—इस लिये यह कहना ठीक है कि यह एकीकृत मूल्य-नीति शाश्वत है।

संक्षिप्ततया, अर्थ व्यवस्था के असंतुलनों को ठीक करने के लिये सरकार विभिन्न कदम उठा रही है और इन कार्यवाहियों को समय की आवश्यकता के अनुसार कड़ा तथा तेज कर दिया जायेगा—हम इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हैं। इन कार्यवाहियों की योजना पर जो प्रतिक्रिया है हम उस का भी अध्ययन कर रहे हैं। मूसय नीति कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर अर्थ प्रणाली की अन्य बातों से अलग अलग ही चर्चा की जा सके, सब बातों अर्थात् भुगतान सन्तुलन की स्थिति, विकास की आवश्यकतायें बचत तथा उत्पादन बढ़ाने की संभावनायें—इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है। सरकार तो यही कह सकती है कि इस सारे मामले पर समेकित रूप से विचार किया जा रहा है। वास्तविक बात तो इस सम्बन्ध में यह है कि अशोक मेहता समिति काम कर रही ही है। यदि प्रयोजन केवल अनुसन्धान का ही है तो दूसरी समिति नियुक्त करने का या अशोक मेहता समिति के कार्य विस्तार करने का क्या प्रयोजन है—इस से तो जो काम वह कर रहे हैं उसी में बाधा होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि योजना आयोग को यह मूल्यांकन करना चाहिये। यह तो निरन्तर इसे कर रहा है। इस प्रयोजन के लिये जो भी व्यवस्था मेरे पास है वह सारी की सारी योजना आयोग के लिये उद्युत है और इसी कारण श्री खाडिलकर का सुझाव व्यर्थ है। इस का अर्थ केवल यह है कि हम एक व्यवस्था करें और सारी बातें उस पर छोड़ दें।

इसलिये स्थिति इस प्रकार बन जाती है। जहां तक जांच का सम्बन्ध है---चाहे कोई समिति हो या न हो---उद्देश्य के बारे में नीति बनाने का सम्बन्ध है---जो कि श्री गोपालन के मन में है---मैं उस से असहमत नहीं हूं। हम ने अशोक मेहता समिति बनाई ही है। हमें उस समिति के सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी चाहिये। योजना आयोग उन सिफारिशों की जांच करेगा और देखेगा कि क्या उन सिफारिशों को दूसरे मूल्य ढांचे से समेकित किया जा सकता है। यदि हमारे लिये यह आवश्यक है कि दूसरी समिति ही बनाई जाये---यह आवश्यक नहीं कि वह औद्योगिक कीमतों से ही सम्बन्धित रहे जैसे कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा है---हम उसे कर सकते हैं। किन्तु मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब कि श्री गोपालन ने किसी हल से स्वयं को बद्ध नहीं किया केवल समिति की नियुक्ति तथा सिद्धान्त की स्वीकृति की बात कही है कि एक एकीकृत मूल्य-नीति होनी चाहिये, श्री खाडिलकर ने राज्य व्यापार का सुझाव दिया है।

मुझे इस बात का पता है। हम उस पर काफी समय से विचार कर रहे हैं। राज्य व्यापार निगम उस समय स्थापित हुआ था जब मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री था। पर राज्य व्यापार हमारे देश में संभवतः चल नहीं पायेगा जिस में यह सभी बातें सम्मिलित कर दी जायें। इस समय भी सहकारी उपभोक्ता वितरण केवल एक ही क्षेत्र में केवल १०, १५, २० या २५ प्रतिशत तक हम चला सकते हैं। इस बात का कोई सवाल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति खाद्यान्नों का एक बड़े पैमाने पर व्यापार करे। यह संभव नहीं है। अतः मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस संकल्प के उद्देश्यों से सरकार को काफी सहानुभूति है। हम ने अशोक मेहता समिति नियुक्त कर दी है। देखो, समिति क्या विचार प्रकट करती है। यदि उस समिति के प्रतिवेदन की कार्यान्विति के बारे में कोई प्रक्रिया उपयोग में लानी होगी तो उस का तथा समिति की सिफारिशों के साथ अन्य मूल्य सम्बन्धी बातों के एकीकरण के प्रश्न पर हम बाद में विचार करेंगे। पर योजना आयोग तो निरन्तर अपना काम कर रहा है।

अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने एक एकीकृत मूल्य-नीति की आवश्यकता के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया है और हम उस से बहुत कुछ सहमत भी हैं और उन के तर्क के मूल सिद्धान्त ठीक भी हैं अतः यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रयोजन की सिद्धि हो तो उन्हें अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करना चाहिये। पर यदि वह संकल्प पर मतदान करवाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मैं संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अशोक मेहता समिति चल ही रही है और आज की स्थिति में कोई नई समिति नियुक्त करना उचित नहीं होगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्रीमती रेणुका रे के सुझावों से मैं कुछ सहमत हूं। श्री खाडिलकर के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं उसे योजना आयोग के पास भेजने में कोई लाभ नहीं। श्री गोपालन के संकल्प के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन का संकल्प स्वीकार नहीं कर सकता। पर मैं उन के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि एक नई समिति बनाने के मूल प्रश्न पर ही मैं सहमत नहीं हूं।

जिस प्रयोजन के लिये उन्होंने एक समिति बनाने का उद्देश्य रखा है कि कोई नीति बनाई जाये, मैं बताना चाहता हूं कि वैसा ही कुछ कार्यवाही की जा रही है। मैं ने उन से अपील की है कि चूंकि उन के उद्देश्यों तथा सरकार की नीति में काफी एकरूपता है और जिस के लिये हम ने एक समिति पहले से ही नियुक्त कर दी है तो क्या उन के लिये यह उचित नहीं है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने हर तरीके से यहां पर आंकड़े पेश किये और दिल्ली से ले कर एक कारखाने तक और एक

[श्री विभूति मिश्र]

किसान के घर तक का सारा हिसाब किताब उन के पास है, तो फिर अशोक मेहता समिति के लिये वट (प्रतीक्षा) करने की क्या जरूरत है ?

श्री अ० क० गोपालन (कासरगौड) : समिति की नियुक्ति के संबंध में श्री रंगा भी मेरे संकल्प से सहमत हैं। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं भी कहा है कि संकल्प का उद्देश्य ही था कि गंभीर स्थिति पैदा होने जा रही है अतः उसे रोकने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में सावधान है तो उसे तुरन्त कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

मैं ने तो यही सुझाव दिया है कि बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये । खाद्य वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की क्या स्थिति है उस के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि रोज स्थगन प्रस्ताव पेश हो रहे हैं कि चारों तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थिति काफी खराब है। मेरे संकल्प का यही उद्देश्य है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये और यदि उस नीति को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जायेगा तो योजना भी ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पायेगी। उत्तर प्रदेश में जो आन्दोलन तथा भुख हड़ताल चल रही है उस को मजबूत बनाने के लिये हड़ताल और प्रदर्शन किये जाने वाले हैं। खाद्य जांच समिति का प्रतिवेदन आ जाने के बाद सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा । यदि कुछ भी नहीं किया जायेगा तो सभी लोग सरकार के विरुद्ध हो जायेंगे। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने भी कुछ करने का विचार किया है अतः सरकार को कुछ न कुछ करना ही चाहिये ।

मैं अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आग्रह करने का क्या परिणाम होगा। अतः मैं उन से केवल निवेदन करता हूं कि मेरे संकल्प का प्रयोजन केवल सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकृष्ट करना था। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और यह समस्या समाज के प्रत्येक वर्ग की है। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री संकल्प की भावना से सहमत हैं। मुझे आशा है कि तुरन्त ही कुछ कार्यवाही की जायेगी। हां, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि अगले दो या तीन महीनों में खाद्यान्नों के मूल्य कम से कम ३० प्रतिशत कम अवश्य किये जाने चाहियें। गांवों के खेतिहर मजदूरों तथा किसानों के लिये भी कुछ अवश्य किया जाना चाहिये ।

श्री खाडिलकर : क्या यह आश्वासन दिया जा रहा है कि श्री अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही, तुरन्त ही सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने जा रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में बराबर कुछ कर रहे हैं और नित्यप्रति इस विषय पर विचार कर रहे हैं। यदि यह आश्वासन चाहिये कि सरकार समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही कर रही है तो मैं यह आश्वासन दे सकता हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

†**श्री खाडिलकर** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये

श्री अ० क० गोपालन : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस ले लेने की अनुमति देती है ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति

आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार से है :

"यह सभा सरकार से सिफ़ारिश करती है कि चीनी उद्योग (शक्कर के कारखानों) का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ।"

श्रीमान्, आप देखेंगे कि मेरा प्रस्ताव बहुत छोटा है। उस में बहुत ही कम शब्द हैं परन्तु उस का प्रभाव बहुत बड़ा है । हमारे इस देश में लगभग १०७ मिलें काम करती हैं और हमारे देश में लगभग एक करोड़ काश्तकार ऐसे हैं जो गन्ना पैदा करते हैं । उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं वहां पर अधिकतर देहातों में गन्ने की काश्त होती है । जैसे मैं ने कहा कि मेरा प्रस्ताव तो छोटा है मगर उस का प्रभाव बड़ा है और वह प्रभाव यह है कि यह जो हमारे काश्तकार हैं गन्ने के काश्तकार हैं, उन की जो मुसीबतें हैं, अगर राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो वे दूर हो जायेंगी ।

श्रीमान्, मैं उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले खेरी से आता हूं उस में तीन चीनी की मिलें हैं जिन का कि गन्ने के काश्तकारों से काम पड़ता है । हमारे यहां गन्ने के काश्तकार इतने परेशान हैं कि उन्हों ने पिछले आम चुनावों में कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को न पार्लियामेंटरी सीट के लिये और न ही विधान सभा की सीट के लिये, कामयाब बनाया है । कांग्रेस की वहां पर असफलता का एक कारण था और वह यह कि काश्तकार जो लोग हैं वे वहां की गन्ने की मिलों से इतने परेशान हैं कि वे उन से त्राहि त्राहि कर रहे हैं ।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव का उत्तर देते समय यह कहेंगे कि सरकार की जो औद्योगिक नीति है वह इस प्रस्ताव के खिलाफ है, वह इस प्रस्ताव के हक़ में नहीं जाती है । लेकिन मैं अपने माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि उन की ही जो संस्था है और जिस के बल पर वह यहां बैठे हुए हैं, उस की नीति वही है जिस का प्रतिपादन इस प्रस्ताव में किया गया है । वह नीति यह है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सब की मिलकियत (सम्पत्ति) समाज के हाथ में होनी चाहिये ।

श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से कांग्रेस के उस प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जोकि कांग्रेस ने पास किया था । उस ने कहा था :—

"योजना इस तरह बनाई जानी चाहिये कि एक ऐसी समाजवादी ढंग की व्यवस्था कायम हो सके कि जिस के उत्पादन के खास ज़रिये समाज की मिलकियत हों या समाज

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खुशवक्त राय]

> के काबू में हों और उत्पादन की रफ्तार बढ़ी हुई हो और राष्ट्र की दौलत का वाजिब (उचित) बटवारा हो ।"

आप देखेंगे कि इस में साफ तौर से कहा गया है कि जो भी उत्पादन के साधन हों वे समाज के अधिकार में होने चाहियें । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैं ने रखा है उसके ज़रिये से मैं कांग्रेस को यह मौका देना चाहता हूं कि वह उस प्रस्ताव को जो उस ने आवडी में स्वीकार किया था, अम्ली रूप दे ।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्हों ने किसी हद तक इस बात का वचन दे रखा है कि मुल्क के जो उत्पादन के साधन हैं उन पर समाज का अधिकार होना चाहिये, समाज का ओनरशिप (अधिकरण) होना चाहिये, समाज का स्वामित्व होना चाहिये । ६ नवम्बर, १६५४ को राष्ट्रीय विकास काउंसिल यानी नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल की एक बैठक हुई थी यहां दिल्ली में । उस में हमारे नेता प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कहा था :—

> "कोई भी प्रणाली जो एक्युजिटिवनेस (अनुचित ढंग से समाज पर कब्जा रहने की वृत्ति) पर आधारित है वह सर्वथा अनुपयुक्त है । आधुनिक विचारधारा में उसे अनैतिक भी समझा जाता है ।"

जो हमारी मिलें हैं वे अगर एक्विज़िटिवनेस में नहीं हैं तो मैं पूछना चाहता हूं तो किस आधार पर उन को आज रखा गया है ।

आगे चल कर २२ दिसम्बर, १६५४ को हमारे प्रधान मंत्री जी का भाषण कांग्रेस पार्टी की जो पार्लियामेंटरी पार्टी है, उस की किसी बैठक में हुआ था । उस में उन्हों ने कहा था :—

> "कोई भी देश अनमनीय व्यवस्था में उन्नति नहीं कर सकता । इसीलिये हम ने जमींदारी व्यवस्था को तोड़ दिया । उसी तरह हमें पूंजीपति व्यवस्था का भी अन्त करना है ।"

यह बात जो अभी मैं ने आप से कही यह आवडी सत्र में जब समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ था उस से पहले एक मीटिंग हुई थी उस में प्रधान मंत्री जी ने यह कही थी । आवडी में जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था :—

> "बात यह है कि हम कुछ बात बरदाश्त कर रहे हैं पर हम उसे निकाल बाहर करना चाहते हैं ।"

जब प्राइवेट तथा पब्लिक सैक्टर की चर्चा हुई तो उन्हों ने कहा कि यह प्राइवेट सैक्टर एक ऐसी चीज़ है जिस को हमें हटा देना चाहिये मगर यहां हम इस को टालरेट करते हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि शगर के जो कारखाने हैं वे टालरेशन (बरदाश्त) की जो सीमा है, उस से बाहर निकल गये हैं । मगर कांग्रेस के नेताओं ने किसी हद तक इस बात को मान लिया है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

इस के बाद २ मार्च, १६५५ को फैडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। उस के सामने भाषण देते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था :—

> " 'समाज का समाजवादी ढांचा' शब्द किसी नारे के रूप में या मत प्राप्त करने के उपाय के रूप में नहीं प्रयोग में लाया गया है हम ने इसे पूरा करने का वादा किया है और हम इसे पूरा करेंगे ।"

मैं बहुत ही नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी समाज की रचना की जा रही है वह वोट कैचिंग स्लोगन नहीं है तो क्या है, वह एक नारा मात्र नहीं है तो क्या है, वह वोट पाने की एक तरकीब नहीं है, तो क्या है। क्या वजह है कि हमारा जो यह प्रस्ताव है जोकि एक सीधा सादा सा है, उस को क्यों मान नहीं लिया जाता है।

आगे चल कर उसी मीटिंग में उन्हों ने कहा था :—

"हमारा उद्देश्य तो यह होना चाहिये कि हम ऐसे काम करें जिस से सम्पूर्ण जनता का लाभ हो न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग का। यदि हम इसी आधार पर चलेंगे तो धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र एक में मिल जायेंगे।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ये जो कल-कारखाने हैं इन से जनता का हित नहीं होता है, ये जनता के हित में काम करने वाली संस्थायें नहीं है। ये अपना फायदा उठाने वाली संस्थायें हैं और इस तरह से आप चल नहीं सकते हैं। आप ने एक पंचवर्षीय योजना खत्म कर ली है और द्वितीय योजना पर आप काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लेंगे यह बात तो आगे चल कर ही सिद्ध होगी कि आया यह सफलतापूर्वक समाप्त होती है या नहीं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो योजना चल रही है, उस में ऐसे लोगों का स्थान कहां पर है जो दूसरों का शोषण करते हैं। आप देखिये कि ये जो शूगर के कारखाने हैं, वे काश्तकारों का शोषण करते हैं और उन को ऐसा करने का क्या अधिकार है। हम कहते हैं कि इस शोषण को हमें अवश्य मिटाना है, लेकिन इस को हम कहां मिटा रहे हैं। मैं ने शुरू में कहा था कि हिन्दुस्तान भर में इस तरह की कोई १६० के करीब मिलें हैं जहां पर अधिक शोषण हो रहा है। वैसे तो करीब २०४, मिलें हैं और उन में से करीब २९ मिलें काम नहीं कर रही हैं या उन्हों ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। कुछ ऐसी भी मिलें हैं जो कोओपरेटिव बेसिस (सहकारी आधार) पर चल रही हैं और फिलहाल में यह समझ लेता हूं कि इन कोओपरेटिव मिलों में शोषण नहीं होता है। मगर इन के अलावा जो मिलें हैं जिन के मालिक कुछ खास व्यक्ति हैं या कुछ शेयरहोल्डर (अंशधारी) हैं, वहां पर तो अवश्य शोषण हो रहा है। मैं, श्रीमन्, आप के सामने यह बात रख चुका हूं कि किस तरह से वहां पर काश्तकारों का शोषण हो रहा है।

श्रीमन्, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, उस पर मैं चाहता हूं कि खास तौर से ध्यान दिया जाय। प्रधान मंत्री जी ने कहा है :—

"मैं आप को बताना चाहता हूं कि हम ने वोट लेने के उपाय के रूप में इस नारे का उपयोग नहीं किया क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो इस से हमें ही हानि होगी। यदि हम ने अभी तक उसे पूरा नहीं किया तो आगे हम उसे पूरा करेंगे।"

मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं कि वह इस को फालो-अप करें और जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस को स्वीकार करें। इस चीज़ को प्रधान मंत्री जी साफ तौर से कह चुके हैं और अगर आप इस को नहीं मानते हैं और इस पर आप अम्ल नहीं करते हैं तो इस का असर आप पर बुरा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं ने जो प्रस्ताव पेश किया है, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों से वह पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने आगे यह भी कहा :—

इस में वेस्टेड इंटरेस्ट (स्वार्थ) आते हैं, और शूगर के जो कारखाने हैं उस के वेस्टेड इंटरेस्ट मिल मालिक हैं। अगर आप की उन्नति के मार्ग में यह लोग बाधक होंगे, तो आप को उन को हटाना पड़ेगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के जो भाषण हुए हैं उन से एक ही बात निकलती है और वह यह है कि आप को जनता का हित सामने रखना है और जिस बात में जनता का हित न हो, अगर उस में कुछ व्यक्तियों को नुकसान भी हो, तो भी उस को आप को हटाना होगा। इस की आप को चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

[श्री बुशवक्त राय]

मैं आप के सामने अपने कांस्टिट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स (निदेशक तत्वों) को रखना चाहता हूं। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी का जो चेप्टर है, उस में धारा ३९ को आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं उस के ए पार्ट को नहीं पढ़ता हूं। केवल बी और सी भागों को पढ़ना चाहता हूं :

"(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिस से सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्व-साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने जो संविधान बनाया उस में भी इस बात का ख्याल रक्खा कि हम को ऐसी बात करनी है जिस में जनता का हित हो। जनता के हित के सामने अगर व्यक्तिगत स्वार्थ आते हैं, तो हम उन व्यक्तिगत स्वार्थों का ख्याल नहीं करेंगे और जनता के हित की बात करेंगे। इसीलिये यह बातें डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रक्खी गई हैं। चीजों को देखने का आप का असली मापदंड जिस को अंग्रेजी में यार्ड स्टिक कहते हैं, यह होनी चाहिये कि उन से जनता का हित होता है या नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं कि आज के दिन शक्कर के जो भी कारखाने हैं, उन से जनता का कोई हित नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव को मान कर उस पर कार्यवाही की जाय।

मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, मगर मुझ को विश्वास है कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को मान लेगा और उस पर अमल करना शुरू कर देगा तो जो कठिनाइयां हैं वह हमारे सामने नहीं रहेंगी। मैं जानता हूं कि आज मुआवजे की कठिनाई है, लेकिन क्या यह दूर नहीं की जा सकती ? हमारा संविधान सन् १९५० में बना, उस के बाद हम ने ७ संशोधन उस में किये हैं। मेरी जो किताब है उस में ७ दिये हैं, बाद में कोई संशोधन हुआ हो तो मुझे मालम नहीं है। तो यह बात नहीं है कि हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस में क्या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं मालूम देती है जिस में मुआवजे का प्रश्न हमारे सामने इस तरह से न रहे और हम उसे हल न कर सकें ?

हमारी शक्कर की जो मिलें हैं, उन के मालिक हमारी जनता का, विशेष कर गांव के काश्तकारों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, यह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने और प्रान्तीय सरकारों ने ऐसे नियम बनाये हैं, जो रेगुलेशन्स कहलाते हैं उन के अन्तर्गत कि जिन के अनुसार शक्कर के कारखाने जो हैं वह काश्तकारों का शोषण न कर सकें और उन को कठिनाई न पहुंचा सकें। परन्तु देखना तो यह है कि जो कानून इस सरकार ने या प्रान्तीय सरकारों ने बनाये हैं उन से वह शोषण मिट सका है। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो मिलें हैं उन्हों ने एक ऐसा रवैया अपना रक्खा है कि वह केन कमिश्नर के स्टाफ को, ऊपर से ले कर नीचे तक, अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारे यहां एक मिल ऐसी है जिस ने हमारे यहां जो पहले केन कमिश्नर थे, रिटायर होने के बाद जो तन्ख्वाह वह पाते थे, उस से कहीं ज्यादा दे कर उन को अपने यहां रख लिया है। अब आप खुद सोचिये कि जब एक रिटायर्ड केन कमिश्नर एक मिल की नौकरी कर लेते हैं तो जो नये केन कमिश्नर होते हैं, जोकि पहले उन के मातहत काम कर चुके हैं, उन में कैसे यह जुर्रत होगी कि जो रिटायर्ड केन कमिश्नर मिल वाले की जेब में हैं जो कुछ उन से कहें उस के खिलाफ वह कुछ कर सकें : हमारे यहा की मिलें अपना ऐसा प्रबन्ध करती हैं जिस से जो हमारे यहां का शुगर कण्ट्रोल एक्ट है, उस की कोई पाबन्दी न हो सके।

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर) वह अभी लागू ही नहीं होता।

श्री खुशवक्त राय : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो अब खत्म करने वाले होंगे ।

श्री खुशवक्त राय : जी नहीं, अभी तो कम से कम १५ मिनट बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या सिर्फ आप ही बोलना चाहते हैं, किसी और से मदद नहीं लेना चाहते ?

श्री खुशवक्त राय : हुजूर, दो घंटे का वक्त है, १५ मिनट मैं बोल लूंगा तो पौने दो घंटे और लोग बोल लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से तो आधे घंटे से भी ज्यादा हो जायेगा । १५ मिनट आप को और चाहियें, और मिनिस्टर साहब आप के इतना वक्त तो लेंगे ही । इस तरह से और तो कोई बोल ही नहीं सकेगा । फिर अमेंडमेंट (संशोधन) भी मूव (प्रस्तुत) होने हैं ।

श्री खुशवक्त राय : अमेंडमेंट तो एक ही है । उस को मैं मंजूर कर लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : रेजोल्यूशन को मूव करने वाले को आधा घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता ।

श्री खुशवक्त राय : मुझे तो अभी सिर्फ १५ मिनट ही मिले हैं, १५ मिनट और चाहता हूं । मैं ने सवा पांच बजे शुरू किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने २३ मिनट ले लिये हैं ।

श्री खुशवक्त राय : मैं सवा पांच से बोला हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कम से कम मेरे ऊपर तो एतबार कीजिये ।

श्री खुशवक्त राय : खैर, यही सही ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा कि रूल्स (नियमों) के अनुसार रेजोल्यूशन को मूव (पेश) करने वाले को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का वक्त मिल सकता है । आपके पास ७ मिनट और हैं, आप बोलें ।

श्री खुशवक्त राय : मैं चाहता था कि मुझे ७ मिनट दूसरे दिन बोलने का मौका मिलता, अगर रूल्स मुझे परमिशन (अनुमति) दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये तो ।

श्री खुशवक्त राय : आप मुझे ७ मिनट अगले दिन बोलने की इजाजत तो दे ही दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा जितना टाइम बाकी है उतना तो आप बोलिये ।

श्री खुशवक्त राय : मैं यह कह रहा था कि जो शोषण शक्कर मिल के कारखानेदारों की तरफ से होता है वह शुरू कैसे होता है । वह इस तरह से होता है कि शक्कर की मिलों का एरिया रिजर्व होता है और रिजर्व एरिया की मिलें कोशिश करती हैं, स्थानीय और अन्य अधिकारियों से मिल कर, कि उन का एरिया और बढ़ जाय, गोकि वह यह जानती हैं कि उन का जो कारखाना है, उस की यह क्षमता नहीं है कि वह अपनी एरिया का कुल गन्ना पेर सकें । फिर भी यह कोशिश करती हैं कि रिजर्व एरिया बढ़ जाये । जब रिजर्व एरिया बढ़ता है तो यह काम होता है सीजन शुरू होने के छः या सात महीने पहले । उस के बाद वह गन्ना लेते हैं । अब आप देखिये कि पिछले साल जो सट्टा

[श्री खुशवक्त राय]

हुआ उस में भी उन लोगों से कम गन्ना लिया गया । किसानों से कहा जाता है कि तुम ने कम गन्ना दिया, इसलिये पिछले तीन साल में तुम ने जो गन्ना दिया है, उस के सट्टे के हिसाब से गन्ना लिया जायेगा । वह यह नहीं करते कि जितना उन का रिजर्व एरिया है, उस का पूरा गन्ना वह लें । कानून तो यह कहता है कि एक कारखाने का जो रिजर्व एरिया होगा उस में जितना गन्ना होगा वह कारखाने को लेना चाहिये, मगर वह करते क्या हैं कि तीन साल के अन्दर जितना गन्ना उन को दिया गया है, उस के हिसाब से गन्ना लेते हैं ।

आप अब यह सोचिये कि एक किसान के लिये यह कितना मुश्किल होता है कि वह हर साल अच्छी ही खेती करे । उस के लिये यह मुश्किल होता है कि अगर एक साल उस ने १०० मन गन्ना पैदा किया है, तो दूसरे साल भी वह १०० मन गन्ना पैदा करे । बीसियों बातें होती हैं—बीमारी है, जानवरों का मर जाना है, वक्त पर मज़दूरों का न मिलना है—जिन की वजह से वह खेती नहीं कर पाता है और उस की खेती हर साल एक सी नहीं रहती है । वह कभी दो बीघे होती है, कभी पांच बीघे होती है और कभी सात बीघे होती है । इस अवस्था में उस का बेसिक कोटा हर साल के हिसाब से, तीन साल के हिसाब से पड़ते पर कैसे लिया जा सकता है ? उस का नतीजा क्या होता है ? नतीजा यह होता है कि काश्तकार परेशानी में पड़ता है । जिस का गन्ना नहीं बिकता है, उस की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि वह रिश्वत देने के लिये तैयार हो जाता है और वह रिश्वत कामदार को, सोसायटी के अन्य कर्मचारियों को देनी पड़ती है, क्योंकि वही तो परची काटते हैं । जितना उस का गन्ना होता है, जोकि कानून के मुताबिक भी लिया जाना चाहिये, वह नहीं लिया जाता है । इस के अलावा उस को मजबूर किया जाता है कि वह खुशामद करे, रिश्वत दे और ऐसे तरीके अख्तियार करे, जिस से उस का गन्ना लिया जाय ।

अब कीमतों की बात देखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य दो चार मिनट में खत्म कर दें, तो में हाउस से इल्तजा करूंगा कि वह पांच मिनट के लिये और बैठ जाय ।

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, दस मिनट मुझ को और दे दिये जायें । सदन के सामने बोलने का यह मेरा पहला मौका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पांच सात मिनट बोल लें ।

श्री दो० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : माननीय सदस्य अगले दिन बोल सकते हैं ।

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, सदन की भी यही राय है कि मुझे दस मिनट अगले दिन मिल जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् सभा शनिवार, ३१ अगस्त, १९५७ को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ३० अगस्त, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४८९९–४९२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२५	आय-व्ययक का तैयार किया जाना . . .	४८९९–४९०१
१३२६	छावनियों का विकास . . .	४९०१–०२
१३२७	द्वादशवर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र	४९०२–०३
१३२८	आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	४९०४–०६
१३२९	राजस्थान पुलिस बल .	४९०६–०८
१३३०	राष्ट्रीय नाट्यशाला . .	४९०८–१०
१३३१	आयकर पदाधिकारी . . .	४९१०–१२
१३३२	हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप .	४९१२–१३
१३३४	जाली चलार्थ का चोरी छिपे लाया जाना . . .	४९१४
१३३५	पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य	४९१५–१६
१३३६	युद्ध-सामग्री कारखानों में उत्पादन .	४९१६–१७
१३३७	अन्दमान द्वीपसमूह के लिये मंत्रणा परिषद् . . .	४९१७–१८
१३३९	शिक्षा सस्थाओं को अनुदान देने का मापदण्ड	४९१८–१९
१३४२	"कंटैम्परेरी इंडियन लिटरेचर" . .	४९१९–२०
१३४३	आविष्कार तथा विधा . .	४९२०
१३४४	पिछड़े हुए क्षेत्र	४९२०
१३४६	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल .	४९२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४९२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३३	त्रिपुरा में आदिम जातियों के छात्र . .	४९२२
१३४०	बुनियादी शिक्षा . . .	४९२२
१३४१	बबीना सेना कैम्प, झांसी .	४९२३
१३४५	विश्व स्काउट जम्बूरी . .	४९२३
१३४७	शिक्षा पद्धति में परिवर्तन	४९२३
१३४८	दिल्ली स्कूल अध्यापकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां .	४९२४
१३४९	लोहे की नालीदार चादरें . . .	४९२४
१३५०	भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर .	४९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३५१	लोक सहायक सेना के प्रशिक्षणार्थी	४९२५
१३५२	विज्ञान और प्रोद्योगिकीय कालेज, कलकत्ता	४९२५
१३५३	केन्द्रीय सरकार के उपक्रम	४९२५
१३५४	दुर्गापुर से आदिम जाति के लोगों का विस्थापन	४१२५–२६
१३५५	कच्चे लोहे का संभरण	४९२६
१३५७	कच्चे लोहे के अम्यंश	४९२६–२७
१३५८	असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा	४९२७
१३५९	भुगतान अवशेष	४९२७
१३६०	बुनियादी और प्रचलित शिक्षा	४९२८
१३६१	उत्कल विश्वविद्यालय योजना	४९२८
१३६२	हिमालयीय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग	४९२८–२९
१३६३	जापान के इस्पात के कारखाने	४९२९
१३६४	तम्बाकू विशेषज्ञ समिति	४९२९
१३६५	उत्तर गढ़वाल में गन्धक के निक्षेप	४९३०
१३६६	दार्जिलिंग में कोयले के निक्षेप	४९३०
१३६७	कोयला निर्यात	४९३०–३१
१३६८	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग	४९३१
१३६९	पश्चिमी बंगाल की भूतपूर्व अपराधजीवी आदिम जातियां	४९३१
१३७०	बर्दवान के समीप तेल के लिये छिद्रण	४९३२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०४१	मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का संभरण	४९३२–३३
१०४२	मैसूर को सहायता	४९३३
१०४३	भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, मैसूर	४९३३
१०४४	केरल में अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां	४९३४
१०४५	मिलिटरी कालेज, देहरादून	४९३४–३५
१०४६	सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल	४९३५–३६
१०४७	पश्चिमी बंगाल सीमान्त पर तस्कर व्यापार	४९३६
१०४८	सैनिक स्कूल, देहरादून	४९३६
१०४९	बोनस अंश	४९३७
१०५१	आदिम जाति संस्कृति तथा साहित्य	४९३७
१०५२	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	४९३७
१०५३	कच्छ के रेगिस्तान मे होकर तस्कर व्यापार	४९३८
१०५४	राज्यों को ऋण	४९३८
१०५५	अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रतिवेदन	४९३८–३९
१०५६	लोक सहायक सेना	४९३९
१०५७	अपर डिवीजन क्लर्कों की परीक्षा	४९३९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०५८	असिस्टेंट ग्रेड में पदोन्नति	४९४०
१०५९	साहित्यिक कर्मशालायें	४९४०
१०६०	बहुप्रयोजनीय परियोजनायें	४९४०
१०६१	दिल्ली में प्रिंसिपलों और शिक्षकों की पदोन्नति	४९४१
१०६२	डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा प्रसारित वार्ता	४९४१
१०६३	सेना चिकित्सा दल	४९४१–४२
१०६४	ग्रामीण उधार	४९४२
१०६५	जिरातिया भूमि	४९४२
१०६६	दिल्ली के स्कूलों में शिक्षक	४९४३
१०६७	दिल्ली में शिक्षकों को अवकाश वेतन	४९४३
१०६८	त्रिपुरा में हाथियों का उत्पात	४९४३–४४
१०७०	चोरी छिपे लाये गये जवाहारात	४९४४
१०७१	संघ लोक सेवा आयोग	४९४४
१०७२	अन्दमान द्वीपसमूह	४९४५
१०७३	अन्दमान द्वीपसमूह में वर्षा	४९४५
१०७४	अन्दमान में फसलें	४९४६
१०७५	स्टाक एक्सचेंज	४९४६
१०७६	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ साइन्स, कलकत्ता	४९४६–४७
१०७७	कम्बोज (कंबोडिया) विश्वविद्यालय में संस्कृत	४९४७
१०७८	सेना कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन के मामले	४९४७
१०७९	भारत का राज्य बैंक	४९४७
१०८०	अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये छात्र-वृत्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र	४९४८
१०८१	प्रतिरक्षा पहरा एवं रक्षा विभाग	४९४८
१०८२	अवकाश प्राप्त सैनिकों के लिये महंगाई भत्ता	४९४९
१०८३	विमान दुर्घटनायें	४९४९
१०८४	पंजाब को इस्पात का आवंटन	४९५०
१०८५	हिन्दी टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर	४९५०
स्थगन प्रस्ताव		४९५०–५२

अध्यक्ष न उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिस की सूचना श्री ब्रजराज सिंह ने दी थी और जो धान की फसल खराब होने के कारण बिहार के छोटा नागपुर डिवीजन में उत्पन्न खाद्य स्थिति के बारे में था

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४६५२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १६५७ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १६५७ की अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७३ में प्रकाशित प्रादे-शिक परिषद् नियम, १६५७ की एक प्रति

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ अगस्त, १६५७ का एस० आर० ओ० २५७७ जिस में समुद्र सीमा शुल्क प्रत्याहृत (टेलीकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट्स) नियम, १६५७ दिये हुए हैं

(दो) दिनांक ८ अगस्त १६५७ का एस० आर० ओ० २५७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४६५२

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने १२ अगस्त, १६५७ को रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था के बारे में हुई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया

समितियों के लिये निर्वाचन ४६५३

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित समितियों के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से सदस्यों का निर्वाचन किया जाये :—

(१) केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड

(२) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड

प्रस्ताव स्वीकृत हुए

विधेयक पुरस्थापित किया गया . ४६५३

जीवन बीमा निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक

विधेयक विचाराधीन ४६५३–७७

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि रेलवे यात्री किराया विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ । . . ४६७७

छठा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . . . ४९७७–९७

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये एक स्पष्ट मूल्य नीति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

राज्य-सभा से संदेश . . . ४९८८

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश के बारे में बताया कि २४ अगस्त, १९५७ को लोक-सभा द्वारा पारित किये गये विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ४९९७

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . ४९९७–५००२

श्री खुशवक्त राय ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, ३१ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि—

रेलवे यात्री किराया विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उस का पारित किया जाना और विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक तथा व्ययकर विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा उन का पारित किया जाना